दिसम्बर, 2019
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2019 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

दिसम्बर, 2019 अंक - 12

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
असलम खान

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2019) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ⟹ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

माननीय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय पीठ ने अयोध्या राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना निर्णय दिया । न्यायालय ने अपना निर्णय राम मंदिर न्यास के पक्ष में दिया और अब यह कहा जा सकता है कि देश के सबसे विवादित मुद्दों में से एक मुद्दे का निपटारा हो गया । सत्तर वर्ष से यह मामला लंबित चल रहा था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान द्वारा दी गई रिपोर्ट की इस निर्णय में अत्यंत प्रभावी भूमिका रही है । तारीख 23 अक्तूबर, 2002 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान अर्थात् ए. एस. आई. को विवादित ढांचे के निकट क्षेत्रों का वैज्ञानिक परीक्षण करने का निदेश दिया जिसकी रिपोर्ट तारीख 17 फरवरी, 2003 को न्यायालय के समक्ष पेश की गई । इसके पश्चात् तारीख 5 मार्च, 2003 को उच्च न्यायालय ने अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए ए. एस. आई. को विवादित स्थल की खुदाई करने का निदेश दिया । इसके लिए एक दल का गठन किया गया जिसमें 14 सदस्य थे । इसके पश्चात् ए. एस. आई. ने तारीख 22 अगस्त, 2003 को अपनी अंतिम रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की । रिपोर्ट में पाया गया कि वहां मंदिर था जिसकी आकृति गोल थी । इस खुदाई में निकले पत्थरों पर हिन्दू देवी-देवताओं के चिह्न थे किन्तु उच्च न्यायालय ने यह माना कि इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं होता है कि विवादित ढांचे का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया था । उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए कई निष्कर्षों को आधार बनाया है जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं – (1) विवादित ढांचा किसी रिक्त या खुले स्थान पर नहीं बनाया गया, (2) विवादित ढांचे के निर्माण से पहले उस स्थान पर एक ढांचा था जिसका आकार विवादित ढांचे के आकार से कम नहीं था, (3) विवादित ढांचे के निर्माण में पूर्व ढांचे के भाग को सम्मिलित किया गया था और यह माना गया था कि पूर्व ढांचे के अवशेष विवादित ढांचे के निर्माण के लिए पर्याप्त रूप से प्रबल थे, और (4) पूर्व ढांचा पूर्ण रूप से गैर इस्लामिक था । मुख्यतः इन्हीं

निष्कर्षों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने 2.77 एकड़ भूमि रामजन्म भूमि न्यास को दी है और दूसरी ओर सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से 5 एकड़ भूमि देने का भी आदेश किया है और न्यायालय ने कहा है कि मस्जिद का निर्माण प्रमुख स्थल पर किया जाना चाहिए । अभी भी इस देश की परम्परा और गरिमा पूरी तरह बनी हुई है कि इस धरती पर किसी भी पंथ के साथ अन्याय नहीं किया जाता ।

इस अंक में बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को भी प्रकाशित किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त इस अंक में सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है । इस अंक में अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

दिसम्बर, 2019

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अमर सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	751
ए. डेविडसन **बनाम** राज्य	802
दलीप पुनमागर **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य (देखिए – पृष्ठ संख्या 852)	
प्रेम बहादुर **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	852
मोहम्मद जकी अहमद **बनाम** बिहार राज्य और अन्य	794
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** जितेन्द्र कुमार	884
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** वैशाखी राम	827

संसद् के अधिनियम

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 10

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 125 – भरणपोषण – आवेदन में संशोधन – अनुज्ञेय – पत्नी द्वारा यह ईप्सा किया जाना कि भरणपोषण के लिए उसके तीन बच्चों के नाम को भी सम्मिलित किया जाए – यद्यपि धारा 125 के अधीन आवेदन में संशोधन के लिए कोई उपबंध नहीं है, परंतु कार्यवाहियां अर्ध-सिविल और अर्ध-दांडिक है – संशोधन से आवेदन की प्रकृति को बदला नहीं जाता है ।

मोहम्मद जकी अहमद बनाम **बिहार राज्य और अन्य** 794

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 279, 337 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9] – उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक यान चलाना – अभियुक्त द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक टेम्पो चलाकर रोड के बगल में खड़ी पीड़िता के पैर को कुचल दिया जाना – यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य घटना के संबंध में विभेदकारी और असंगत है तथा आघाती यान के ड्राइवर की शनाख्त को सिद्ध नहीं किया गया है तो अभियुक्त-अपीलार्थी संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **वैशाखी राम** 827

– धारा 279, 337 – उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक यान चलाना – जहां ड्राइवर के उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक यान चलाने की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती वहां

पृष्ठ संख्या

पर अभियोजन पक्ष पर हमेशा यह भार है कि इस बात के युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करें कि आघाती यान उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **वैशाखी राम** 827

– धारा 279 और 337 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – सार्वजनिक सड़क पर उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक गति चलाना – संदेह का फायदा – यह अभिकथन किया जाना कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपनी गाड़ी को उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक चलाकर परिवादी की गाड़ी को क्षति पहुंचाई – परिवादी को छोड़कर गाड़ी में बैठे हुए अन्य अधिभोगियों की चिकित्सा परीक्षा नहीं किया जाना – यदि चिकित्सा साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हुआ है कि ड्राइवर शराब पीए हुए हालत में था या नहीं और अभियोजन पक्ष द्वारा गाड़ियों की भीडन्त की रीति को प्रकट नहीं किया है तो अभियोजन कहानी की सत्यता में संदेह होता है और अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा गाड़ी को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाया जाना साबित नहीं हुआ तो अभियुक्त-अपीलार्थी संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **जितेन्द्र कुमार** 884

– धारा 302 – हत्या – मुख्य अभियुक्त की दोषसिद्धि जबकि अन्य तीन सह-अभियुक्तों की दोषमुक्ति – चुनौती – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुए युक्तियुक्त और संगत विलंब के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समयातीत है

पृष्ठ संख्या

– बाल साक्षियों का परिसाक्ष्य यदि सत्य और विश्वसनीय प्रतीत होता है और इस प्रयोजन के लिए उनकी मानसिक बुद्धिमत्ता को अभिनिश्चित कर लिया गया है तो उसे केवल इस कारण परित्यक्त नहीं किया जा सकता कि उन्हें बाल साक्षियों द्वारा दिया गया – हत्या के हथियार की बरामदगी न होना उस समय अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं है यदि अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा अपराध को भलीभांति सिद्ध कर दिया गया है – समान साक्ष्य के आधार पर सह-अभियुक्तों की दोषमुक्ति के आधार पर सभी अभियुक्तों की दोषमुक्ति नहीं की जा सकती और सम्पूर्ण परिसाक्ष्य को केवल इस कारण से परित्यक्त नहीं किया जा सकता कि उसके कतिपय भाग पर विश्वास नहीं किया गया है ।

अमर सिंह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 751

– धारा 302 और 34 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – हेतु – पारिस्थितिक साक्ष्य – यदि मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है और पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला पूरी नहीं है तथा उपलब्ध साक्ष्य से कोई सकारात्मक सबूत प्रकट नहीं होता है तो अपीलार्थी-अभियुक्त दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

प्रेम बहादुर बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 852

– धारा 302 और 34 – हत्या – आयुध की बरामदगी – अचानक प्रकोपन – जहां मामले में अपराध के आयुध की बरामदगी न हुई हो तथा अचानक प्रकोपन में आकर आवेश की तीव्रता में हमला किए जाने का कोई साक्षी नहीं है तथा मृतक के शरीर के किसी नाजुक

पृष्ठ संख्या

भाग पर हमला किए जाने का भी साक्ष्य नहीं है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

प्रेम बहादुर बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 852

– धारा 302, 84 और 294(ख) [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 328 और 329] – हत्या – अभियुक्त द्वारा मृतक से कुली का काम मांगना – मृतक द्वारा मना किया जाना – अभियुक्त का आक्रोश में आ जाना और मृतक पर चाकू से वार करना – अभियुक्त द्वारा उन्मत्तता का अभिवाक् किया जाना किन्तु विचारण के दौरान ऐसा अभिवाक् न करना – अभियुक्त का घटना के समय स्वस्थचित्त पाया जाना – विचारण के दौरान अभियुक्त ने ऐसा कोई अभिवाक् नहीं किया है कि वह घटना के समय किसी मानसिक रोग से पीड़ित था और उसके बताए जाने पर ही चाकू बरामद किया गया है तथा उसके कथन से साबित होता है कि वह घटना के समय स्वस्थचित्त था, अतः अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 84 का लाभ नहीं दिया जा सकता और उसकी दोषसिद्धि उचित है ।

ए. डेविडसन बनाम **राज्य** 802

(2019) 2 दा. नि. प. 751 इलाहाबाद

अमर सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(1983 की दांडिक अपील सं. 693)

तारीख 26 अगस्त, 2019

मुख्य न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – मुख्य अभियुक्त की दोषसिद्धि जबकि अन्य तीन सह-अभियुक्तों की दोषमुक्ति – चुनौती – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुए युक्तियुक्त और संगत विलंब के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समयातीत है – बाल साक्षियों का परिसाक्ष्य यदि सत्य और विश्वसनीय प्रतीत होता है और इस प्रयोजन के लिए उनकी मानसिक बुद्धिमत्ता को अभिनिश्चित कर लिया गया है तो उसे केवल इस कारण परित्यक्त नहीं किया जा सकता कि उन्हें बाल साक्षियों द्वारा दिया गया – हत्या के हथियार की बरामदगी न होना उस समय अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं है यदि अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा अपराध को भलीभांति सिद्ध कर दिया गया है – समान साक्ष्य के आधार पर सह-अभियुक्तों की दोषमुक्ति के आधार पर सभी अभियुक्तों की दोषमुक्ति नहीं की जा सकती और सम्पूर्ण परिसाक्ष्य को केवल इस कारण से परित्यक्त नहीं किया जा सकता कि उसके कतिपय भाग पर विश्वास नहीं किया गया है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सुनील दत्त (अभि. सा. 1) मृतक के अवयस्क पुत्र ने इस प्रभाव की एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी कि तारीख 12 अक्तूबर, 1981 को वह अपनी बहिन, अर्थात् सुनीता वर्मा (अभि. सा. 2) मृतक की अवयस्क

पुत्री के साथ पूर्वाह्न लगभग 9 बजे दो पृथक् साइकिलों पर अपने विद्यालय की ओर जा रहा था और उनके साथ उनके पिता (जिनकी मृत्यु हो गई है) भी थे, जो अध्यापक के रूप में कार्यरत थे । जब वे तीनों नहर की पटरी के समीप पहुंचे तो अपीलार्थी-अभियुक्त अपने तीन अन्य सह-अभियुक्तों के साथ, जो वहां पास की झाड़ियों में छिपे हुए थे, अचानक बाहर आए और उसके पिता पर हमला किया । अपीलार्थी-अभियुक्त और सह-अभियुक्त कृपाल सिंह पिस्तौलों से लैस थे और अन्य दो सह-अभियुक्त, अर्थात् मरदान सिंह और सुल्तान सिंह लाठियों से लैस थे । अपीलार्थी के पिता (जिनकी मृत्यु हो गई है) अपनी साइकिल से नीचे उतर गए । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 दोनों एक तरफ दौड़े और उन्होंने स्वयं को छिपा लिया । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 दोनों ने इस घटना को देखा जिसके दौरान अपीलार्थी-अभियुक्त ने उनके मृतक पिता की छाती में दायीं ओर अग्न्यायुध से गोली चलाई । सह-अभियुक्त कृपाल सिंह ने भी एक देसी पिस्तौल से उनके मृतक पिता के बाएं गाल पर गोली चलाई । इस हमले के कारण अभि. सा. 1 के पिता नीचे गिर गए और अन्य सह-अभियुक्तों मरदान सिंह और सुल्तान सिंह जो लाठियों से लैस थे, ने उनके मृतक पिता पर हमला किया । इस घटना को देखकर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने चिल्लाना शुरू कर दिया । उसी समय उनके गांव के चाचा लालाराम पुत्र शिवपाल, नत्थु राम पुत्र शिवराम और संतोष कुमार (अभि. सा. 3) पुत्र गोविन्द प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे । लिखित शिकायत में यह और उल्लेख किया गया है कि पूर्व में मृतक और अपीलार्थी-अभियुक्त के बीच नाले को काटे जाने के संबंध में कुछ विवाद हुआ था और इस संबंध में मृतक द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी और इस शत्रुता के कारण अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक की हत्या की । घटना के दिवस, अर्थात् तारीख 12 अक्तूबर, 1981 को अपराह्न लगभग 3.15 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । घटनास्थल और पुलिस थाने के बीच की दूरी लगभग 10 मील (लगभग 16 किलोमीटर) है । अभियोजन ने अभियुक्त व्यक्तियों के दोष को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित साक्षियों की परीक्षा की ; सुनील दत्त (अभि. सा. 1), सुनीता वर्मा (अभि. सा. 2), संतोष कुमार (अभि. सा. 3),

जगमोहन लाल (अभि. सा. 4), राम सेवक सिंह (अभि. सा. 5), बाबूराम (अभि. सा. 6), महेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7), सूरज प्रसाद अग्निहोत्री (अभि. सा. 8), मोहन देव सिहं (अभि. सा. 9) और डा. पी. सी. चौरसिया (अभि. सा. 10) । अभि. सा. 1 मृतक का अवयस्क पुत्र है जो घटना के समय लगभग 14 वर्ष का था और उसके साक्ष्य को तारीख 27 जुलाई, 1982 को लेखबद्ध किया गया । उसके परिसाक्ष्य में, उसने लिखित शिकायत में उल्लिखित अपने कथन को दोहराया । अभि. सा. 1 की ब्यौरेवार प्रतिपरीक्षा की गई थी । अभि. सा. 2 मृतक की अवयस्क पुत्री है जो घटना के समय लगभग 15 वर्ष की थी और उसने भी अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य का समर्थन किया । उसकी भी ब्यौरेवार प्रतिपरीक्षा की गई थी । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 दोनों ही इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । संतोष कुमार (अभि. सा. 3) ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 12 अक्तूबर, 1981 को पूर्वाह्न लगभग 9 बजे उसने गोली चलने की आवाज सुनी और जब वह घटनास्थल, जो लगभग 100 कदम की दूरी पर था, के समीप पहुंचा तो उसने अभियुक्त अमर सिंह और सह-अभियुक्त कृपाल सिंह को देखा जो देसी पिस्तौलों से लैस थे । अन्य सह-अभियुक्त, अर्थात् मरदान सिंह और सुल्तान सिंह उस समय मृतक पर अपनी-अपनी लाठियों से हमला कर रहे थे । उसके द्वारा उन्हें पकड़े जाने की कोशिश करने पर अभियुक्त व्यक्ति भाग गए । उसकी भी ब्यौरेवार प्रतिपरीक्षा की गई थी । राम सेवक सिंह, अभि. सा. 5, उप-निरीक्षक ने जो इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है, अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने तारीख 12 अक्तूबर, 1981 को अभि. सा. 1 की लिखित शिकायत को लेखबद्ध किया और उसके पश्चात् वह घटनास्थल की ओर गया । तथापि, रात्रि हो जाने के कारण उस दिन आगे और अन्वेषण नहीं किया जा सका था । अगले दिन, अर्थात् तारीख 13 अक्तूबर, 1981 को पंचनामा तैयार किया गया । मृतक के शव का साक्ष्यों की उपस्थिति में अभिग्रहण किया गया । स्थलनक्शा तैयार किया गया, सामान्य मिट्टी और साथ ही खून से सनी मिट्टी का नमूना भी लिया गया । इस साक्षी की भी ब्यौरेवार प्रतिपरीक्षा की गई थी । सूरज प्रसाद अग्निहोत्री (अभि. सा. 8) की, जो विद्यालयों के उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त था, मृतक के अस्थायी स्थानांतरण

के प्रयोजन के लिए परीक्षा की गई थी । डा. पी. सी. चौरसिया (अभि. सा. 10) ने मृतक की शव-परीक्षा की थी और इसलिए उसकी भी परीक्षा की गई थी । डाक्टर ने यह राय अभिव्यक्त की थी कि मृतक की मृत्यु शव-परीक्षा से लगभग दो या ढाई दिन पूर्व हुई थी और मृत्यु का कारण अग्न्यायुध से हुई क्षतियों के परिणामस्वरूप लगा आघात और रक्तस्राव है । इस साक्षी की भी प्रतिपरीक्षा की गई थी । अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी-अभियुक्त का कथन लेखबद्ध किया गया था जिसमें उसने उसके विरुद्ध फाइल किए गए साक्ष्य से इनकार किया । किसी भी प्रतिरक्षा साक्षी की परीक्षा नहीं की गई । अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, सं. 4, कानपुर ने अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् तथा अभियोजन पक्ष और साथ ही प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के पश्चात् अपने तारीख 19 मार्च, 1983 के निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन सिद्धदोष ठहराया था । तथापि, अन्य तीन सह-अभियुक्तों, अर्थात् कृपाल सिंह, सुल्तान सिंह और मरदान सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया था । उसी दिन दंडादेश भी सुनाया गया तथा अभियुक्त-अपीलार्थी को आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए 1983 की दांडिक अपील सं. 693 फाइल की । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना तारीख 12 अक्तूबर, 1981 को पूर्वाह्न में लगभग 9 बजे घटित हुई थी और पुलिस थाना मंगलपुर, जिला कानपुर नगर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उसी दिन अपराह्न में लगभग 3.15 बजे दर्ज की गई थी । घटनास्थल और पुलिस थाने के बीच की दूरी लगभग 10 मील, अर्थात् लगभग 16 किलोमीटर है । वर्तमान मामले में मृतक व्यक्ति अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का पिता था, जिन्होंने अपने पिता पर हुए हमले को देखा था । घटना की तारीख को अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2, दोनों ही अवयस्क थे । पुलिस थाने जो घटनास्थल से लगभग 16 किलोमीटर की

दूरी पर स्थित है, में अवयस्क बालकों जिनके पिता पर गोली चलाई गई थी और जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी, द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए लगभग 6 घन्टे के विलंब को अयुक्तियुक्त विलंब नहीं माना जा सकता और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के बारे में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि वह समय के विरोध में है । अभि. सा. 1 की उस समय की मानसिक स्थिति, जब उसके पिता पर उसके सामने ही हमला करके मार डाला गया था, को ध्यान में रखते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुए 6 घन्टे के विलंब को भलीभांति समझा जा सकता है । इस मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को तुरन्त दर्ज किया गया समझा जा सकता है । यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि तहरीर स्वयं उसके द्वारा उसकी जीव विज्ञान की कापी से एक पन्ना फाड़कर लिखी गई थी । रिपोर्ट लिखते समय वह रो रहा था और उसे वह रिपोर्ट लिखने में लगभग डेढ़ घन्टे का समय लगा । अतः अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल की ओर से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के समय के विरोध में होने से संबंधित निवेदन को नामंजूर किया जाता है । यह भी उल्लेखनीय है कि दांडिक न्यायालयों में आमतौर पर की जाने वाली इस अनुचित मांग कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी मात्र के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दूषित माना जाए, को विधिक उप सिद्धांत के रूप में अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाती है । किसी भी दशा में जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में कोई विलंब हुआ है वहां न्यायालय को उसके कारणों के संबंध में विचार करना चाहिए और यदि ऐसे कारण दर्ज की गई शिकायत में कोई हेर-फेर करने के प्रयास के परिणामस्वरूप नहीं हुए हैं तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलंब मात्र की अनदेखी की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट किसी सारवान् साक्ष्य का गठन नहीं करती है यद्यपि किसी अपराध के गठित होने के संबंध में पूर्वतम जानकारी प्रेषित करने में इसके महत्व के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता । तथापि, इसका उपयोग् भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 157 के अधीन इसे दर्ज करने वाले व्यक्ति के पूर्व कथन को या तो पुष्ट करने के प्रयोजन के लिए अथवा उसके कथन में

विरोधाभास को इंगित करने के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है । इसका उपयोग अन्य साक्षियों के कथनों को पुष्ट करने या उनमें विरोधाभासों को इंगित करने के प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता ।

न्यायालय ने सावधानीपूर्वक सुनील दत्त (अभि. सा. 1) और सुनीता वर्मा (अभि. सा. 2) के साक्ष्यों पर विचार किया है । दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष की कहानी का पूर्णतया समर्थन किया है । दोनों साक्षी अपनी ब्यौरेवार प्रतिपरीक्षा के दौरान भी अपने कथनों पर अडिग रहे और उन्हें विचलित नहीं किया जा सका था । उन्होंने हमले की रीति का भी वर्णन किया । दोनों साक्षियों ने घटना को 10-12 कदम की निकट की दूरी से देखा था । दोनों साक्षी अपने पिता के साथ अपने विद्यालय जा रहे थे और साक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूप से यह बात स्पष्ट की गई है कि वे अपने विद्यालय को जाने वाले अपने सामान्य मार्ग का ही अनुसरण कर रहे थे । दोनों साक्षियों ने अभियुक्त-अपीलार्थी और अपने मृतक पिता के बीच पूर्व शत्रुता और अपने मृतक पिता द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 352, 504 और 506 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने का भी उल्लेख किया है । बाल साक्षियों के परिसाक्ष्यों को अभिलिखित किए जाने से पूर्व ही विद्वान् विचारण न्यायालय ने किसी बाल साक्षी के साक्ष्यों को अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए उनकी मानसिक बुद्धिमत्ता को अभिनिश्चित कर लिया था । यह स्पष्ट है कि बाल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2) विश्वसनीय हैं और सत्य कह रहे हैं और साथ ही उन्हें सिखाया पढ़ाया गया नहीं है क्योंकि वे एक लम्बी प्रतिपरीक्षा के दौरान भी अपने-अपने कथनों पर अडिग बने रहे । इन साक्षियों ने सम्पूर्ण घटना को विनिर्दिष्ट शब्दों में वर्णित किया है । चूंकि अपीलार्थी-अभियुक्त उन्हीं के गांव का था इसलिए अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 को उसकी पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं हुई । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए इस निवेदन को कि बाल साक्षियों का साक्ष्य नामंजूर किए जाने का दायी है, स्वीकार नहीं किया जा सकता । न्यायालय ने दोनों बाल साक्षियों के परिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है और उसका यह निश्चित मत है कि

दोनों बाल साक्षियों ने घटना को देखा है और वे विश्वसनीय हैं तथा सत्य कह रहे हैं । दोनों साक्षियों ने अत्यंत विनिर्दिष्ट शब्दों में अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उनके पिता की छाती में गोली मारी थी । उन्होंने काफी कम दूरी से इस सम्पूर्ण घटना को देखा था । घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति प्राकृतिक थी क्योंकि वे अपने दैनिक कार्यक्रम के अनुसार विद्यालय जा रहे थे । इस प्रकार, अपीलार्थी-अभियुक्त के तर्क का समर्थन नहीं किया जा सकता है ।

अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से यह दलील दी गई है कि वर्तमान मामले में घटना में उपयोग किया गया हथियार और साथ ही वह साइकिल भी बरामद नहीं हुई है जिस पर मृतक व्यक्ति जा रहा था । अतः, ऐसी बरामदगी की अनुपस्थिति में अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि तर्कसंगत नहीं है । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि हथियार या अन्य सुसंगत सामग्री का बरामद न होना अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होगा, जैसा कि वर्तमान मामले में है, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य ठोस और विश्वसनीय है । इस प्रकार, अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से दी गई इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के साक्ष्य से यह बात सामने आई है कि मृतक और अभियुक्त-अपीलार्थी के बीच पूर्व शत्रुता विद्यमान थी । इस मुद्दे पर बाल साक्षियों के कथन को गलत साबित करने के लिए प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था । यह सुस्थापित है कि हेतु की अनुपस्थिति में भी जहां कहीं अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है वहां उसका अवलंब लिया जा सकता है और उसके आधार पर दोषसिद्धि के आदेश को पारित किया जा सकता है । हेतु की अनुपस्थिति भी दोषसिद्धि के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । वर्तमान मामले में, अभिलेख पर यह स्पष्ट है कि मृतक ने तारीख 11 नवंबर, 1980 को अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी अतः अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपराध किए जाने के हेतु को साबित किया है । अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने कड़े शब्दों में यह और तर्क प्रस्तुत

किया है कि चूंकि अन्य तीन सह-अभियुक्तों को सिद्धदोष ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को पर्याप्त नहीं पाया गया था इसलिए समान साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को बनाए रखा नहीं जा सकता । इस तर्क में कोई गुणता नहीं है क्योंकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के सावधानीपूर्वक परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन की कहानी की पूर्ण रूप से पुष्टि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और साथ ही चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी कर दी गई थी, जहां तक उसका संबंध अपीलार्थी-अभियुक्त की भूमिका से है । अब जहां तक अन्य तीन सह-अभियुक्तों को दोषमुक्त किए जाने का संबंध है विद्वान् विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अन्य तीन सह-अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं था । अपीलार्थी-अभियुक्त के काउंसेल द्वारा दिए गए तर्क का मुख्य बिन्दु यह है कि चूंकि समान अभियोजन साक्ष्य के आधार पर तीन सह-अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है इसलिए केवल अपीलार्थी-अभियुक्त को उक्त समान साक्ष्य के आधार पर सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता है । यह सुस्थापित है कि साक्षियों के सम्पूर्ण परिसाक्ष्य को केवल इस कारण से परित्यक्त नहीं किया जा सकता कि उनके कथन के कतिपय पहलुओं या भाग पर विश्वास नहीं किया गया था । "जिस कथन की एक बात मिथ्या है वह सारा कथन मिथ्या है" सिद्धांत भारत में प्रचलित नहीं है और केवल इस आधार पर साक्षियों को झूठा नहीं कहा जा सकता । इस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में विचार किया गया है ।

इस संबंध में भी तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि सम्पूर्ण अन्वेषण दूषित है और इस प्रयोजन के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने विद्वान् विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष का अवलंब लिया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दूषित थी क्योंकि उसे पुलिस थाने में बैठकर लिखा गया था । इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा इरादतन किया गया दोषपूर्ण अन्वेषण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए घटनाओं के विवरण की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं

करता है जहां अभियोजन पक्ष समुचित साक्ष्य पेश करके, विशिष्ट रूप से प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और अन्य साक्षियों के साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में सफल रहता है वहां अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए लोप अभियोजन के पक्षकथन के लिए इस कारण से घातक नहीं होंगे कि अन्वेषण की प्रक्रिया के दौरान पाया गया प्रत्येक फर्क न्यायालय को तब तक उस सीमा तक प्रभावित नहीं करता है कि वह उसके परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दे जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि अन्वेषण ऐसी रीति में किया गया था जिसे "बेईमानी से किया गया या निर्दिष्ट अन्वेषण" नहीं कहा जा सकता, जिसका परिणाम अभियुक्त को विमुक्त करना होगा । (पैरा 9)

वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने दूषित अन्वेषण के संबंध में अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उठाई गई शिकायत की परीक्षा की है और उसने ऐसी किसी परिस्थिति को नहीं पाया जो अभियोजन के पक्षकथन के संबंध में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न कर सके । अभिलेख पर विद्यमान प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सीय साक्ष्य अभियुक्त-अपीलार्थी की अपराध में भूमिका के प्रति विश्वसनीय है और अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल यह दर्शित करने में असफल रहे हैं कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई किसी गलती के कारण अपीलार्थी-अभियुक्त पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । यह जानना उपयुक्त होगा कि परिसाक्ष्य में छुट-पुट फर्कों, जो मामले के मूल तत्वों को प्रभावित नहीं करते हैं, के आधार पर सम्पूर्ण साक्ष्य को नामंजूर नहीं किया जा सकता । उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह आधार भी नामंजूर किए जाने के लिए दायी है और तद्नुसार उसे नामंजूर किया जाता है । (पैरा 10 और 11)

अन्त में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अवध नारायण की मृत्यु आपराधिक मानव वध है जो हत्या के तत्समान है और जिसकी मृत्यु अग्नयायुध क्षति के परिणामस्वरूप लगे आघात और रक्तस्राव के कारण हुई थी । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के लिए यह पूर्णतया सामान्य और प्राकृतिक था कि वे घटना के दिन पूर्वाह्न 9 बजे अपने पिता के साथ साइकिल पर अपने विद्यालय जा रहे थे । अभि. सा. 1

पिता के साथ साइकिल पर अपने विद्यालय जा रहे थे । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने इस पूरी घटना को काफी निकट से देखा है और उन्होंने अपीलार्थी-अभियुक्त की शनाख्त की है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 हालांकि बाल साक्षी हैं फिर भी उनका परिसाक्ष्य विश्वसनीय और सत्य था । अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य अपीलार्थी-अभियुक्त की भूमिका की पुष्टि करता है । हेतु से संबंधित परिसाक्ष्य को मृतक द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पुष्ट किया गया है । "जिस कथन की एक बात मिथ्या है वह सारा कथन मिथ्या है" सिद्धांत भारत में साधारणतया प्रचलित नहीं है और वह केवल सावधानी के सिद्धांत के रूप में ही लागू है और इस प्रकार अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दिए गए विश्वसनीय और सत्य परिसाक्ष्य पर आधारित हो सकती है । यद्यपि, उसी साक्ष्य पर अन्य तीन सह-अभियुक्तों के संबंध में विश्वास नहीं किया गया था और उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था । अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल आक्षेपित निर्णय में अन्तर्विष्ट तथ्यों और साथ ही विधि से संबंधित किसी त्रुटि का उल्लेख करने में असफल रहे हैं । वर्तमान मामले में दूषित अन्वेषण, यदि कोई हो, अभियोजन के लिए घातक नहीं होगा क्योंकि अपीलार्थी-अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सीय साक्ष्य विद्यमान हैं । घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी न होना मात्र अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होगा । उपरोक्त चर्चा और साथ ही ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की सुविचारित राय यह है कि वर्तमान अपील में कोई बल नहीं है । अतः, न्यायालय द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण विद्यमान नहीं है । तद्नुसार अपील को खारिज किया जाता है । (पैरा 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 4 एस. सी. सी. 522 : **दिगंबर वैष्णव और अन्य** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ;	6

[2019]	(2019) 5 एस. सी. सी. 67 : **महेन्द्रन** बनाम **तमिलनाडु राज्य ;**	9
[2019]	(2019) 3 एस. सी. सी. 615 : **सत्य राज सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य ;**	9
[2017]	(2017) 11 एस. सी. सी. 195 : **योगेश सिंह** बनाम **महाबीर सिंह और अन्य ;**	9
[2014]	(2014) 3 एस. सी. सी. 689 : **शीशराम** बनाम **राजस्थान राज्य ;**	9
[2013]	(2013) 12 एस. सी. सी. 529 : **करण सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य ;**	9
[2013]	(2013) 12 एस. सी. सी. 796 : **मृत्युंजय बिस्वास** बनाम **प्रणव** उर्फ **कुट्टी बिस्वास ;**	9
[2000]	(2000) 4 एस. सी. सी. 515 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **बाबू राम ;**	9
[2001]	(2001) 7 एस. सी. सी. 690 : **रविन्द्र कुमार और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य ;**	9
[1994]	(1994) 5 एस. सी. सी. 188 : **मेहराज सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;**	6
[1992]	(1992) 4 एस. सी. सी. 773 : **शेख हासिब** उर्फ **तबरक** बनाम **बिहार राज्य ।**	9

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1983 की दांडिक अपील सं. 693.

1982 के सेशन विचारण मामला सं. 58 में विद्वान् सं. 4, जिला अपर और सेशन न्यायाधीश, कानपुर द्वारा तारीख 19 मार्च, 1983 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, ललित सिंह, एस. पी. श्रीवास्तव, सर्वेश, यशपाल यादव, सुनील यादव और लालजी यादव

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सत्य प्रकाश, ए. जी. ए.

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी द्वारा दिया गया ।

न्या. शमशेरी – दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

2. अपीलार्थी-अभियुक्त ने तारीख 19 मार्च, 1983 के निर्णय और आदेश को प्रश्नगत किया है जिसके द्वारा विद्वान् सं. 4, जिला अपर और सेशन न्यायाधीश, कानपुर ने 1982 के सेशन विचारण मामला सं. 58 में अपीलार्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया है और उसे आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया है । तथापि, शेष तीन सह-अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया है ।

3. वर्तमान अपील से सुसंगत पृष्ठभूमि संबंधी तथ्यों को नीचे संक्षेप में स्पष्ट किया गया है :–

(i) सुनील दत्त (अभि. सा. 1) मृतक के अवयस्क पुत्र ने इस प्रभाव की एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी कि तारीख 12 अक्तूबर, 1981 को वह अपनी बहिन, अर्थात् सुनीता वर्मा (अभि. सा. 2) मृतक की अवयस्क पुत्री के साथ पूर्वाह्न लगभग 9 बजे दो पृथक् साइकिलों पर अपने विद्यालय की ओर जा रहा था और उनके साथ उनके पिता (जिनकी मृत्यु हो गई है) भी थे, जो अध्यापक के रूप में कार्यरत थे । जब वे तीनों नहर की पटरी के समीप पहुंचे तो अपीलार्थी-अभियुक्त अपने तीन अन्य सह-अभियुक्तों के साथ, जो वहां पास की झाड़ियों में छिपे हुए थे, अचानक बाहर आए और उसके पिता पर हमला किया । अपीलार्थी-अभियुक्त और सह-अभियुक्त कृपाल सिंह पिस्तौलों से लैस थे और अन्य दो सह-अभियुक्त, अर्थात् मरदान सिंह और सुल्तान सिंह लाठियों से लैस थे । अपीलार्थी के पिता (जिनकी मृत्यु हो गई है) अपनी साइकिल से नीचे उतर गए । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 दोनों एक तरफ दौड़े और उन्होंने स्वयं को छिपा लिया । अभि.

सा. 1 और अभि. सा. 2 दोनों ने इस घटना को देखा जिसके दौरान अपीलार्थी-अभियुक्त ने उनके मृतक पिता की छाती में दायीं ओर अग्न्यायुध से गोली चलाई । सह-अभियुक्त कृपाल सिंह ने भी एक देसी पिस्तौल से उनके मृतक पिता के बाएं गाल पर गोली चलाई । इस हमले के कारण अभि. सा. 1 के पिता नीचे गिर गए और अन्य सह-अभियुक्तों मरदान सिंह और सुल्तान सिंह जो लाठियों से लैस थे, ने उनके मृतक पिता पर हमला किया । इस घटना को देखकर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने चिल्लाना शुरू कर दिया । उसी समय उनके गांव के चाचा लालाराम पुत्र शिवपाल, नत्थु राम पुत्र शिवराम और संतोष कुमार (अभि. सा. 3) पुत्र गोविन्द प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे । लिखित शिकायत में यह और उल्लेख किया गया है कि पूर्व में मृतक और अपीलार्थी-अभियुक्त के बीच नाले को काटे जाने के संबंध में कुछ विवाद हुआ था और इस संबंध में मृतक द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी और इस शत्रुता के कारण अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक की हत्या की ।

(ii) घटना के दिवस, अर्थात् तारीख 12 अक्तूबर, 1981 को अपराह्न लगभग 3.15 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । घटनास्थल और पुलिस थाने के बीच की दूरी लगभग 10 मील (लगभग 16 किलोमीटर) है ।

(iii) अभियोजन ने अभियुक्त व्यक्तियों के दोष को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित साक्षियों की परीक्षा की –

सुनील दत्त (अभि. सा. 1), सुनीता वर्मा (अभि. सा. 2), संतोष कुमार (अभि. सा. 3), जगमोहन लाल (अभि. सा. 4), राम सेवक सिंह (अभि. सा. 5), बाबूराम (अभि. सा. 6), महेन्द्र सिंह (अभि. सा. 7), सूरज प्रसाद अग्निहोत्री (अभि. सा. 8), मोहन देव सिहं (अभि. सा. 9) और डा. पी. सी. चौरसिया (अभि. सा. 10) ।

(iv) अभि. सा. 1 मृतक का अवयस्क पुत्र है जो घटना के समय लगभग 14 वर्ष का था और उसके साक्ष्य को तारीख 27 जुलाई, 1982 को लेखबद्ध किया गया । उसके परिसाक्ष्य में, उसने

लिखित शिकायत में उल्लिखित अपने कथन को दोहराया । अभि. सा. 1 की ब्यौरेवार प्रतिपरीक्षा की गई थी ।

(v) अभि. सा. 2 मृतक की अवयस्क पुत्री है जो घटना के समय लगभग 15 वर्ष की थी और उसने भी अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य का समर्थन किया । उसकी भी ब्यौरेवार प्रतिपरीक्षा की गई थी । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 दोनों ही इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं ।

(vi) संतोष कुमार (अभि. सा. 3) ने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 12 अक्तूबर, 1981 को पूर्वाह्न लगभग 9 बजे उसने गोली चलने की आवाज सुनी और जब वह घटनास्थल, जो लगभग 100 कदम की दूरी पर था, के समीप पहुंचा तो उसने अभियुक्त अमर सिंह और सह-अभियुक्त कृपाल सिंह को देखा जो देसी पिस्तौलों से लैस थे । अन्य सह-अभियुक्त, अर्थात् मरदान सिंह और सुल्तान सिंह उस समय मृतक पर अपनी-अपनी लाठियों से हमला कर रहे थे । उसके द्वारा उन्हें पकड़े जाने की कोशिश करने पर अभियुक्त व्यक्ति भाग गए । उसकी भी ब्यौरेवार प्रतिपरीक्षा की गई थी ।

(vii) राम सेवक सिंह, अभि. सा. 5, उप-निरीक्षक ने जो इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है, अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने तारीख 12 अक्तूबर, 1981 को अभि. सा. 1 की लिखित शिकायत को लेखबद्ध किया और उसके पश्चात् वह घटनास्थल की ओर गया । तथापि, रात्रि हो जाने के कारण उस दिन आगे और अन्वेषण नहीं किया जा सका था । अगले दिन, अर्थात् तारीख 13 अक्तूबर, 1981 को पंचनामा तैयार किया गया । मृतक के शव का साक्ष्यों की उपस्थिति में अभिग्रहण किया गया । स्थलनक्शा तैयार किया गया, सामान्य मिट्टी और साथ ही खून से सनी मिट्टी का नमूना भी लिया गया । इस साक्षी की भी ब्यौरेवार प्रतिपरीक्षा की गई थी ।

(viii) सूरज प्रसाद अग्निहोत्री (अभि. सा. 8) की, जो विद्यालयों के उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त था, मृतक के

अस्थायी स्थानांतरण के प्रयोजन के लिए परीक्षा की गई थी ।

(ix) डा. पी. सी. चौरसिया (अभि. सा. 10) ने मृतक की शव-परीक्षा की थी और इसलिए उसकी भी परीक्षा की गई थी । मृतक के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाई गई थीं –

> "(i) छाती के बायीं ओर 1 सेंमी x 1 सेंमी x छाती के गुहा जितना गहरा गोली लगने का घाव जिसका बाहरी घेरा दायीं एक्जिला के नीचे 6 सेंमी और पांचवी और छठी पसली के बीच के इन्टरकोस्टल स्थान में दाएं निप्पल से बाहर 6 सेंमी का घेरा था । घाव काला पड़ना और जलने संबंधी कोई चिह्न विद्यमान नहीं थे । त्वचा के कोने अन्दर की ओर मुड़े हुए थे ।
>
> (ii) दाहिनी बाजू के अन्दरूनी हिस्से पर 2.5 सेंमी × 1.5 सेंमी × मांसपेशी में गहरा विदीर्ण घाव था एक्जिला के केन्द्र से 5.6 सेंमी नीचे था ।

डाक्टर ने यह राय अभिव्यक्त की थी कि मृतक की मृत्यु शव-परीक्षा से लगभग दो या ढाई दिन पूर्व हुई थी और मृत्यु का कारण अग्न्यायुध से हुई क्षतियों के परिणामस्वरूप लगा आघात और रक्तस्राव है । इस साक्षी की भी प्रतिपरीक्षा की गई थी ।

4. अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी-अभियुक्त का कथन लेखबद्ध किया गया था जिसमें उसने उसके विरुद्ध फाइल किए गए साक्ष्य से इनकार किया । किसी भी प्रतिरक्षा साक्षी की परीक्षा नहीं की गई ।

5. अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, सं. 4, कानपुर ने अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् तथा अभियोजन पक्ष और साथ ही प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के पश्चात् अपने तारीख 19 मार्च, 1983 के निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन सिद्धदोष ठहराया था । तथापि, अन्य तीन सह-अभियुक्तों, अर्थात् कृपाल सिंह, सुल्तान सिंह और मरदान सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया था । उसी दिन दंडादेश

भी सुनाया गया तथा अभियुक्त-अपीलार्थी को आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है । वर्तमान दांडिक अपील में तारीख 19 मार्च, 1983 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध आक्षेप किया गया है ।

6. अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित निर्णय को मुख्यतः निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी है :-

(i) **प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के समय में विरोध है** - विद्वान् काउंसेल ने यह इंगित किया है कि घटना तारीख 12 अक्तूबर, 1981 को पूर्वाह्न लगभग 9 बजे घटित हुई थी तथापि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उस दिन पूर्वाह्न में लगभग 3.50 बजे दर्ज की गई । घटनास्थल और पुलिस थाने के बीच की दूरी 10 मील है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार 6 घन्टे से अधिक की देरी अभियोजन की संपूर्ण कहानी के लिए घातक है । उसने यह और निवेदन किया कि अभि. सा. 1 द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित शिकायत उससे लिखवाई गई थी न कि अभि. सा. 1 द्वारा स्वयं लिखी गई थी । यह और निवेदन किया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के समय में विरोध है और वह दूषित है । घटनाक्रम का उचित तरीके से वर्णन नहीं किया गया है ।

विद्वान् काउंसेल ने यह भी निवेदन किया कि लिखित तहरीर को लेखबद्ध करने के संबंध में भी कोई जी. डी. प्रविष्टि विद्यमान नहीं है । अभि. सा. 5 के साक्ष्य का अवलंब लेते हुए विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाने से अपने निकलने के समय और घटनास्थल पर पहुंचने के समय के संबंध में सुनिश्चित नहीं था ।

विद्वान् काउंसेल ने **मेहराज सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में निर्णय का अवलंब लिया है जिसके पैरा 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :-

> "12. किसी दांडिक मामले में और विशिष्ट रूप से हत्या के किसी मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विचारण के समय प्रस्तुत

---

[1] (1994) 5 एस. सी. सी. 188.

किए जाने वाले साक्ष्य के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए साक्ष्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान दस्तावेज है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को तुरन्त दर्ज किए जाने पर इतना बल देने का उद्देश्य यह है कि उन परिस्थितियों के संबंध में शीघ्रातिशीघ्र जानकारी अभिप्राप्त की जाए जिसमें अपराध किया गया था, जिसके अन्तर्गत वास्तविक अपराधियों के नाम और अपराध में उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाएं और उपयोग किए गए हथियार, यदि कोई है, और साथ ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, यदि कोई है, के नाम भी हैं । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में देरी के परिणामस्वरूप प्रायः उसमें अतिश्योक्तियां सम्मिलित हो जाती हैं, जो बाद में आने वाले किन्हीं विचारों को दर्शित करती हैं । इस विलंब के कारण, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट न केवल स्वाभाविकता के फायदे से वंचित हो जाती है अपितु इस बात का जोखिम बढ़ जाता है कि उसमें अतिश्योक्तियां और बढ़ चढ़कर कही गई कहानी सम्मिलित हो गई है । यह अवधारण करने के लिए कि क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उसी समय दर्ज की गई थी, जिस समय उसे अभिलिखित करने का अभिकथित रूप से दावा किया गया है, न्यायालय साधारणतया कतिपय बाहरी जांच का रास्ता अपनाते हैं । इन जांचों में से एक स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा हत्या के किसी मामले में विशेष रिपोर्ट के नाम से ज्ञात प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति की प्राप्ति से संबद्ध है । यदि यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट द्वारा देरी से प्राप्त की गई है तो इससे तब तक यह निष्कर्ष निकल सकता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उस समय दर्ज नहीं की गई थी, जिस समय उसे अभिलिखित करने का दावा किया गया है, जब तक कि अभियोजन पक्ष स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति की प्राप्ति के संबंध में या ऐसी प्रति को प्रेषित करने में हुए विलंब के लिए किसी समाधानप्रद स्पष्टीकरण का प्रस्ताव न करे । अभियोजन पक्ष ने इस निमित्त कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । दूसरी समान रूप से बाह्य महत्वपूर्ण जांच मृत शरीर को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति के साथ भेजना और उसका मृत्युसमीक्षा में किया जाने वाला प्रतिनिर्देश है । यद्यपि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के

अधीन तैयार की जाने वाली मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट का उद्देश्य एक कानूनी कृत्य सिद्ध करना है जिसके द्वारा अभियोजन के पक्षकथन को विश्वसनीयता प्रदान की जा सके क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के ब्यौरे और मृत्युसमीक्षा संबंधी कार्यवाहियों के दौरान अभिलिखित किए गए कथनों का सार रिपोर्ट में प्रकट होता है । इन ब्यौरों की अनुपस्थिति इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि अभियोजन पक्ष की कहानी अभी अधपकी अवस्था में है और उसे कोई ठोस आकार नहीं दिया गया और यह भी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सम्यक् विचार-विमर्श और परामर्श करने के पश्चात् किसी पश्चात्वर्ती समय पर लिखी गई और उसे तुरन्त दर्ज की जाने वाली प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में दर्शित किया गया और इस प्रकार उसमें समय का विरोध था । हमारी राय में, ऊपर उल्लिखित विरोधों के कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ने अपना मूल्य और सत्यता खो दी है और हमें यह प्रतीत होता है कि उसमें समय का विरोध अन्तर्निहित है और उसे अभि. सा. 8 द्वारा घटनास्थल पर मृत्युसमीक्षा कार्यवाहियों के पूरा होने तक अभिलिखित नहीं किया गया था ।"

(ii) **बाल साक्षियों के परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है** – अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2, अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बाल साक्षी हैं और इसलिए उनके परिसाक्ष्यों पर विश्वास करना सुरक्षित नहीं है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के साक्ष्य के संबंध में अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि इन अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के घटनास्थल पर उपस्थित होने में संदेह है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का व्यवहार भी प्राकृतिक नहीं था क्योंकि वे अपने पिता को बचाने के लिए आगे नहीं आए इसकी बजाय वे घटनास्थल से भाग गए थे । अपने इस तर्क पर बल देने के लिए विद्वान् काउंसेल ने **दिगंबर वैष्णव और अन्य** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलंब लिया है जिसके पैरा 22 और 23 में निम्नानुसार

---

[1] (2019) 4 एस. सी. सी. 522.

अभिनिर्धारित किया गया है :-

"22. इस न्यायालय ने निरन्तर यह अभिनिर्धारित किया है कि बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन अति सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए क्योंकि बालक भावनात्मक रूप से उन बातों से अस्थिर हो सकता है जो उसे दूसरों द्वारा बताई जाती हैं और वह सुगमता से सुनी-सुनाई बातें कही जाने का शिकार हो सकता है । अतः, किसी बाल साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास करने से पूर्व उसका पर्याप्त रूप से पुष्टिकरण किया जाना अपेक्षित है । यह विधि की बजाय प्रज्ञा का एक व्यवहारिक नियम है । [पंछी और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 7 एस. सी. सी. 177, उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** अशोक दीक्षित और अन्य (2000) 3 एस. सी. सी. 70 और राजस्थान राज्य **बनाम** ओमप्रकाश (2002) 5 एस. सी. सी. 745) वाले मामले देखिए]

23. अलागुपांडी **उर्फ** अलागुपांडियन **बनाम** तमिलनाडु राज्य [(2012) 10 एस. सी. सी. 451] वाले मामले में इस न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि किसी बालक के परिसाक्ष्य को स्वीकार करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है और उस पर विश्वास करने से पूर्व उसके संबंध में सारवान् पुष्टिकरण किया जाना चाहिए । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि -

"36. विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई बाल साक्षी तभी एक सक्षम साक्षी हो सकता है जब ऐसे साक्षी का कथन विश्वसनीय और सत्य हो तथा उसे अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा उचित रूप से पुष्ट किया जाए । कोई न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षित रूप से किसी बाल साक्षी के कथन पर विश्वास कर सकता है और वह उसे दोषसिद्धि का आधार भी बना सकता है । इसके अतिरिक्त, किसी बाल साक्षी का साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले की व्यष्टिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी । किसी बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को

केवल अपने विचार में यह बात लेनी होगी कि ऐसा साक्षी विश्वसनीय है और उसका व्यवहार किसी भी अन्य सक्षम साक्षी के समान होना चाहिए और यह भी कि ऐसे किसी बाल साक्षी को सिखाए-पढ़ाए जाने की कोई संभावना विद्यमान नहीं है । ऐसा कोई नियम या व्यवहार नहीं है कि प्रत्येक मामले में ऐसे बाल साक्षी के साक्ष्य को, दोषसिद्धि मंजूर करने से पूर्व किसी अन्य साक्ष्य द्वारा पुष्ट किया जाए किन्तु प्रज्ञा के नियम के रूप में न्यायालय को सदैव यह वांछनीय प्रतीत होना चाहिए कि वह ऐसे साक्ष्य की पुष्टि अभिलेख पर रखे गए अन्य विश्वसनीय साक्ष्य से करे । इसके अतिरिक्त, ऐसी कोई विधि विद्यमान नहीं है कि यदि साक्षी कोई बालक है तो उसके साक्ष्य को विश्वसनीय पाए जाने पर भी परित्यक्त किया जाए ।"

(iii) **अभियुक्त-अपीलार्थी अन्य तीन सह-अभियुक्तों की दोषमुक्ति संबंधी फायदे का हकदार है** – अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के आधार पर इस बात का उल्लेख किया है कि तीन सह-अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया था क्योंकि उक्त तीन सह-अभियुक्तों के दोष को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अपर्याप्त पाया गया । चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अन्य तीन सह-अभियुक्तों की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं समझा गया है इसलिए वही समान साक्ष्य अपीलार्थी-अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकता । इस संबंध में विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित निर्णय के पैरा 43 का अवलंब लिया है जिसे यहां नीचे उद्धृत किया गया है –

"43. जैसा कि पहले ही ऊपर कथन किया गया है घटना के समय और स्थान पर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की मौजूदगी प्राकृतिक है और उसे संदेहास्पद नहीं माना जा सकता । निःसंदेह रूप से, उनके कथनों में कुछ अतिश्योक्तियां हैं, जो मात्र इस कारण से हुई प्रतीत होती हैं

क्योंकि उनका उल्लेख अभियुक्त कृपाल सिंह, मरदान सिंह और सुल्तान सिंह को अपराध में संलिप्त करने के लिए पुलिस के परामर्श से स्वयं प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किया गया था । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने इस प्रभाव का कथन किया है कि अभियुक्त कृपाल सिंह ने भी मृतक पर गोली चलाई थी, जो उसके बाएं गाल पर लगी थी और यह कि अभियुक्त मरदान सिंह और सुल्तान सिंह मृतक का गला दबा रहे थे, चिकित्सीय साक्ष्य के विरोध में है और इसलिए इन तीन अभियुक्तों की अपराध में भागीदारी सुसंगत संदेह और शक से परे नहीं है ।"

(iv) **किसी भी हेतु और बरामदगी का न होना** – अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने यह भी निवेदन किया है कि अपीलार्थी-अभियुक्त के पास मृतक की हत्या करने का कोई हेतु नहीं था और अभियोजन अपराध में उपयोग किए गए हथियार की बरामदगी करने में भी असफल रहा है । हेतु की अनुपस्थिति और घटना में उपयोग किए गए हथियार की अभिकथित रूप से बरामदगी न हो पाना स्वयं में ही पूर्ण रूप से अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है ।

7. इसके विपरीत राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है ।

8. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई की और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया ।

9. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा किए गए निवेदनों के संबंध में हमारे द्वारा निम्नानुसार विचार-विमर्श किया गया :–

(i) **क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समयातीत है या नहीं ?**

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना तारीख 12 अक्तूबर, 1981 को पूर्वाह्न में लगभग 9 बजे घटित हुई थी और पुलिस थाना मंगलपुर, जिला कानपुर नगर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उसी दिन अपराह्न में लगभग 3.15 बजे दर्ज की गई थी । घटनास्थल और पुलिस

थाने के बीच की दूरी लगभग 10 मील, अर्थात् लगभग 16 किलोमीटर है । वर्तमान मामले में मृतक व्यक्ति अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का पिता था, जिन्होंने अपने पिता पर हुए हमले को देखा था । घटना की तारीख को अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2, दोनों ही अवयस्क थे । पुलिस थाने जो घटनास्थल से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, में अवयस्क बालकों जिनके पिता पर गोली चलाई गई थी और जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी, द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए लगभग 6 घन्टे के विलंब को अयुक्तियुक्त विलंब नहीं माना जा सकता और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के बारे में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि वह समय के विरोध में है । अभि. सा. 1 की उस समय की मानसिक स्थिति, जब उसके पिता पर उसके सामने ही हमला करके मार डाला गया था, को ध्यान में रखते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुए 6 घन्टे के विलंब को भलीभांति समझा जा सकता है ।

इस मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को तुरन्त दर्ज किया गया समझा जा सकता है । यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि तहरीर स्वयं उसके द्वारा उसकी जीव विज्ञान की कापी से एक पन्ना फाड़कर लिखी गई थी । रिपोर्ट लिखते समय वह रो रहा था और उसे वह रिपोर्ट लिखने में लगभग डेढ़ घन्टे का समय लगा । अतः अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल की ओर से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के समय के विरोध में होने से संबंधित निवेदन को नामंजूर किया जाता है ।

सत्य राज सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित हाल ही के निर्णय के पैरा 26, 27 और 28 को उद्धृत करना सुसंगत होगा :-

> "26. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की इस अगली दलील का संबंध है कि चूंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने में

[1] (2019) 3 एस. सी. सी. 615.

विलंब हुआ था इसलिए अभियोजन के पक्षकथन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, इसे उच्च न्यायालय द्वारा सही रूप से नामंजूर कर दिया गया था ।

27. इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्रश्नगत घटना तारीख 19 सितंबर, 1999 को अपराह्न लगभग 7.30 बजे घटित हुई थी जबकि अभि. सा. 1 द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अगले दिन अर्थात् तारीख 20 सितंबर, 1999 को पूर्वाह्न लगभग 9 बजे दर्ज की गई थी । इस संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि पुलिस थाना घटनास्थल से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित था ।

28. हमारी राय में, चूंकि भईया की मृत्यु घटना के कुछ घंटों के पश्चात् हो गई थी और उस समय तक देर रात्रि हो चुकी थी अतः परिवादी के लिए उस समय घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर स्थित पुलिस थाने जाकर शिकायत करना और इतनी देर रात्रि में रिपोर्ट/प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना संभव नहीं था । इन परिस्थितियों में, यदि अभि. सा. 1 रिपोर्ट/प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अगले दिन प्रातः निकलता है और पूर्वाह्न लगभग 9.30 बजे रिपोर्ट/प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि रिपोर्ट/प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ था ।"

सर्वोच्च न्यायालय ने **रविन्द्र कुमार और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में पारित निर्णय के पैरा 14 और 15 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

"14. जब किसी मामले में इस आधार पर आलोचना की जाती है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ है तो न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि ऐसे विलंब के लिए कारण क्या है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब होने के अनेकों वास्तविक कारण हो सकते हैं । ग्रामीण जनता इस बात से अनभिज्ञ हो सकती है कि किसी अपराध के बारे में बिना

---

[1] (2001) 7 एस. सी. सी. 690.

किसी देरी के पुलिस को तुरन्त सूचना देना आवश्यक है । इस प्रकार की अज्ञानता शहरी लोगों के बीच भी असामान्य नहीं है । वे भी तुरन्त पुलिस थाने जाने के बारे में नहीं सोचते हैं । एक अन्य संभावना यह भी है कि पर्याप्त परिवहन सुविधाओं के अभाव में जानकारी देने वाले व्यक्ति पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पाते हैं । तीसरी संभावना, जो कि काफी सामान्य है, यह है कि मृतक व्यक्ति के निकट संबंधियों को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के प्रयोजन हेतु पुलिस थाने जाने के लिए एक उचित मनस्थिति या भावनाओं पर नियंत्रण वापस प्राप्त करने हेतु काफी लम्बा समय लग जाता है । एक अन्य कारण यह भी है कि ऐसे व्यक्ति जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी जानकारी स्वयं प्रस्तुत करें शारीरिक रूप से इतने अशक्त हो सकते हैं कि घटना के संबंध में कोई ठोस जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस को उन तक आना पड़े ।

15. हम ऐसी घटनाओं की कोई वृहत सूची उपलब्ध कराने की मंशा नहीं रखते हैं जिनके कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब हो सकता है । हमारा प्रयास केवल यह इंगित करना है कि दांडिक न्यायालयों में आमतौर पर की जाने वाली इस अनुचित मांग कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी मात्र के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दूषित माना जाए, को विधिक उप सिद्धांत के रूप में अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाती है । किसी भी दशा में जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में कोई विलंब हुआ है वहां न्यायालय को उसके कारणों के संबंध में विचार करना चाहिए और यदि ऐसे कारण दर्ज की गई शिकायत में कोई हेर-फेर करने के प्रयास के परिणामस्वरूप नहीं हुए हैं तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलंब मात्र की अनदेखी की जानी चाहिए । [जहूर **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (1991) सप्ली (1) एस. सी. सी. 372; तारा सिंह **बनाम** पंजाब राज्य (1991) सप्ली (1) एस. सी. सी. 536; जमना **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (1994) 1 एस. सी. सी. 188] । तारा सिंह (उपरोक्त) वाले मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षण किए –

"यह सुस्थापित है कि केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट देने में हुए विलंब को अभियोजन के पक्षकथन पर संदेह करने का कारण नहीं माना जा सकता है । भारत में विद्यमान वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम इन ग्रामीण व्यक्तियों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे घटना के तुरन्त पश्चात् पुलिस थाने दौड़े-दौड़े जाएंगे । मानव की प्रकृति ऐसी है कि पीड़ित व्यक्ति के ऐसे निकट संबंधियों जिन्होंने घटना को देखा है, से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे यांत्रिक रूप से व्यवहार करेंगे और तुरन्त ही घटना की रिपोर्ट पुलिस को प्रदान करेंगे । ऐसी आपदा के कारण अनेक समयों पर दुखी होने पर उन्हें अक्सर यह बात महसूस ही नहीं हो पाती कि उन्हें उसकी रिपोर्ट देनी चाहिए । वस्तुतः ऐसी परिस्थितियों में यह उनके लिए प्राकृतिक है कि वे अपने मनोभावों पर कुछ समय में नियंत्रण पाकर उसके पश्चात् रिपोर्ट देने के लिए पुलिस थाने जाएं ।"

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया है)

उपरोक्त मत को बल देने के लिए हम यह महसूस करते हैं कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की संगतता के मुद्दे से संबंधित **शेख हासिब** उर्फ **तबरक** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया जा सकता है । इस निर्णय के पैरा 4 के सुसंगत भाग का उद्धरण नीचे दिया गया है :–

"प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के उद्देश्य, मूल्य और उपयोग से संबंधित विधिक स्थिति सुस्थापित है । जानकारी देने वाले व्यक्ति के नजरिये से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने का मुख्य उद्देश्य दांडिक विधि को क्रियाशील बनाना है और अन्वेषण प्राधिकारियों के नजरिये से उसका उद्देश्य अभिकथित दांडिक क्रियाकलाप के संबंध में ऐसी जानकारी प्राप्त करना है जिससे वे दोषी पक्षकार का पता लगाने और उसे विचारणाधीन करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने

[1] (1972) 4 एस. सी. सी. 773.

में समर्थ हो सकें । इसके अतिरिक्त उल्लेख किया जा सकता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट किसी सारवान् साक्ष्य का गठन नहीं करती है यद्यपि किसी अपराध के गठित होने के संबंध में पूर्वतम जानकारी प्रेषित करने में इसके महत्व के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता । तथापि, इसका उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 157 के अधीन इसे दर्ज करने वाले व्यक्ति के पूर्व कथन को या तो पुष्ट करने के प्रयोजन के लिए अथवा उसके कथन में विरोधाभास को इंगित करने के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है । इसका उपयोग अन्य साक्षियों के कथनों को पुष्ट करने या उनमें विरोधाभासों को इंगित करने के प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता ।"

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया है)

(ii) **बाल साक्षियों (अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2) का परिसाक्ष्य विश्वसनीय है अथवा नहीं ?** – हमने सावधानीपूर्वक सुनील दत्त (अभि. सा. 1) और सुनीता वर्मा (अभि. सा. 2) के साक्ष्यों पर विचार किया है । दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन पक्ष की कहानी का पूर्णतया समर्थन किया है । दोनों साक्षी अपनी ब्यौरेवार प्रतिपरीक्षा के दौरान भी अपने कथनों पर अडिग रहे और उन्हें विचलित नहीं किया जा सका था । उन्होंने हमले की रीति का भी वर्णन किया । दोनों साक्षियों ने घटना को 10-12 कदम की निकट की दूरी से देखा था । दोनों साक्षी अपने पिता के साथ अपने विद्यालय जा रहे थे और साक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूप से यह बात स्पष्ट की गई है कि वे अपने विद्यालय को जाने वाले अपने सामान्य मार्ग का ही अनुसरण कर रहे थे । दोनों साक्षियों ने अभियुक्त-अपीलार्थी और अपने मृतक पिता के बीच पूर्व शत्रुता और अपने मृतक पिता द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 352, 504 और 506 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने का भी उल्लेख किया है । बाल साक्षियों के परिसाक्ष्यों को अभिलिखित किए जाने से पूर्व ही विद्वान् विचारण न्यायालय ने किसी बाल साक्षी के साक्ष्यों को

अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए उनकी मानसिक बुद्धिमत्ता को अभिनिश्चित कर लिया था । दिगम्बर वैष्णव (उपरोक्त) वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी बालक के परिसाक्ष्य को सावधानीपूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता पर बल दिया है । योगेश सिंह **बनाम** महाबीर सिंह और अन्य (2017) 11 एस. सी. सी. 195 वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 22 और 23 में बाल साक्षियों के परिसाक्ष्य के मुद्दे पर निम्नानुसार विचार किया है –

> "22. यह सुस्थापित है कि किसी बाल साक्षी के साक्ष्य के संबंध में, उसका अवलंब लेने से पूर्व पर्याप्त पुष्टिकरण प्राप्त कर लेना चाहिए क्योंकि पुष्टिकरण से संबंधित नियम विधि का नियम न होकर व्यवहारिक प्रज्ञा का नियम है । [प्रकाश **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (1992) 4 एस. सी. सी. 225; बेबी कन्दयानाती **बनाम** केरल राज्य (1993) सप्ली (3) एस. सी. सी. 667; राजाराम यादव **बनाम** बिहार राज्य (1996) 9 एस. सी. सी. 287; दत्तु रामराव सखारे **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (1997) 5 एस. सी. सी. 341; उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** अशोक दीक्षित और अन्य (2000) 3 एस. सी. सी. 70; सूर्य नारायण **बनाम** कर्नाटक राज्य (2001) 9 एस. सी. सी. 129] ।
>
> 23. तथापि, यह विधि नहीं है कि यदि साक्षी कोई बालक है तो विश्वसनीय पाए जाने पर भी उसके साक्ष्य को नामंजूर किया जाएगा । अपितु विधि यह है कि किसी बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन अत्यंत सावधानीपूर्वक और वृहत्तर सतर्कता से किया जाना चाहिए क्योंकि कोई बालक ऐसी बातों से प्रभावित हो सकता है जो अन्य व्यक्ति उसे बताएं और इस प्रकार कोई बाल साक्षी सुगमता से लिखा-पढा हुआ कथन करने का शिकार हो सकता है । [पंछी **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 7 एस. सी. सी. 177] ।
>
> (बल देने के लिए रेखांकित किया गया है)

सुगम संदर्भ के लिए अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य (प्रतिपरीक्षा) के सुसंगत भाग को नीचे उद्धृत किया गया है :–

अभि. सा. 1 (सुनील दत्त)

"11. मेरे गांव से 1 फरलांग नहर दक्षिण की ओर है । नहर पश्चिम से पूरब को बहती है । अपने गांव से नहर पिन्डार्थू पुल होकर आते हैं । इस पुल से थोड़ी दूर हटकर नहर की बम्बी निकली है जो दक्षिण को जाती है । 4-5 फरलांग बाद मुगल रोड से मिल जाती है । यही सड़क पश्चिम औरइय्या जाती है । बम्बी से औरइय्या 6-7 मील है मुगल रोड के रास्ता से । उस पुल के पश्चिम दूसरा पुल पिन्डार्थू का पुराना है । इन दोनों पुलों में 3-4 फरलांग का अन्तर है । इस पुराने पुल के पश्चिम तरफ कलोसर का खारजा है । इस खारजा पर कोई निर्माण नहीं चल रहा है । पुराने पुल से एक मील पर तुतुवापुर का पुल है । मेरे पिता तुतुवापुर में पढ़ाते हैं । तुतुवापुर पुल से वह स्कूल दक्षिण मौजा तुतुवापुर में है । नहर के दक्षिण तुतुवापुर की तरफ बम्बी चलती है । मौजा तुतुवापुर बम्बी के दक्षिण मिला हुआ है । नहर व बम्बी के बीच में 100-125 गज का फासला है । तुतुवापुर के पश्चिम गाजीपुर का पुल लगभग 1 मील के फासले पर है । गाजीपुर के पुल से पश्चिम भंडारीपुर का पुल करीब 1-1½ मील है । भंडारीपुर के पुल के पश्चिम मिर्जापुर का पुल 5-6 फरलांग दूर है । मिर्जापुर के पुल से राहतपुर का पुल एक या सवा मील पश्चिम में है । इस पुल से मेरा स्कूल 2-3 फरलांग है । गांव से स्कूल पहुंचने में करीब एक या पौन घन्टा लगता है । यह गलत है कि मैं या मेरी बहिन ममाने रुक जाते थे ।

11. घटना के दिनों रबी की जुताई चल रही थी । सुबह 4-5 बजे से 11 बजे दिन तक खेतों की जुताई करते थे । उस दिन रास्ते में खेतों में जुताई नहीं हो रही थी घटनास्थल तक इधर-उधर को आदमी जुताई करते नहीं देखा । कसोला खारजा से एक फरलांग पश्चिम में पिता के गोली लगी ।

14. रिपोर्ट मैंने अपने आप से लिखी थी किसी की मदद से नहीं । इसके पहले मैंने रिपोर्ट नहीं लिखी । मौके पर किसी ने कहा था कि रिपोर्ट लिखकर ले जावो । रिपोर्ट लाश के 2-4 कदम दूर बैठकर लिखी थी । कागज कापी से फाड़ लिया था । रिपोर्ट लिखते समय रोना-पीटना मचा था । रिपोर्ट लिखते समय मेरे आंसू बह रहे थे । बालोजी के कापी से कागज फाडकर रिपोर्ट लिखी थी । वह कापी दोनों तरफ सादी थी । रिपोर्ट लिखने में एक 1-1½ घंटा लगे थे । रिपोर्ट फाउन्टेन पेन से लिखी थी । फिर कहा डाटपेन से लिखी थी । रिपोर्ट में यह सही लिखा था कि लाश के पास अपने घर वालों व गांव वालों को छोडकर आया हूं ।

टू बी कान्टीन्यूड पुट अप टूमारो

कोर्ट सर्टिफिकेट

ह. अ.

पंचम एडि. डिस्ट्रिक्ट एण्ड

सेशन जज कानपुर

15 - 28.7.82

कान्टीन्यूड आन ओथ

रिपोर्ट में मैंने लिख दिया था कि हम लोगों ने साइकिल गिरा दिया पिता जी आगे बढ़ गए हम लोग पीछे रह गए । दरोगा जी को अपने बस्ते नहीं दिखाए थे । बस्ते मौके पर छोड़ गए थे । पिता जी की व अपनी साइकिल दरोगा जी को नहीं दिखाई दरोगा जी ने साइकिल व बस्ते की बाबत पूछा था मौके पर । चूंकि बस्ते व साइकिल मौके पर नहीं थी इसलिए नहीं दिखाई । बाद में साइकिल व बस्ते मुझे नहीं मिले पता नहीं कहां गए । 15-20 कदम दूर से मुल्जिमान को पहली बार देखा । उस समय मुल्जिमान बम्बे की पटरी के उत्तर 10-12 हाथ पर थे । वह जगह बम्बे की पटरी से 2½ फुट नीचे थी । मेरी नजर अमर सिंह के चिल्लाने पर मुल्जिमान पर पड़ी थी । अमर सिंह के ललकारने पर

पर मुल्जिमान के हथियार भी देखे थे । उन्हें देखकर हमले का भय भी लगा था । साइकिल छोड़कर पिताजी पश्चिम की ओर बढे । 10-12 कदम बढे तभी हमला हुआ था । मुल्जिमान ने आगे से पश्चिम की ओर से घेरा फिर कहा घेरा नहीं तुरन्त नहर पटरी से फायर दिया । मुल्जिमान पटरी पर मेरे पिता के उत्तर थे 2 मुलजिम पश्चिम में आ गए 2 उत्तर की तरफ थे उत्तर में कृपाल सिंह व अमर सिंह थे । पश्चिम में मुल्जिमान मेरे पिता से हाथ 2 हाथ दूर थे । उत्तर वाले भी इतनी दूर पर थे । मुल्जिमान ने आते ही पिता जी पर फायर कर दिया । गोली चलाने के लिए मुल्जिमान पीछे नहीं हटे थे । तमन्चों की नालें करीब 2½ इंच मोटी थी । मालूम नहीं कृपाल सिंह की गोली पिताजी के लगी या नहीं । कृपाल सिंह ने उत्तर से फायर किया उस समय मेरे पिता का मुंह दक्षिण की ओर था और अमर सिंह के फायर करते समय मेरे पिता का मुंह पश्चिम तरफ था । रिपोर्ट में यह लिखा था कि कृपाल सिंह ने फायर किया जो पिता के बाईं गाल पर लगा और वह गिर गए । दरोगा जी को बयान दिया था कि कृपाल सिंह ने तमन्चा से फायर किया जो पिता के बाईं गाल पर लगा और वह गिर गए । रिपोर्ट में मैंने यह बात सही लिखी थी । पूरी घटना 1 या 2 मिनट में हो गई थी । लाठी से गला दबाने से गले में गड्ढा बन गया था । पंचायतनामा के समय मैं मौजूद था । यह गलत है कि मैंने कोई घटना नहीं देखी और सिखाने से झूठ बोल रहा हूं ।

अभि. सा. 2 (सुनीता वर्मा)

"तुतवापुर गांव से दो मील है । राहतपुर गांव से 6-7 मील है । नहर से तितवा करीब 2, 3 फरलांग है पुलिस से । तितवापुर से पिता जी साइकिल से चलाकर ले जाती थी । मैं साइकिल पर पीछे बैठी थी ।

घर से चलने पर मौके तक कई लोग मिले थे । जान-पहचान के । कोई नहीं था । आसपास के खेतों में जुताई नहीं हो रही थी । जुताई सूर्य निकलने से पहले ही बन्द हो जाती है ।

मुल्जिमान को मैंने पहले पहल 6-7 कदम की दूरी से देखा था । मुल्जिमान उत्तर से आए थे । मुल्जिमान ललकारते हुए नहर की पटरी पर चढ गए थे । मुल्जिमान जिधर हम जा रहे थे उससे आगे थे । यह सही है कि साइकिलों से उतरते-उतरते यह लोग पटरी पर आ गए थे । सही है कि मुल्जिमान ने हमें पश्चिम से घेर लिया था । तब पिताजी कुछ पश्चिम को भागे और हम पूर्व को हट गए । पिताजी 10-12 कदम पश्चिम भागे थे ललकारने की जगह से गोली मारने से पहले नहीं घेराया । ऐसा नहीं था कि गोली मारने से पहले घेरकर खडे हो गए हो । हम मुल्जिमान के ललकारने पर पूर्व को ही गए थे पिताजी के घेरने पर नहीं । मैंने दरोगा जी को यह बयान दिया था कि नहर पर आकर चारों घेरकर खडे हो गए हम दोनों भाई बहन डर के मारे दूर जाकर खडे हो गए अमर सिंह ने मेरे पिता जी पर फायर किया । दरोगाजी ने मेरा बयान ऐसा कैसे लिख लिया नहीं कह सकती ।

कृपाल सिंह का फायर पिता जी को कहां लगा था लगा कि नहीं मैंने नहीं देखा । मैंने कृपाल सिंह का फायर पिताजी की कनपटी पर लगते नहीं देखा । मैंने केवल एक गोली लगते देखा था । मैंने दो गोली लगते नहीं देखा था । मैंने दरोगाजी को यह नहीं कहा था कि कृपाल सिंह का फायर कनपटी पर लगा । दरोगाजी को मैंने दो गोली लगना नहीं बताया था । अगर मेरे बयान में कनपटी पर फायर लगना व दो गोली लगना कैसे लिख लिया नहीं कह सकती ।

लाठी से गला 1, 2 सेकेन्ड के लिए दबाया होगा । तब तक मलखान सिंह व दूसरी तरफ सुलतान सिंह लाठी दबा रहे थे । मेरे पिताजी खून से लथपथ हो गए थे ।

कुल घटना में 1, 2 मिनट लगे होंगे । हमारे चिल्लाने के तुरन्त बाद लालाराम आदि आ गए थे । मैंने इन्हें 35-40 कदम की दूरी से देखा था । यह लोग पश्चिम तरफ से आए थे । ऐसा नहीं कि (अप.) पूर्व तरफ से आए हों । जब गवाहान को मैंने देखा तब मुल्जिमान लाठी से गला दबा रहे थे । तीनों गवाहान तब

साइकिल पर थे । उन्होंने साइकिल वहीं छोड़ दी जहां मैंने उन्हें पहले पहल देखा । साइकिल छोड़कर पिताजी की तरफ ईंटा लेकर दौड़े थे । 15-20 कदम पिताजी से दूर थे कि मुल्जिमान ने गला दबाना छोड़ दिया और भागे । ईंट पत्थर फेंका कि नहीं ध्यान नहीं ललकारा था । ईंट पत्थर हाथ में लेकर ।

गवाहान ने खुद मारते हुए देख लिया था हमने उन्हें किस्सा नहीं बताया । गवाहान ने मारने वालों की तलाश नहीं की । पीछा भी नहीं किया । मैंने व भाई ने पिता जी को नहीं छुवा गवाहान ने छूने नहीं दिया । मैंने ध्यान नहीं दिया कि पिताजी के साइकिल का हैण्डिल टेढ़ा हो गया था कि नहीं । पुलिस के आने तक मैं घटनास्थल पर ही रही थी । पुलिस रात 10½, 11 बजे आई थी । उजाली रात थी कोई गैस लालटेन नहीं जलाई थी । पुलिस के आने पर भी कोई रोशनी नहीं की गई ।"

यह स्पष्ट है कि बाल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2) विश्वसनीय हैं और सत्य कह रहे हैं और साथ ही उन्हें सिखाया पढ़ाया गया नहीं है क्योंकि वे एक लम्बी दुरह प्रतिपरीक्षा के दौरान भी अपने-अपने कथनों पर अडिग बने रहे । इन साक्षियों ने सम्पूर्ण घटना को विनिर्दिष्ट शब्दों में वर्णित किया है । चूंकि अपीलार्थी-अभियुक्त उन्हीं के गांव का था इसलिए अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 को उसकी पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं हुई ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए इस निवेदन को कि बाल साक्षियों का साक्ष्य नामंजूर किए जाने का दायी है, स्वीकार नहीं किया जा सकता । हमने दोनों बाल साक्षियों के परिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है और हमारा यह निश्चित मत है कि दोनों बाल साक्षियों ने घटना को देखा है और वे विश्वसनीय हैं तथा सत्य कह रहे हैं । दोनों साक्षियों ने अत्यंत विनिर्दिष्ट शब्दों में अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उनके पिता की छाती में गोली मारी थी । उन्होंने काफी कम दूरी से इस सम्पूर्ण घटना को देखा था । घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति प्राकृतिक थी क्योंकि वे अपने दैनिक

कार्यक्रम के अनुसार विद्यालय जा रहे थे । इस प्रकार, अपीलार्थी-अभियुक्त के तर्क का समर्थन नहीं किया जा सकता है ।

(iii) **क्या हत्या के हथियार का बरामद न होना अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है अथवा नहीं** ? – अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से यह दलील दी गई है कि वर्तमान मामले में घटना में उपयोग किया गया हथियार और साथ ही वह साइकिल भी बरामद नहीं हुई है जिस पर मृतक व्यक्ति जा रहा था । अतः, ऐसी बरामदगी की अनुपस्थिति में अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि तर्कसंगत नहीं है । इस संबंध में, **मृत्युंजय बिस्वास** बनाम **प्रणव** उर्फ **कुट्टी बिस्वास**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सुसंगत है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

> "33. प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने हमारे समक्ष यह अनुरोध किया है कि अभियुक्त से किसी भी प्रकार के हथियार की बरामदगी नहीं हुई है और इसलिए अभियोजन का पक्षकथन सिद्ध नहीं होता है और इसलिए दोषमुक्ति के निर्णय में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।
>
> 34. लक्ष्मी और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(2002) 7 एस. सी. सी. 198= ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 3119 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. डब्ल्यू. 3596] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि –
>
> > "निःसंदेह रूप से, दंड संहिता की धारा 302 के अधीन किसी अपराध के आरोप को सिद्ध करने के लिए किसी सामान्य मामले में अभियोजन द्वारा मृतक की शनाख्त, मृत्यु का कारण और उस हथियार की बरामदगी, जिससे मृतक को क्षति पहुंचाई गई थी आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य स्थापित किए जाने चाहिए । तथापि, यह कोई अनमनीय नियम नहीं है । इसे विधि की एक साधारण और वृहत प्रतिज्ञप्ति के रूप में नहीं निर्धारित किया जा सकता कि

---

[1] (2013) 12 एस. सी. सी. 796.

जहां इन पहलुओं को स्थापित नहीं किया गया है वहां यह अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक होगा और ऐसे सभी मामलों और घटनाओं में इसका परिणाम ऐसे व्यक्तियों की दोषमुक्ति होगा जिन्हें हत्या के अपराध के लिए आरोपित किया गया हो ।"

35. लखन साव **बनाम** बिहार राज्य और अन्य [(2000) 9 एस. सी. सी. 82 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2063 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. डब्ल्यू. 1955] वाले मामले में यह राय अभिव्यक्त की गई है कि जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य स्वीकार्य है वहां पिस्तौल या चले हुए कारतूस का बरामद न होना अभियोजन के पक्षकथन को निर्बल नहीं करता है ।

36. राजस्थान राज्य बनाम अर्जुन सिंह और अन्य [(2011 9 एस. सी. सी. 115 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 3380 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. डब्ल्यू. 5295] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत अभिव्यक्त किया है –

"18. ..... <u>जहां अकाट्य और प्रत्यक्ष साक्ष्य स्वीकार्य है वहां पिस्तौल या चले हुए कारतूस की बरामदगी न होना अभियोजन के पक्षकथन को निर्बल नहीं करता है ।</u> इसी प्रकार चले हुए छर्रों, रक्त से सने कपड़ों आदि की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य की अनुपस्थिति में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता या यह नहीं माना जा सकता कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी ।

इस प्रकार जब पर्याप्त स्पष्ट प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है और उसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से हो गई है तो हथियार का बरामद न होना अभियोजन के पक्षकथन को प्रभावित नहीं करेगा ।"

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया है)

जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि

हथियार या अन्य सुसंगत सामग्री का बरामद न होना अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होगा, जैसा कि वर्तमान मामले में है, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य ठोस और विश्वसनीय है । इस प्रकार, अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से दी गई इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

(iv) **क्या हेतु का न होना अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है ?** – अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के साक्ष्य से यह बात सामने आई है कि मृतक और अभियुक्त-अपीलार्थी के बीच पूर्व शत्रुता विद्यमान थी । इस मुद्दे पर बाल साक्षियों के कथन को गलत साबित करने के लिए प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था । यह सुस्थापित है कि हेतु की अनुपस्थिति में भी जहां कहीं अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है वहां उसका अवलंब लिया जा सकता है और उसके आधार पर दोषसिद्धि के आदेश को पारित किया जा सकता है । हेतु की अनुपस्थिति भी दोषसिद्धि के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । वर्तमान मामले में, अभिलेख पर यह स्पष्ट है कि मृतक ने तारीख 11 नवंबर, 1980 को अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी अतः अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपराध किए जाने के हेतु को साबित किया है । **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **बाबू राम**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 12 में निम्नानुसार कथन किया है :–

> "12. इस संदर्भ में हम उसी बात को दोहराएंगे जिसे इस न्यायालय द्वारा नथुनी यादव **बनाम** बिहार राज्य [(1998) 9 एस. सी. सी. 238] और हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** जीत सिंह [(1999) 4 एस. सी. सी. 370] में हेतु संबंधी साक्ष्य के मूल्य और अभियोजन द्वारा उसे साबित करने में असफल रहने के परिणामों के संबंध में कथित किया है । पश्चात्वर्ती निर्णय के निम्नलिखित पैरा को उद्धृत किया जा सकता है –
>
> "निःसंदेह रूप से यह एक उपयुक्त सिद्धांत है कि प्रत्येक

[1] (2000) 4 एस. सी. सी. 515.

आपराधिक कार्य किसी हेतु के साथ किया जाता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा उसे करने के सटीक हेतु को साबित करने में असफल रहता है तो उस दशा में कोई भी दांडिक अपराध नहीं किया गया है । जब अभियोजन पक्ष अभियुक्त के हृदय में पीड़ित के प्रति कुछ क्रोध की संभावना को दर्शित करने में सफल हो जाता है वहां उस रीति को, जिसमें अपराधी के मस्तिष्क में ऐसा क्रोध उस हद तक बढ़ गया कि वह पीड़ित के विरुद्ध अपराध करने के लिए प्रेरित हो गया, अभिलेख पर आगे और साबित करने में असमर्थ रहने को अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक निर्बलता के रूप में नहीं माना जा सकता है । अभियोजन पक्ष के लिए यह लगभग असंभव है कि वह किसी अपराधी की पीड़ित व्यक्ति के प्रति मानसिक दशा को उसके पूर्ण आयाम में उपदर्शित कर सके ।"

(v) **अन्य तीन सह-अभियुक्तों की दोषमुक्ति का प्रभाव** – अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने कड़े शब्दों में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि चूंकि अन्य तीन सह-अभियुक्तों को सिद्धदोष ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को पर्याप्त नहीं पाया गया था इसलिए समान साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को बनाए रखा नहीं जा सकता । इस तर्क में कोई गुणता नहीं है क्योंकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के सावधानीपूर्वक परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन की कहानी की पूर्ण रूप से पुष्टि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और साथ ही चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी कर दी गई थी, जहां तक उसका संबंध अपीलार्थी-अभियुक्त की भूमिका से है । अब जहां तक अन्य तीन सह-अभियुक्तों को दोषमुक्त किए जाने का संबंध है विद्वान् विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अन्य तीन सह-अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं था ।

अपीलार्थी-अभियुक्त के काउंसेल द्वारा दिए गए तर्क का मुख्य बिन्दु यह है कि चूंकि समान अभियोजन साक्ष्य के आधार पर तीन सह-

अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है इसलिए केवल अपीलार्थी-अभियुक्त को उक्त समान साक्ष्य के आधार पर सिद्धदोष नहीं ठहाराया जा सकता है ।

यह सुस्थापित है कि साक्षियों के सम्पूर्ण परिसाक्ष्य को केवल इस कारण से परित्यक्त नहीं किया जा सकता कि उनके कथन के कतिपय पहलुओं या भाग पर विश्वास नहीं किया गया था । "जिस कथन की एक बात मिथ्या है वह सारा कथन मिथ्या है" सिद्धांत भारत में प्रचलित नहीं है और केवल इस आधार पर साक्षियों को झूठा नहीं कहा जा सकता । इस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में विचार किया गया है । **शीशराम** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 11 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

> "11. यह सत्य है कि "जिस कथन की एक बात मिथ्या है वह सारा कथन मिथ्या है" सिद्धांत भारत में प्रचलित नहीं है । यह मात्र एक सावधानी का नियम है । इसकी प्रास्थिति विधि के किसी नियम के समान नहीं है । बालका सिंह बनाम पंजाब राज्य वाले मामले में इस न्यायालय ने यह कथन किया है कि जहां मिथ्या कथनों में से सत्य को केवल इस कारण से पृथक् करना साध्य नहीं है कि अनाज और भूसा अनन्य रूप से मिश्रित हो गया है और उसे पृथक् करने की प्रक्रिया में एक नए पक्षकथन की संरचना करनी होगी जिस प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए अनिवार्य ब्यौरों को पूर्णतया उस संदर्भ और पृष्ठभूमि, जिनके प्रति उन्हें प्रस्तुत किया गया है, भिन्न करना होगा इसलिए न्यायालय मिथ्या कथनों में से सत्य को पृथक् करने का प्रयास नहीं कर सकता । किन्तु जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जहां अनाज और भूसा अनन्य रूप से मिश्रित है । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अभियोजन के पक्षकथन के सारवान् पहलू के प्रतिरोध में

---

[1] (2014) 3 एस. सी. सी. 689.

नहीं है । इसलिए, उन्हें विश्वसनीय माना जा सकता है । इस संबंध में विद्वान् काउंसेल द्वारा राज्य बनाम रिजान वाले मामले का अवलंब लिया जाना उपयुक्त है । इस न्यायालय द्वारा रिजान वाले मामले में समान सिद्धांत को दोहराया गया है । हम रिजान वाले मामले के सुसंगत पैरा को नीचे उद्धृत कर सकते हैं –

> "12. यदि किसी मामले में किसी साक्ष्य के मुख्य भाग को त्रुटिपूर्ण पाया जाता है किन्तु उसका शेष भाग किसी अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए पर्याप्त है वहां अन्य अनेक सह-अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति पर ध्यान न देते हुए अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया जा सकता है । यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनाज को भूसे से अलग करे । जहां अनाज को भूसे से पृथक् किया जा सकता है वहां न्यायालय के लिए यह संभव होगा कि वह इस तथ्य के होते हुए भी कि विद्यमान साक्ष्य को अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के दोष को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया है, किसी अभियुक्त को सिद्धदोष ठहरा सकता है । किसी विशिष्ट सारवान् साक्षी या विशिष्ट सामग्री का मिथ्या सिद्ध होना उसे प्रारंभ से अंत तक मिथ्या साबित नहीं करता है । "जिस कथन की एक बात मिथ्या है वह सारा कथन मिथ्या है" सिद्धांत भारत में प्रचलित नहीं है और साक्षियों को झूठा नहीं माना जा सकता । "जिस कथन की एक बात मिथ्या है वह सारा कथन मिथ्या है" सिद्धांत साधारण रूप से स्वीकार्य नहीं है और न ही उसे विधि के नियम की प्रास्थिति प्राप्त है । यह मात्र एक सावधानी का नियम है । इससे केवल इतना तात्पर्यित है कि ऐसे मामलों में परिसाक्ष्य की अनदेखी की जा सकती है और न कि इसकी अवश्य ही अनदेखी की जानी चाहिए । इस सिद्धांत में मात्र किसी साक्ष्य को कितना बल दिया जाना है इससे संबंधित प्रश्न अन्तर्वलित है, जिसे कोई न्यायालय किसी मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागू कर सकता है किन्तु इसके संबंध में यह

नहीं कहा जा सकता कि यह "साक्ष्य संबंधी एक अनिवार्य नियम है" [निसार अली **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 366)] ।

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया है)

महेन्द्रन बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाल ही के निर्णय के पैरा 39, 40, 41 और 42 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है :-

"39. अतः, किसी साक्षी के सम्पूर्ण परिसाक्ष्य को केवल इस कारण से परित्यक्त नहीं किया जा सकता कि उसके कथन के कतिपय पहलुओं - भाग पर विश्वास नहीं किया गया है ।

40. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा राम लक्ष्मण वाले मामले का निर्दिष्ट निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों के संबंध में लागू नहीं होता है क्योंकि उस मामले में न्यायालय ने यह पाया था कि साक्षियों का परिसाक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं है और इसलिए अन्य अभियुक्तों की दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए किसी एक अभियुक्त को फायदा प्रदान किया जा सकता है । न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि "जिस कथन की एक बात मिथ्या है वह सारा कथन मिथ्या है" सिद्धांत लागू नहीं है । अतः, यदि साक्षी विश्वसनीय और भरोसेमंद है तो पूर्ण कथन को परित्यक्त नहीं किया जा सकता है ।

41. इसी प्रकार, नौशाद वाले मामले में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अभि. सा. 11 का यह कथन कि उसने घटना को इतने निकट से देखा है कि वह यह बता सकता है कि किस अभियुक्त ने उसके भाई पर किस हथियार से हमला किया है, सत्य नहीं माना जा सकता । पुनः, सूरजमल वाले मामले में न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन दोषसिद्धि की वैधता की परीक्षा की है । यह पाया गया था

---

[1] (2019) 5 एस. सी. सी. 67.

कि साक्षियों द्वारा दो अभियुक्तों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया साक्ष्य पूर्ण और अविभाज्य था जबकि उस साक्ष्य के आधार पर एक अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया था जबकि अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया गया था ।

42. ये सभी निर्णय साक्षियों द्वारा दिए गए तथ्यों से संबंधित साक्ष्यों के मूल्यांकन से संबद्ध हैं जिनकी न्यायालय द्वारा परीक्षा की गई है । साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित साधारण सिद्धांत यह है कि यदि किसी साक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के कुछ भाग को मिथ्या पाया जाता है तो उस साक्षी के पूर्ण परिसाक्ष्य का परित्याग नहीं किया जा सकता ।

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया है)

तद्नुसार, अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के पूर्ण साक्ष्य को परित्यक्त कर दिया जाए । यहां यह बात पुनः दोहराई जा रही है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का साक्ष्य संगत था और उन्होंने अपीलार्थी-अभियुक्त से संबंधित अभियोजन के पक्षकथन का पूर्णतया समर्थन किया था । इसके अतिरिक्त, यह परिसाक्ष्य लंबी और दुरह प्रतिपरीक्षा के दौरान भी संगत बना रहा था ।

(vi) **अन्य तर्क** – इस संबंध में भी तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि सम्पूर्ण अन्वेषण दूषित है और इस प्रयोजन के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने विद्वान् विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष का अवलंब लिया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दूषित थी क्योंकि उसे पुलिस थाने में बैठकर लिखा गया था । इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **करण सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में पारित निर्णय का संदर्भ लेना उपयुक्त होगा, जिसके पैरा 18, 19 और 20 को विनिर्दिष्ट रूप से नीचे उद्धृत किया गया है :–

---

[1] (2013) 12 एस. सी. सी. 529.

"18. इसके अतिरिक्त रामबाली **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2329] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा इरादातन किया गया दोषपूर्ण अन्वेषण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए घटनाओं के विवरण की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करता है जहां अभियोजन पक्ष समुचित साक्ष्य पेश करके, विशिष्ट रूप से प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और अन्य साक्षियों के साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में सफल रहता है वहां अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए लोप अभियोजन के पक्षकथन के लिए इस कारण से घातक नहीं होंगे कि अन्वेषण की प्रक्रिया के दौरान पाया गया प्रत्येक फर्क न्यायालय को तब तक उस सीमा तक प्रभावित नहीं करता है कि वह उसके परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दे जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि अन्वेषण ऐसी रीति में किया गया था जिसे "बेईमानी से किया गया या निर्दिष्ट अन्वेषण" नहीं कहा जा सकता, जिसका परिणाम अभियुक्त को वियुक्त करना होगा । [देखें सोनाली मुखर्जी **बनाम** भारत संघ (2010)15 एस. सी. सी. 25 ; मोहम्मद इमरान खान **बनाम** राज्य सरकार (दिल्ली राजधानी राज्यक्षेत्र) (2011)10 एस. सी. सी. 192 ; शिवशंकर सिंह **बनाम** झारखण्ड राज्य और अन्य (ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1403 ; गज्जू **बनाम** उत्तराखण्ड राज्य (2012)9 एस. सी. सी. 532; श्यामल घोष **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य (ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3539 और हीरालाल पाण्डेय और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2541)] ।

20. इस प्रकार, जब तक कि अन्वेषण प्राधिकारियों द्वारा की गई गलतियां इस प्रकार की न हों जिनसे अभियोजन के पक्षकथन के संबंध में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता हो या जो अभियुक्त

की प्रतिरक्षा पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालें तब तक न्यायालय केवल दूषित अन्वेषण के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि को अपास्त नहीं करेगा ।

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया है)

10. वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने दूषित अन्वेषण के संबंध में अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उठाई गई शिकायत की परीक्षा की है और उसने ऐसी किसी परिस्थिति को नहीं पाया जो अभियोजन के पक्षकथन के संबंध में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न कर सके । अभिलेख पर विद्यमान प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सीय साक्ष्य अभियुक्त-अपीलार्थी की अपराध में भूमिका के प्रति विश्वसनीय है और अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल यह दर्शित करने में असफल रहे हैं कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई किसी गलती के कारण अपीलार्थी-अभियुक्त पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

11. यह जानना उपयुक्त होगा कि परिसाक्ष्य में छिट-पुट फर्कों, जो मामले के मूल तत्वों को प्रभावित नहीं करते हैं, के आधार पर सम्पूर्ण साक्ष्य को नामंजूर नहीं किया जा सकता । उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह आधार भी नामंजूर किए जाने के लिए दायी है और तद्नुसार उसे नामंजूर किया जाता है ।

12. **निष्कर्ष –**

(i) अवध नारायण की मृत्यु आपराधिक मानव वध है जो हत्या के तत्समान है और जिसकी मृत्यु अग्नयायुध क्षति के परिणामस्वरूप लगे आघात और रक्तस्राव के कारण हुई थी ।

(ii) अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के लिए यह पूर्णतया सामान्य और प्राकृतिक था कि वे घटना के दिन पूर्वाह्न 9 बजे अपने पिता के साथ साइकिल पर अपने विद्यालय जा रहे थे ।

(iii) अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने इस पूरी घटना को काफी निकट से देखा है और उन्होंने अपीलार्थी-अभियुक्त की शनाख्त की है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 हालांकि बाल

साक्षी हैं फिर भी उनका परिसाक्ष्य विश्वसनीय और सत्य था । अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य अपीलार्थी-अभियुक्त की भूमिका की पुष्टि करता है । हेतु से संबंधित परिसाक्ष्य को मृतक द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पुष्ट किया गया है ।

(iv) "जिस कथन की एक बात मिथ्या है वह सारा कथन मिथ्या है" सिद्धांत भारत में साधारणतया प्रचलित नहीं है और वह केवल सावधानी के सिद्धांत के रूप में ही लागू है और इस प्रकार अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दिए गए विश्वसनीय और सत्य परिसाक्ष्य पर आधारित हो सकती है । यद्यपि, उसी साक्ष्य पर अन्य तीन सह-अभियुक्तों के संबंध में विश्वास नहीं किया गया था और उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था ।

(v) अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल आक्षेपित निर्णय में अन्तर्विष्ट तथ्यों और साथ ही विधि से संबंधित किसी त्रुटि का उल्लेख करने में असफल रहे हैं ।

(vi) वर्तमान मामले में दूषित अन्वेषण, यदि कोई हो, अभियोजन के लिए घातक नहीं होगा क्योंकि अपीलार्थी-अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सीय साक्ष्य विद्यमान हैं । घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी न होना मात्र अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होगा ।

13. उपरोक्त चर्चा और साथ ही ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए हमारी सुविचारित राय यह है कि वर्तमान अपील में कोई बल नहीं है । अतः, हमारे द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण विद्यमान नहीं है । तद्नुसार अपील को खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

मोहम्मद जकी अहमद

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2016 की दांडिक पुनरीक्षण सं. 785)

तारीख 13 अगस्त, 2019

न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 125 – भरण-पोषण – आवेदन में संशोधन – अनुज्ञेय – पत्नी द्वारा यह ईप्सा किया जाना कि भरणपोषण के लिए उसके तीन बच्चों के नाम को भी सम्मिलित किया जाए – यद्यपि धारा 125 के अधीन आवेदन में संशोधन के लिए कोई उपबंध नहीं है, परंतु कार्यवाहियां अर्ध-सिविल और अर्ध-दांडिक हैं – संशोधन से आवेदन की प्रकृति को बदला नहीं जाता है ।

संक्षेप में इस पुनरीक्षण आवेदन में दिए गए तथ्य इस प्रकार हैं कि विरोधी पक्षकार सं. 2 ने प्रतिमाह 9,000/- रुपए भरणपोषण के लिए (आवेदक) के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल किया है । मामले में आगे यह भी प्रतीत हुआ है कि भरणपोषण मामला अभियोजन पक्ष के रुचि न लेने के कारण तारीख 26 मार्च, 2009 को आदेश पारित करके खारिज कर दिया गया था । इस प्रकार 2006 का प्रकीर्ण मामला सं. 85 फाइल किया गया था जिसमें एक साक्षी की परीक्षा और प्रतिपरीक्षा की गई थी । आगे यह भी प्रकट हुआ है कि विद्वान् कुटुंब न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आवेदक को नोटिस भेजा गया जिस पर उसने इस आधार पर भरणपोषण के दावे से इनकार करते हुए कारण बताओ नोटिस फाइल किया कि उसने पहले ही विरोधी पक्षकार सं. 2 के समक्ष तीन तलाक की घोषणा की है । इस प्रकार, वह भरणपोषण को पाने की हकदार नहीं है । आगे यह प्रकट

होता है कि तारीख 15 जनवरी, 2011 को विरोधी पक्षकार सं. 2 ने वर्तमान मामले के वादपत्र में संशोधन करने के लिए आवेदन फाइल किया, तथापि, उसने कोई आपत्ति नहीं की किंतु पुन: उसने तारीख 26 नवंबर, 2015 को एक दूसरा आवेदन फाइल किया जिसे मंजूर किया गया था । आगे यह भी प्रकट होता है कि याची ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही में संशोधन आवेदन के विरुद्ध आक्षेप करते हुए कारण बताओ नोटिस फाइल किया, विद्वान् निचले न्यायालय ने तारीख 30 जून, 2016 के आदेश द्वारा संशोधन आवेदन मंजूर कर लिया । उस बात से व्यथित होते हुए आवेदक द्वारा इस आधार पर प्रथमत: वर्तमान आवेदन को अधिमानता दी गई कि आवेदक भरणपोषण पाने की हकदार नहीं है क्योंकि वह तलाकशुदा मुस्लिम महिला है । आगे यह आधार लिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही दांडिक कार्यवाही है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही में संशोधन के लिए कोई उपबंध नहीं है और इसके अतिरिक्त ईप्सित या चाहा गया संशोधन में कोई मुद्रण गलती नहीं है और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही में संशोधन अनुज्ञेय नहीं है और इस प्रकार आवेदक ने 2009 के प्रकीर्ण मामला सं. 162 में विद्वान् कुटुंब न्यायालय द्वारा तारीख 30 जून, 2016 को पारित किया गया आदेश को अपास्त करने के लिए यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया है । पुनरीक्षण आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्चतम न्यायालय तथा इस न्यायालय के निर्णयों का परिशीलन करने पर जो ऊपर उद्धृत हैं उनसे एक बात स्पष्ट होती है अर्थात् यदि साधारण खामी के संबंध में संशोधन किए जाने की ईप्सा की जाती है जो औपचारिक संशोधन द्वारा उपचार योग्य है, तथा ऐसे संशोधन को मंजूर करने पर दूसरे पक्ष के प्रति कोई प्रतिकूलता नहीं बरती जाती है, इस तथ्य के होते हुए भी कि ऐसे संशोधन को ग्रहण करने के लिए संहिता में कोई समर्थ उपबंध नहीं है, न्यायालय ऐसे संशोधन को किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकता है । इसके प्रतिकूल यदि संशोधन परिवाद में किया जाना ईप्सित है, इससे खामी को उपचार

योग्य बनाना या ऐसे किसी औपचारिक संशोधन द्वारा उसे सही नहीं किया जा सकता जिससे कि दूसरा पक्ष के प्रति प्रतिकूलता की संभावना बनती हो तब न्यायालय परिवाद में ऐसे संशोधान की मंजूरी नहीं देगा । जब न्यायालय ऐसा संगत मत को अंगीकार करता है कि उपचार योग्य खामी के बारे में औपचारिक संशोधन परिवाद में मंजूर किया जा सकता है जो विशुद्ध रूप से आपराधिक पृष्ठभूमि का हो । मेरी विचारित राय है कि ऐसा संशोधन से कतिपय रूप से संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाहियों में मंजूर किया जाना चाहिए जो अर्द्ध सिविल कार्यवाही हो । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह अभिनिर्धारित किया है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट के पास संशोधान के लिए याचिका को ग्रहण करने की शक्ति है । (पैरा 13 और 14)

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मैं इस आवेदन में कोई गुणागुण नहीं पाता हूं । तद्नुसार, इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है । (पैरा 7 और 8)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2009] 2009 (2) एल. डब्ल्यू. (क्रिमिनल) 1105 :
के. के. श्रवणकुमार बनाम **वी. सरवानाम** ; 12

[1998] 1998 (II) सी. टी. सी. 372 :
मैसर्स एगमोरे बेनिफिट्स सोसायटी लिमिटेड
बनाम **के. बालासिंहा मणि** । 12

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक पुनरीक्षण सं. 785.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401/397 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री सतीश कुमार सेन

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री विनोद शंकर मोदी

न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा – मामले में पुन: बुलाए जाने पर आवेदक की ओर से कोई भी व्यक्ति हाजिर नहीं हुआ, यह प्रतीत होता है कि क्योंकि यह मामला वर्ष 2016 का है और इस प्रकार उसे ग्रहण किए जाने के प्रक्रमों पर उसका निपटारा किया जा रहा है ।

2. यह पुनरीक्षण आवेदन 2009 के प्रकीर्ण मामला सं. 162 में विद्वान् प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सरसा द्वारा तारीख 30 जून, 2016 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके अधीन विद्वान् निचला न्यायालय ने तारीख 15 जनवरी, 2011 की संशोधित याचिका को मंजूर करते हुए 500/- रुपए की लागत का निर्धारण किया है ।

3. संक्षेप में इस पुनरीक्षण आवेदन में दिए गए तथ्य इस प्रकार हैं कि विरोधी पक्षकार सं. 2 ने प्रतिमाह 9,000 रुपए भरणपोषण के लिए (आवेदक) के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल किया है । मामले में आगे यह भी प्रतीत हुआ है कि भरणपोषण मामला अभियोजन पक्ष के रुचि न लेने के कारण तारीख 26 मार्च, 2009 को आदेश पारित करके खारिज कर दिया गया था । इस प्रकार 2006 का प्रकीर्ण मामला सं. 85 फाइल किया गया था जिसमें एक साक्षी की परीक्षा और प्रतिपरीक्षा की गई थी । आगे यह भी प्रकट हुआ है कि विद्वान् कुटुंब न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आवेदक को नोटिस भेजा गया जिस पर उसने इस आधार पर भरणपोषण के दावे से इनकार करते हुए कारण बताओ नोटिस फाइल किया कि उसने पहले ही विरोधी पक्षकार सं. 2 के समक्ष तीन तलाक की घोषणा की है । इस प्रकार, वह भरणपोषण को पाने की हकदार नहीं है । आगे यह प्रकट होता है कि तारीख 15 जनवरी, 2011 को विरोधी पक्षकार सं. 2 ने वर्तमान मामले के वादपत्र में संशोधन करने के लिए आवेदन फाइल किया, तथापि, उसने कोई आपत्ति नहीं की किंतु पुन: उसने तारीख 26 नवंबर, 2015 को एक दूसरा आवेदन फाइल किया जिसे मंजूर किया गया था । आगे यह भी प्रकट होता है कि याची ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही में संशोधन आवेदन के विरुद्ध आक्षेप

करते हुए कारण बताओ नोटिस फाइल किया, विद्वान् निचले न्यायालय ने तारीख 30 जून, 2016 के आदेश द्वारा संशोधन आवेदन मंजूर कर लिया ।

4. उस बात से व्यथित होते हुए आवेदक द्वारा इस आधार पर प्रथमत: वर्तमान आवेदन को अधिमानता दी गई कि आवेदक भरणपोषण पाने की हकदार नहीं है क्योंकि वह तलाकशुदा मुस्लिम महिला है । आगे यह आधार लिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही दांडिक कार्यवाही है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही में संशोधन के लिए कोई उपबंध नहीं है और इसके अतिरिक्त ईप्सित या चाहा गया संशोधन में कोई मुद्रण गलती नहीं है और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही में संशोधन अनुज्ञेय नहीं है और इस प्रकार आवेदक ने 2009 के प्रकीर्ण मामला सं. 162 में विद्वान् कुटुंब न्यायालय द्वारा तारीख 30 जून, 2016 को पारित किया गया आदेश को अपास्त करने के लिए यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया है ।

5. जहां तक याची आवेदक पुनरीक्षण आवेदन में लिए गए आधार का संबंध है । निस्संदेह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही में संशोधन का कोई उपबंध नहीं है, तथापि, विधि में यह सुस्थापित है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही अर्द्ध दांडिक कार्यवाही और अर्द्ध सिविल कार्यवाही है और इसके अतिरिक्त इस मामले में विरोधी पक्षकार सं. 2 द्वारा चाहा गया संशोधन प्रकीर्ण मामले में अपने तीन अप्राप्तवय बच्चों को केवल मामले में जोड़ना है, जिनका मुद्रण गलती के कारण आवेदन में उल्लेख नहीं किया जा सका, जिसे विद्वान् प्रधान न्यायाधीश द्वारा मंजूर किया गया था और उसे आवेदक द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल करके चुनौती दी गई है और यह आधार लिया गया है कि संशोधन के लिए कोई उपबंध नहीं है तथापि, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही अर्द्ध दांडिक और अर्द्ध सिविल कार्यवाही है और विरोधी पक्षकार द्वारा जो कुछ भी संशोधन की ईप्सा की गई है वह

केवल आवेदन में अपने अप्राप्तवय बच्चों को केवल जोड़ना है और इससे आवेदन की प्रकृति में कोई भिन्नता प्रकट नहीं होती है ।

6. उपरोक्त प्रश्न पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 3 फरवरी, 2010 के निर्णय में जो निर्णय दांडिक पुनरीक्षण मामला सं. 780/2006 और प्रकीर्ण याचिका सं. 1/2006 के पैरा सं. 9, 10, 11, 12 और 13 में ए. आई. आर. (एन. ओ. सी.) मद्रास में संप्रकाशित हुआ है उस पर विचार किया गया, जो इस प्रकार है :-

> "9. यह बात सही है कि संहिता के उपबंधों के अध्यधीन फाइल किए गए या तो परिवाद या आवेदन में उक्त संहिता में विनिर्दिष्ट उपबंध कोई नहीं है । परंतु, न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आवेदनों में उपचार योग्य कमियों को सही करने के लिए ऐसे संशोधन की ईप्सा की गई है, परिवादों के मामले में भी उसे मंजूर किया जा सकता है । इस बारे में, निम्नलिखित निर्णयों में किए गए निर्देश लाभदायक हो सकते हैं ।
>
> 10. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड **बनाम** मैसर्स मोदी डिस्टरली और अन्य (1987) 3 एस. सी. सी. 684 ; (ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1228) वाले मामले में जिसमें कंपनी का नाम परिवाद में गलत रूप से उल्लेख किया गया था जबकि मैसर्स मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का नाम की जगह मैसर्स मोदी डिस्टरली का उल्लेख किया गया था । ऐसी स्थिति में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया जो इस प्रकार है -
>
> > 'विद्वान् एकल न्यायाधीश ने परिवाद में तकनीकी दोष की ओर ध्यान दिलाया और यह समझाने में विफल हुआ कि मैसर्स मोदी डिस्टरली के बारे में अड़ियल दृष्टिकोण अपनाने की वजह से दोष प्रकट घटित हुआ था और आगे ऐसी दुर्बलता जिसे आसानी से दूर किया जा सकता है जबकि इस निदेश के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामला प्रतिप्रेषित किया

जाए जिससे कि परिवाद के पैरा 2 में अन्तर्विष्ट प्रकथनों का औपचारिक संशोधन करने के लिए अपीलार्थी को बुलाया जाए जिससे कि औद्योगिक ईकाई की नियंत्रित कंपनी का परिवाद में संबंधित अभियुक्त से संबंध है । ये सभी बातें के समाधान के लिए अपीलार्थी द्वारा संशोधन के लिए औपचारिक आवेदन फाइल किया जाना चाहिए । औद्योगिक ईकाई के रूप में मैसर्स मोदी इंडस्ट्रीज के नाम को मैसर्स मोदी डिस्टरली के स्थान पर प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जाए .....।'

.....हमने पहले ही यह उपदर्शित किया है कि बोर्ड द्वारा मांगी गई अध्यपेक्षित सूचना देने में औद्योगिक ईकाई का विफल होना परिवाद में तकनीकी दोष माना गया है । इसके अतिरिक्त इस प्रकृति की विधिक खामी जिसका आसानी से उपचार किया जा सकता है.....।"

11. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का बारीकी से परिशीलन करने पर आसानी से यह समझ में आ सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने तथ्यों के वर्णित समूह में यह मत व्यक्त किया था कि जहां विधिक खामी या विधिक दुर्बलता ऐसी प्रकृति की है जिसे संशोधन के लिए औपचारिक आवेदन के माध्यम से उसका आसानी से उपचार किया जा सकता है । "औपचारिक संशोधन", शब्द और "आसानी से उपचार किया गया" को रेखांकित किया जाता है । इससे पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट होता है कि यदि ऐसे प्रकृति के मामलों में अगर कोई खामी है जिसका आसानी से उपचार नहीं किया जा सकता या यदि संशोधन पूर्ण रूप से औपचारिक नहीं है तो इसमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसा संशोधन को ग्रहण नहीं किया जा सकता ।

12. समरूप स्थिति पर विचार करते हुए उपरोक्त निर्णय का अवलंब लेने पर इस न्यायालय ने **मैसर्स एगमोरे बेनिफिट्स सोसायटी लिमिटेड** बनाम **के. बालासिंहा मणि**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित

---

[1] 1998 (II) सी. टी. सी. 372.

किया गया है कि त्रुटि की दशा में जो पूर्ण रूप से उपचार योग्य है, परिवाद में ऐसा संशोधन अनुज्ञात किया जा सकता है । हाल ही में इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने **के. के. श्रवणकुमार** बनाम **वी. सरवानाम**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का उल्लेख करने के पश्चात् निर्णय के पैरा 9 में यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :-

> "यह सुस्थिर है कि मुख्य विचार न्याय से छुटकारे का है और परिवाद में की गई ऐसी गलती के लिए क्षमा देने पर, उसका अभियुक्त के प्रतिकूल कुछ भी परिणाम नहीं होना चाहिए । मजिस्ट्रेट बिना किसी प्राधिकार या शक्ति के परिवाद को सही करने के लिए परिवाद को मंजूर करेगा, संज्ञान पर परिवाद को लेने के पश्चात् इसे विशुद्ध रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा अवैधानिक माना जाएगा ।"

13. उच्चतम न्यायालय तथा इस न्यायालय के निर्णयों का परिशीलन करने पर जो ऊपर उद्धृत हैं उनसे एक बात स्पष्ट होती है अर्थात् यदि साधारण खामी के संबंध में संशोधन किए जाने की ईप्सा की जाती है जो औपचारिक संशोधन द्वारा उपचार योग्य है, तथा ऐसे संशोधन को मंजूर करने पर दूसरे पक्ष के प्रति कोई प्रतिकूलता नहीं बरती जाती है, इस तथ्य के होते हुए भी कि ऐसे संशोधन को ग्रहण करने के लिए संहिता में कोई समर्थ उपबंध नहीं है, न्यायालय ऐसे संशोधन को किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकता है । इसके प्रतिकूल यदि संशोधन परिवाद में किया जाना ईप्सित है, इससे खामी को उपचार योग्य बनाना या ऐसे किसी औपचारिक संशोधन द्वारा उसे सही नहीं किया जा सकता जिससे कि दूसरा पक्ष के प्रति प्रतिकूलता की संभावना बनती हो तब न्यायालय परिवाद में ऐसे संशोधान की मंजूरी नहीं देगा ।

14. जब न्यायालय ऐसा संगत मत को अंगीकार करता है कि उपचार योग्य खामी के बारे में औपचारिक संशोधन परिवाद में मंजूर

---

[1] 2009 (2) एल. डब्ल्यू. (क्रिमिनल) 1105.

किया जा सकता है जो विशुद्ध रूप से आपराधिक पृष्ठभूमि का हो । मेरी विचारित राय है कि ऐसा संशोधन से कतिपय रूप से संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाहियों में मंजूर किया जाना चाहिए जो अर्द्ध सिविल कार्यवाही हो । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह अभिनिर्धारित किया है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट के पास संशोधान के लिए याचिका को ग्रहण करने की शक्ति है ।

7. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मैं इस आवेदन में कोई गुणागुण नहीं पाता हूं ।

8. तद्नुसार, इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है ।

याचिका खारिज की गई ।

आर्य

(2019) 2 दा. नि. प. 802 **मद्रास**

ए. डेविडसन

बनाम

राज्य

[2017 की दांडिक अपील सं. (एम.डी.) सं. 259]

तारीख 30 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति पी. एन. प्रकाश और न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी

दंड संहिता 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 84 और 294(ख) [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 328 और 329] – हत्या – अभियुक्त द्वारा मृतक से कुली का काम मांगना – मृतक द्वारा मना किया जाना – अभियुक्त का आक्रोश में आ जाना और मृतक पर चाकू से वार करना – अभियुक्त द्वारा उन्मत्तता का अभिवाक् किया जाना किन्तु विचारण के दौरान ऐसा अभिवाक् न करना – अभियुक्त का

घटना के समय स्वस्थचित्त पाया जाना – विचारण के दौरान अभियुक्त ने ऐसा कोई अभिवाक् नहीं किया है कि वह घटना के समय किसी मानसिक रोग से पीड़ित था और उसके बताए जाने पर ही चाकू बरामद किया गया है तथा उसके कथन से साबित होता है कि वह घटना के समय स्वस्थचित्त था, अतः अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 84 का लाभ नहीं दिया जा सकता और उसकी दोषसिद्धि उचित है ।

अभियुक्त कुली का काम कर रहा था और किसी तंगप्पन नाम के व्यक्ति द्वारा किसी कार्य पर लगाया गया था । मृतक तंगप्पन भी कुली का काम करता था । यद्यपि, मृतक ने अभियुक्त को काम पर लगाया था लेकिन वह नियमित रूप से अपीलार्थी के लिए काम नहीं कर रहा था । तारीख 25 जून, 2013 को पूर्वाह्न लगभग 5.30 बजे अभियुक्त मृतक के घर गया और उससे काम मांगा । किन्तु मृतक ने उसे यह उत्तर दिया कि आज कोई काम नहीं है । इस उत्तर से खिन्न होकर अभियुक्त ने मृतक को गालियां देते हुए कहा कि वह काम उपलब्ध होने के बावजूद झूठ बोल रहा है कि कोई काम नहीं है, उसने मृतक के मकान में अतिचार किया और अपनी कमर से चाकू निकाला और उस पर अंधाधुंध हमला कर दिया । मृतक की पत्नी (अभि. सा. 1) इस घटना की साक्षी है, उसने शोर मचाया और इस हमले को रोकने का प्रयास किया किन्तु अभियुक्त ने अभि. सा. 1 के बाएं हाथ की उंगलियों तथा दाएं हाथ पर चाकू से वार किया और साथ ही उसे धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया तो वह उसकी भी हत्या कर देगा । शोर की आवाज सुनकर पड़ोसी उनके घर आ गए और अभियुक्त का पीछा किया तथा उसे दबोच लिया । इसके पश्चात् पूर्वाह्न लगभग 7.30 बजे वे मृतक को सरकारी मेडिकल कालेज, नागेरकोइल, कन्याकुमारी ले गए और चिकित्सक (अभि. सा. 13) ने मृतक को मृत घोषित कर दिया । चिकित्सा उपचार के पश्चात् तारीख 25 जून, 2013 को अभि. सा. 1 थकाले पुलिस थाने गई और पुलिस उप निरीक्षक, थकाले पुलिस थाना (अभि. सा. 17) के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, पूर्वाह्न लगभग 8 बजे अभि. सा. 17 ने थकाले पुलिस थाने में मामला सं. 488/2013 दंड

संहिता की धारा 452, 294 (ख), 324, 307 और 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के समक्ष संपूर्ण अपराधजन्य सामग्री प्रस्तुत की गई और अभियुक्त ने उसे मिथ्या ठहराते हुए इनकार किया । अभियुक्त ने यह भी कथन किया कि तारीख 25 जून, 2013 को पुलिस ने उसे उसके घर से बुलाया था, उसके साथ मारपीट की और उससे चाकू लाने के लिए कहा । पुलिस उसे अस्पताल भी लेकर गई, उसकी चिकित्सा परीक्षा कराई और उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमनाभापुरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया और वहां से उसे कारागार भेज दिया गया । अभियुक्त ने यह कथन किया है कि उसकी प्रतिरक्षा के समर्थन में उसके पास साक्षी मौजूद थे किन्तु उसने किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई । विचारण के अन्त में विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने तारीख 29 अप्रैल, 2017 के आदेश द्वारा अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 294(ख), 449, 302, 324 और 506 (ii) के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया और उसे उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त ने यह दांडिक अपील प्रस्तुत की है । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह धारा दंड संहिता के अध्याय IV के अधीन आती है जिसमें सामान्य अपवादों का उल्लेख है और इस सबूत का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 105 के अधीन अभियुक्त पर है । दंड संहिता में उल्लिखित सामान्य अपवादों में से किसी भी अपवाद के अधीन मामला साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो यह दावा करे कि उसका मामला अपवाद के अन्तर्गत आता है, अतः, अपवाद साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होगा । इसी प्रकार, इस मामले में भी अभियुक्त ने ऐसा कोई अभिवाक् नहीं किया है कि वह घटना के समय किसी मानसिक रोग से पीड़ित था । अतः, दंड संहिता की धारा 84 के अधीन अपवाद का लाभ अपीलार्थी/अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता । इसके अतिरिक्त, यह घटना तारीख 25 जून, 2013 को घटित

हुई है और अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा तारीख 10 सितंबर, 2013 वाले जिन दस्तावेजों का अवलंब लिया गया है उनसे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त कारागार में था और अपराध के पश्चात् वह मानसिक रोग से पीड़ित था जिसके लिए तारीख 31 अगस्त, 2013 से तारीख 10 सितंबर, 2013 तक तिरुनेलवेली मेडिकल कालेज अस्पताल, तिरुनेलवेली में चिकित्सा उपचार किया गया था और चिकित्सक ने यह पाया कि अभियुक्त बाईपोलर अफेक्टिव डिसआर्डर से ग्रसित है और उस रिपोर्ट के आधार पर अधीक्षक, कारागार ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमनाभापुरम के समक्ष तारीख 10 सितंबर, 2013 को आगे कार्रवाई किए जाने के लिए आवेदन किया और विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तारीख 11 सितंबर, 2013 को सुसंगत आदेश पारित किया जिसमें अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार को यह निदेश दिया गया कि अभियुक्त के लिए आवश्यक चिकित्सा उपचार नियमित रूप से कराया जाए । यदि अभियुक्त उन्मत्त या विकृतचित्त है तब इस संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XXV में किया गया है । इस मामले में घटना तारीख 25 जून, 2013 को घटित हुई है और अपीलार्थी को वर्ष 2013 में ही जमानत पर छोड़ दिया गया था । इस मामले में विचारण तारीख 6 फरवरी, 2017 को अभि. सा. 1 की परीक्षा के साथ आरंभ हुआ था । अपीलार्थी की प्रतिरक्षा उसके अधिवक्ता द्वारा सुचारू रूप से की गई थी । विचारण के दौरान, दंड संहिता की धारा 84 के अधीन उन्मत्ता का अभिवाक् नहीं किया गया था और न ही यह अभिवाक् किया गया था कि वह अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम है । वास्तव में, जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त से अपराधजन्य सामग्री के संबंध में प्रश्न पूछे गए थे तब उसने यह कथन किया कि उसे तारीख 25 जून, 2013 को पुलिस ने उसके घर से उठाया था, उसके साथ मारपीट की और उससे चाकू प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, उसका चिकित्सा उपचार कराया गया और इसके पश्चात् उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अन्त में उसे कारागार भेज दिया गया । दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथनों से यह दर्शित होता है कि घटना के समय वह स्वस्थचित्त था । अतः, हम अपीलार्थी/अभियुक्त को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों (प्रदर्श पी.14) के आधार पर दंड संहिता की धारा 84 के अधीन अपवाद का लाभ नहीं दे सकते । (पैरा 22, 24 और 25)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) 10 एस. सी. सी. 582 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 265 : **सुधाकरन** बनाम **केरल राज्य** ;	23
[2009]	(2009) 1 एस. सी. सी. 124 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 97 : **सिद्धपाल कमल यादव** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	18

2017 के सेशन मामला सं. 151 में सेशन न्यायालय, जिला कन्याकुमारी द्वारा तारीख 26 अप्रैल, 2017 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री सी. के. एम. अप्पाजी
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री आर. आनंदराज (अपर लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी ने दिया ।

न्या. पुगलेंधी – यह अपील 2017 के सेशन मामला सं. 151 में सेशन न्यायालय, जिला कन्याकुमारी द्वारा तारीख 26 अप्रैल, 2017 को अपीलार्थी/ एकमात्र अभियुक्त को अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. अपीलार्थी का विचारण भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 294 (ख), 449, 302, 324 और 506 (ii) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए किया गया ।

3. विचारण पूरा होने पर, विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को निम्न अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया :-

धारा	अधिरोपित दंडादेश	जुर्माना
दंड संहिता की धारा 294 (ख)	.....	50/- रुपए जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर दो सप्ताह का साधारण कारावास
दंड संहिता की धारा 449	आजीवन कारावास	500/- रुपए जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास का साधारण कारावास
दंड संहिता की धारा 302	आजीवन कारावास	500/- रुपए जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास का साधारण कारावास
दंड संहिता की धारा 324	.....	100/- रुपए जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर तीन मास का साधारण कारावास
दंड संहिता की धारा 506 (ii)	तीन वर्ष का कठोर कारावास	200/- रुपए जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास का साधारण कारावास

4. अभियोजन पक्ष द्वारा मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं :-

4.1 अभियुक्त कुली का काम कर रहा था और किसी तंगप्पन नाम के व्यक्ति द्वारा किसी कार्य पर लगाया गया था । मृतक तंगप्पन भी

कुली का काम करता था । यद्यपि, मृतक ने अभियुक्त को काम पर लगाया था लेकिन वह नियमित रूप से अपीलार्थी के लिए काम नहीं कर रहा था । तारीख 25 जून, 2013 को पूर्वाह्न लगभग 5.30 बजे अभियुक्त मृतक के घर गया और उससे काम मांगा । किन्तु मृतक ने उसे यह उत्तर दिया कि आज कोई काम नहीं है । इस उत्तर से खिन्न होकर अभियुक्त ने मृतक को गालियां देते हुए कहा कि वह काम उपलब्ध होने के बावजूद झूठ बोल रहा है कि कोई काम नहीं है, उसने मृतक के मकान में अतिचार किया और अपनी कमर से चाकू निकाला और उस पर अंधाधुंध हमला कर दिया । मृतक की पत्नी (अभि. सा. 1) इस घटना की साक्षी है, उसने शोर मचाया और इस हमले को रोकने का प्रयास किया किन्तु अभियुक्त ने अभि. सा. 1 के बाएं हाथ की उंगलियों तथा दाएं हाथ पर चाकू से वार किया और साथ ही उसे धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया तो वह उसकी भी हत्या कर देगा । शोर की आवाज सुनकर पड़ोसी उनके घर आ गए और अभियुक्त का पीछा किया तथा उसे दबोच लिया ।

4.2 मृतक को नागेरकोइल में निकट ही स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक (अभि. सा. 14) ने अभि. सा. 1 का चिकित्सा उपचार किया तथा मृतक को मृत घोषित किया । अभि. सा. 14 ने अभि. सा. 1 के शरीर पर कारित हुई क्षतियों का निरीक्षण किया और क्षति प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. 10) जारी किया । अभि. सा. 1 को निम्न क्षतियां कारित हुईं :-

> "1. बाएं अग्रबाहू में 8 सेमी. × 2 सेमी. × 1 सेमी. माप का छिन्न घाव जिसकी दिशा रेडियल है ।
>
> 2. बाएं हाथ की हथेली में 1 सेमी. × 0.5 सेमी. × 0.5 सेमी. माप का छिन्न घाव ।
>
> 3. बाएं हाथ की तर्जनी में 0.5 सेमी. × 0.5 × 0.5 सेमी. माप का छिन्न घाव है जिससे रक्त बह रहा है ।"

4.3 इसके पश्चात् पूर्वाह्न लगभग 7.30 बजे वे मृतक को सरकारी मेडिकल कालेज, नागेरकोइल, कन्याकुमारी ले गए और चिकित्सक

(अभि. सा. 13) ने मृतक को मृत घोषित कर दिया । चिकित्सा उपचार के पश्चात् तारीख 25 जून, 2013 को अभि. सा. 1 थकाले पुलिस थाने गई और पुलिस उप निरीक्षक, थकाले पुलिस थाना (अभि. सा. 17) के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, पूर्वाह्न लगभग 8 बजे अभि. सा. 17 ने थकाले पुलिस थाने में मामला सं. 488/2013 दंड संहिता की धारा 452, 294 (ख), 324, 307 और 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की छपी हुई प्रति को प्रदर्श पी. 17 के रूप में चिह्नांकित किया गया है और यह रिपोर्ट अभि. सा. 11 के माध्यम से न्यायालय तथा उच्च अधिकारियों को भेजी गई ।

4.4 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने पर थकाले पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक (अभि. सा. 18) ने घटनास्थल की ओर प्रस्थान किया और महाजर (प्रदर्श पी. 2) तैयार किया और साथ ही नेल्सन नाम के व्यक्ति (अभि. सा. 2) और रामकृष्णन की मौजूदगी में घटनास्थल का कच्चा नक्शा (प्रदर्श पी. 18) तैयार किया । अभि. सा. 18 ने क्रमशः तात्विक वस्तु-6 और तात्विक वस्तु-7 के रूप में सादा और रक्तरंजित सीमेन्ट-स्लैब के टुकड़े घटनास्थल से बरामद किए और इसके साथ रक्तरंजित मरून रंग की लूंगी (तात्विक वस्तु-2) और रक्तरंजित तकिया (तात्विक वस्तु-5) घटनास्थल से बरामद किए और इस संबंध में अभि. सा. 4 की मौजूदगी में एक महाजर (प्रदर्श पी. 3) तैयार किया गया । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 18) ने प्रदर्श पी. 4 के अनुसार एक साइकिल (तात्विक वस्तु-8) भी बरामद की । इसके पश्चात्, वह नागेरकोइल स्थित मेडिकल कालेज अस्पताल गया और पंचायतदारों की मौजूदगी में मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी.19) तैयार की । इस साक्षी ने शव को शवपरीक्षण के लिए हैड कांस्टेबल (अभि. सा. 12) के माध्यम से भेजा । कन्याकुमारी सरकारी मेडिकल कालेज, असारीपल्लम के चिकित्सक डा. राजा मुरुगन (अभि. सा. 15) ने तारीख 25 जून, 2013 को अपराह्न 2.55 बजे शवपरीक्षण किया और उन्होंने मृत्यु पूर्व की निम्न क्षतियां पाईं :–

1. अन्तर्स्कांधि भाग में 1 सेमी. × 0.5 सेमी. माप का घाव है जो 3 सेमी. गहरा है और केश-रेखा से 11 सेमी. की दूरी पर है ।

2. वक्ष के नीचे बाईं ओर 3 सेमी. × 0.5 सेमी. माप का वेधित तिरछा घाव है जिसकी गहराई 4 सेमी. है । विच्छेदन करने पर यह घाव 9वीं पसली के अग्र भाग तक फैला हुआ दिखाई देता है और हृद्यावरण को बेधता हुआ हृदय भित्ती के अग्र भाग तक है । हृदयावरण थैली में 50 ग्राम जमा हुआ रक्त मौजूद है । बाईं वक्षीय गुहा में 500 मिलीलीटर रक्त मौजूद है ।

3. बाएं कंधे के सामने ऊपर की ओर 5 सेमी. × 0.5 सेमी. माप का कटाव पाया गया है जो त्वचा तक गहरा है ।

4. बाएं कंधे पर 10 सेमी. × 8 सेमी. माप की अनियमित रगड़ पाई गई है ।

5. दाईं भुजा के निचले एक-तिहाई भाग में 0.5 सेमी. × 0.5 सेमी. माप की खरोंच मौजूद है ।

6. दाएं अंगूठे के मध्य भाग में पीछे की ओर 1 सेमी. × 0.5 सेमी. माप का कटाव पाया गया है जो 0.5 सेमी. गहरा है ।

7. बाईं टांग के एक-तिहाई ऊपरी भाग में सामने की ओर 3 सेमी. × 0.5 सेमी. माप का कटाव पाया गया है जो त्वचा तक गहरा है ।

8. बाईं भुजा के ऊपरी अर्ध-भाग में 7 सेमी. × 1 सेमी. माप का कटाव पाया गया है जो त्वचा-गहरा है ।

9. बाएं अंगूठे और तर्जनी के बीच उभरे हुए भाग में 2 सेमी. × 1 सेमी. माप का कटाव पाया गया है जो अस्थि-गहरा है ।

10. दाएं वक्ष के नीचे की ओर 11 सेमी. × 0.5 सेमी. माप का छिन्न घाव है जो त्वचा तक गहरा है ।

4.5 शवपरीक्षण प्रमाणपत्र को प्रदर्श पी. 12 के रूप में चिह्नांकित किया गया है और चिकित्सक की अन्तिम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 13 है । चिकित्सक (अभि. सा. 15) के अनुसार मृतक की मृत्यु हृदय में चाकू लगने से आघात और रक्तस्राव से कारित हुई प्रतीत होती है । अंतड़ियों

की परीक्षा से यह पता चलता है कि उनमें किसी प्रकार का अल्कोहल या विष नहीं पाया गया है ।

4.6 अभियुक्त को पड़ोसियों और निकट मौजूद व्यक्तियों ने घटनास्थल पर तत्काल ही पकड़ लिया था और लोगों ने खिन्न होकर उसके साथ मारपीट भी की । तारीख 25 जून, 2013 को पूर्वाह्न 8.00 बजे अभियुक्त को सरकारी मुख्यालय अस्पताल, पदमनाभापुरम ले जाया गया और वहां पर उसका बाह्य-रोगी के रूप में उपचार किया गया और दुर्घटना रजिस्टर को प्रदर्श पी. 22 के रूप में चिह्नांकित किया गया है जिससे यह दर्शित होता है कि तारीख 25 जून, 2013 को अपराह्न 6.00 बजे उस पर उसके घर पर लोगों के एक समूह द्वारा हमला किया गया था । उसकी चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सक ने भी अभियुक्त के शरीर पर कारित हुई बाह्य क्षतियों का उल्लेख किया है । सरकारी मुख्यालय अस्पताल, पदमनाभापुरम में उपचार के पश्चात् अभियुक्त को ग्रामवासियों द्वारा तारीख 25 जून, 2013 को पूर्वाह्न 3 बजे पुलिस निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अभि. सा. 18 ने उसे रमेश कुमार और जयचन्द्रन की मौजूदगी में गिरफ्तार किया । अभियुक्त ने संस्वीकृति कथन दिया और इस कथन के अनुसरण में रक्तरंजित चाकू (तात्विक वस्तु-1) और रक्तरंजित लूंगी (तात्विक वस्तु-9) तथा रक्तरंजित सफेद कमीज (तात्विक वस्तु-10) बरामद की गई और इस संबंध में अभि. सा. 7 और एक अन्य साक्षी की मौजूदगी में महाजर (प्रदर्श पी. 8) तैयार किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमनाभापुरम के समक्ष आवेदन बरामद की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजने के लिए किया और अभियुक्त के रक्त के नमूने प्राप्त किए और उसके रक्त-समूह की जांच कराने के लिए आवेदन (प्रदर्श पी. 5) किया ।

4.7 तारीख 11 अगस्त, 2013 से इस मामले का अन्वेषण अभि. सा. 19 द्वारा किया गया जिसने साक्षियों के कथन सत्यापित किए और न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमनाभापुरम के समक्ष अन्तिम रिपोर्ट पी. आर. सी. सं. 3/2014 के रूप में फाइल की । यह मामला सेशन न्यायालय

नागेरकोइल, जिला कन्याकुमारी को सुपुर्द किया गया और इस मामले का विचारण मामला सं. 151/2014 के रूप में किया गया और अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के पैरा 2 में यथा-उल्लिखित रूप में आरोप विरचित किए गए ।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से 19 साक्षियों की परीक्षा कराई गई, 23 प्रदर्श चिह्नांकित किए गए और 10 तात्विक वस्तुएं प्रस्तुत की गईं । अभियुक्त की ओर से मौखिक या दस्तावेजी किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ।

6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के समक्ष संपूर्ण अपराधजन्य सामग्री प्रस्तुत की गई और अभियुक्त ने उसे मिथ्या ठहराते हुए इनकार किया । अभियुक्त ने यह भी कथन किया कि तारीख 25 जून, 2013 को पुलिस ने उसे उसके घर से बुलाया था, उसके साथ मारपीट की और उससे चाकू लाने के लिए कहा । पुलिस उसे अस्पताल भी लेकर गई, उसकी चिकित्सा परीक्षा कराई और उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमनाभापुरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया और वहां से उसे कारागार भेज दिया गया । अभियुक्त ने यह कथन किया है कि उसकी प्रतिरक्षा के समर्थन में उसके पास साक्षी मौजूद थे किन्तु उसने किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई । विचारण के अन्त में विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने तारीख 29 अप्रैल, 2017 के आदेश द्वारा अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 294(ख), 449, 302, 324 और 506 (ii) के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया और उसे उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त ने यह दांडिक अपील प्रस्तुत की है ।

7. अपीलार्थी, जो कि इस मामले में एकमात्र अभियुक्त है, की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री सी. के. एम. अप्पाजी और राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री आर. आनंदराज की सुनवाई की गई है ।

8. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने निम्न बिंदूओं पर बल दिया है :-

8.1 यह घटना अंधेरे में घटित हुई है जिसमें अज्ञात व्यक्ति भी सम्मिलित हैं किन्तु अभियुक्त को इस मामले में मिथ्या आलिप्त किया गया है ।

8.2 अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि घटनास्थल पर बिजली उपलब्ध थी ।

8.3 अभियुक्त ने अपराह्न 3 बजे पुलिस थाने में चाकू प्रस्तुत किया है और इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुसार संस्वीकृति के आधार पर की जाने वाली बरामदगी ग्राह्य नहीं है ।

8.4 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट न्यायालय भेजे जाने में असामान्य विलंब है और साक्षी अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 क्रमशः मृतक की पत्नी, पुत्री और साला हैं और इस प्रकार उनके निकट नातेदार होने के कारण उनके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

9. अपीलार्थी की विद्वान् काउंसेल ने प्रदर्श पी. 14 के साथ लगे दस्तावेजों को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी है कि अभियुक्त बाईपोलर अफेक्टिव डिसआर्डर का रोगी है और वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 328 और 329 के अधीन अपवाद का हकदार है । विद्वान् काउंसेल ने इस न्यायालय के निम्न निर्णयों का भी अवलंब लिया है :–

1. देवीदास लोका राठौड़ **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(2018) सी. सी. आर. 113 एस. सी. = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 3093] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया है –

> "5. राज्य के विद्वान् काउंसेल श्री कटनेश्वर्कर ने अपील का खंडन करते हुए यह दलील दी है कि अपीलार्थी प्रथमदृष्टया अपना पक्षकथन विकृतचित्त होने के आधार पर सिद्ध नहीं कर सका है । विचारण न्यायाधीश ने समय-समय पर उसकी चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट मंगाने के लिए समुचित रूप से सावधानी बरती है और उनका इस संबंध में समाधान हो गया है कि अपीलार्थी अपनी प्रतिरक्षा के लिए योग्य है

और इसके अतिरिक्त न्यायाधीश ने न्यायालय में अपीलार्थी के हाव-भाव भी देखे हैं । अपीलार्थी का यह आचरण कि उसने लगातार कई वार किए, घटनास्थल से भागा, रास्ते में हथियार फेंका यह साबित करता है कि अपीलार्थी यह पूरी तरह जानता था कि वह क्या अपराध कर रहा है और यह आचरण उसके विकृतचित्त होने से मेल नहीं खाता है ।"

2. हरीश प्रभाकर **बनाम** राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली [(2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 11871] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है –

"न्यायालय का यह मत है कि दंड संहिता की धारा 84 के अधीन यह उपबंधित है कि किसी अपराध में आपराधिक मनःस्थिति एक आवश्यक तत्व है । इसके अधीन यह परिकल्पित है कि ऐसी स्थिति जिसमें अपराध कारित करने वाला व्यक्ति अपराध से संभवत अवगत नहीं होता है कि वह क्या कर रहा है । दंड संहिता की धारा 84 के अधीन प्रतिरक्षा के पीछे जो उद्देश्य है वह राजस्थान राज्य **बनाम** शेराराम **उर्फ** विष्णु दत्त [(2012)1 एस. सी. सी. 602 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार स्पष्ट की गई है –

"अपराध कारित करने के लिए आपराधिक मनःस्थिति को सामान्यतया अपराध का एक आवश्यक तत्व माना गया है । इसे लेटिन भाषा में 'फ्यूरियोसाई नूला वोलन्टस एस्ट' कहा जाता है । दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है उसके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपराध कारित किया है क्योंकि वह यह जानता ही नहीं है कि वह क्या कर रहा है । अपराध कारित करने के लिए आशय और कार्य दोनों अपराध के संघटक हैं अर्थात् 'केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी न हो' प्रत्येक सामान्य और स्वस्थचित्त मनुष्य से यह प्रत्याशा

की जाती है कि वह इतनी समझ-बूझ रखता है कि उसे उसके आचरण और कृत्य के लिए तब तक निर्दोष नहीं माना जा सकता जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न हो जाए किन्तु विकृतचित्त या मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह मानवीय व्यवहार के मूल रूप से अवगत होता है ।"

3. सिद्धपाल कमला यादव **बनाम** महाराष्ट राज्य [(2009)1 एस. सी. सी. 124 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 97] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है –

"विकृतचित्त होने के सबूत का भार अभियुक्त पर है । किन्तु जब अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के इतिहास से उसके विकृतचित्त होने का पता चलता है, तब एक अच्छे अन्वेषण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा कराए और इस प्रकार प्राप्त साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तब अभियोजन पक्षकथन में यह भारी कमी कहलायेगी और संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा ।"

10. इसके प्रतिकूल राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया है और अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के साक्ष्य तथा इस तथ्य से कि अभियुक्त को रंगे हाथों पकड़ा गया था, अभियुक्त का दोष साबित होता है, अतः, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को ठीक ही दोषसिद्ध किया है ।

11. हमने दूसरी ओर, विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील सुनी है और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य तथा हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

12. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दो प्रकार से प्रतिरक्षा की है ।

पहली यह कि उन्होंने अभियोजन साक्ष्य से पूर्णतया इनकार किया है और दूसरी यह कि दंड संहिता की धारा 84 के अधीन अपवाद का लाभ पाने का अभिवाक् किया है । यह घटना तारीख 25 जून, 2013 को पूर्वाह्न लगभग 5.30 बजे घटित हुई है और इस घटना को मृतक की पत्नी राजिनी (अभि. सा. 1) और उसकी पुत्री सारान्य (अभि. सा. 2) द्वारा देखा गया है । अभि. सा. 1 आहत साक्षी है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त उनके घर तारीख 25 जून, 2013 को पूर्वाह्न लगभग 5.30 बजे आया था, उसने काम मांगा था और मृतक ने उससे इस संबंध में इनकार किया था कि उसके लिए कोई काम नहीं है । इस उत्तर से खिन्न होकर और कुंठित होकर अभियुक्त ने अपनी कमर से चाकू निकाल लिया और मृतक पर अंधाधुंध हमला किया । मृतक की पत्नी (अभि. सा. 1) ने हमले को रोकने का प्रयास किया और अभियुक्त द्वारा उस पर भी हमला किया गया तथा उसे धमकी भी दी गई । अभि. सा. 1 और मृतक की पुत्री अर्थात् अभि. सा. 2 अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी । शोर सुनकर उसने यह घटना देखी । मृतक का साला (अभि. सा. 3) और उसके पड़ोसी ने भी इस घटना को देखा है । मृतक के घर के निकट एक पड़ोसी अर्थात् अभि. सा. 9 की एक छोटी से दुकान है जिसने अभियुक्त को चाकू लेकर मृतक के घर से आते हुए देखा था और उसने अन्य ग्रामवासियों के साथ मिलकर उसका पीछा किया और उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा था । चाकू (तात्विक वस्तु-1) अभियुक्त से बरामद किया गया है । शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक ने ऊपर उल्लिखित रूप में कुल 10 क्षतियां देखीं और अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की मृत्यु हृदय में वेधित घाव कारित होने के परिणामस्वरूप आघात और रक्तस्राव से हुई है । चिकित्सा रिपोर्ट की संपुष्टि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से होती है ।

13. पूर्वगामी चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है अतः हमारा यह निष्कर्ष है कि विचारण

न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है ।

14. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने प्रदर्श पी. 14 से संबंधित दस्तावेजों को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी है कि अभियुक्त मानसिक रोग से ग्रसित है, अतः, वह दंड संहिता की धारा 84 के अधीन अपवाद का लाभ पाने का हकदार है ।

15. हमने प्रदर्श पी. 14 से संबंधित दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है ।

16. मनोचिकित्सा विभाग, तिरुनेलवेली मेडिकल कालेज अस्पताल, तिरुनेलवेली में ट्यूटर के पद पर कार्यरत डा. एस. जीवा क्रीडम विक्टरी द्वारा तारीख 10 सितंबर, 2013 को केन्द्रीय कारागार, पलायनकोट्टयी के अधीक्षक को लिखे गए पत्र सं. 305/2013 के अनुसार अभियुक्त डेविडसन को तारीख 31 अगस्त, 2013 को मनोचिकित्सा विभाग में अन्तःरोगी (सं. 51926) के रूप में भर्ती कराया गया और तारीख 10 सितंबर, 2013 को अस्पताल से उसकी छुट्टी हो गई । चिकित्सकों ने इस रोगी के मानसिक रोग से संबंधित कई परीक्षण किए और सम्प्रेक्षण के दौरान उन्होंने यह पाया कि रोगी अभियुक्त बाईपोलर अफेक्टिव डिसआर्डर तथा अवसाद से पीड़ित है और उसे नियमित उपचार की आवश्यकता है । इस पत्र के अनुसार चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर तारीख 10 सितंबर, 2013 को केन्द्रीय कारागार पलायनकोट्टायी के अधीक्षक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमनाभापुरम के समक्ष आगे कार्रवाई किए जाने का आवेदन किया । तारीख 11 सितंबर, 2013 को इस चिकित्सा रिपोर्ट के साथ अभियुक्त डेविडसन को विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमनाभापुरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया और रिमांड से संबंधित निम्न आदेश पारित किया गया :-

> "आज अभियुक्त को मनोरोग विज्ञान विभाग टी. वी. एन. सी. द्वारा जारी अध्यपेक्षा और मूल्यांकन तथा प्रमाणन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया गया है । चिकित्सक ने यह कथन किया है कि अभियुक्त को नियमित उपचार और देखभाल की आवश्यकता है ।

अतः, अभियुक्त के रिमांड की अवधि बढ़ाकर तारीख 18 सितंबर, 2013 तक कर दी जाए । केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक द्वारा यह निदेश दिया गया है कि अभियुक्त को नियमित रूप से ओषधि/उपचार उपलब्ध कराया जाए और तारीख 18 सितंबर, 2013 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए ।"

17. इन दस्तावेजों को अभियोजन पक्ष या प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा चिह्नांकित नहीं किया गया है । तथापि, यह पाया गया है कि ये दस्तावेज अभिलेख का भाग हैं और इनका अवलंब लेते हुए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दंड संहिता की धारा 84 के अधीन अपवाद का लाभ लेने का अभिवाक् किया है ।

18. **सिद्धपाल कमल यादव** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियुक्त के विकृतचित्त होने को साबित करने का भार अभियुक्त पर है । किन्तु अन्वेषण के दौरान अभियुक्त का इस रोग से पहले से ग्रसित होना प्रकट हुआ है, एक ईमानदार अन्वेषण अधिकारी का कर्तव्य है कि अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा कराए और इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तब इससे अभियोजन पक्षकथन में गंभीर कमी आ सकती है और अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जा सकता है ।

19. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अपराध कारित किए जाने के समय अभियुक्त विकृतचित्त था । न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से यह पता चलता है कि अभियुक्त मनोरोग से ग्रसित था, अतः संदिग्ध आपराधिक मनःस्थिति के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

20. दंड संहिता की धारा 84 को निर्दिष्ट करना समुचित होगा जो निम्न प्रकार है :–

---

[1] (2009) 1 एस. सी. सी. 124 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 97.

"84. **विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य** – कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त-विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कह रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है ।"

21. धारा 84 के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं :–

(i) अपराध कारित किए जाने के समय पर अभियुक्त विकृतचित्त होना चाहिए; और (ii) विकृतचित्ता ऐसी होनी चाहिए कि अपराध कारित किए जाने के समय पर अभियुक्त कृत्य की प्रकृति समझने में अक्षम हो कि वह जो कुछ कर रहा है, गलत है या विधि के प्रतिकूल है ।

22. यह धारा दंड संहिता के अध्याय IV के अधीन आती है जिसमें सामान्य अपवादों का उल्लेख है और इस सबूत का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 105 के अधीन अभियुक्त पर है । दंड संहिता में उल्लिखित सामान्य अपवादों में से किसी भी अपवाद के अधीन मामला साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो यह दावा करे कि उसका मामला अपवाद के अन्तर्गत आता है, अतः, अपवाद साबित करने का भार अभियुक्त पर ही होगा ।

23. **सुधाकरन** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले के पैरा 18 से 21 में उल्लिखित माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को निर्दिष्ट करना लाभकारी होगा जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ऐसी ही परिस्थितियों में दंड संहिता की धारा 84 के लागू किए जाने पर विस्तार से मत व्यक्त किया है :–

"33. इस न्यायालय ने कई बार सबूत के स्तर पर विचार किया है कि दंड संहिता की धारा 84 के अधीन लाभ पाने के लिए अपीलार्थी को किस प्रकार साबित करना चाहिए । हम दहियाभाई छंगाभाई ठक्कर **बनाम** गुजरात राज्य [ए. आई. आर. 1964 एस.

---

[1] (2010) 10 एस. सी. सी. 582 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 265.

सी. 1563] वाले मामले को निर्दिष्ट कर रहे हैं । विकृतचित्त के अभिवाक् के संबंध में विधि का सुसंगत और मुख्य उपबंध निम्न प्रकार है –

"5. ... भारतीय दंड संहिता

299. **आपराधिक मानव वध** – जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है ।

84. **विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य** – कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है ।

105. **यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है** – जब कि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, जो उस मामले को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के साधारण अपवादों में से किसी के अन्तर्गत या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में, या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में, अन्तर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परन्तुक के अन्तर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा ।

4. ... "**उपधारणा करेगा**" – जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है ।

3. ..."**साबित**" – कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है ।

"नासाबित" – कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है ।

101. **सबूत का भार** – जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है ।

जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है ।

आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि अभियुक्त को निर्दोष उपधारित किया जाता है, अतः युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होगा कि अभियुक्त दोषी है । इसलिए अभियोजन पक्ष हत्या के मामले में युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करेगा कि अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 299 के अधीन परिभाषित आशय से मृत्यु कारित की है । यह

साधारण भाग कभी भी अभियोजन पक्ष से अभियुक्त पर नहीं आता है और यह सदैव अभियोजन पक्ष पर ही बना रहता है । किन्तु दंड संहिता की धारा 84 के अधीन यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है यदि अभियुक्त उसे करते समय चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अधीन अपवाद होने पर परिस्थितियों को साबित करने का भार अभियुक्त पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के न होने की उपधारणा करेगा । साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 और धारा 4 में उल्लिखित "उपधारणा करेगा" के अधीन न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के न होने की उपधारणा करेगा परन्तु यदि उसके समक्ष प्रस्तुत मामले पर विचार करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त परिस्थितियां विद्यमान हैं या उनकी विद्यमानता इतनी संभावी है कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति मामले की ऐसी परिस्थितियों में यह मान सकता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त को इस उपधारणा का खण्डन करना होगा कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं जिसके लिए उसे न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करनी होगी ताकि न्यायालय उक्त परिस्थितियों की विद्यमानता पर विचार कर सके कि ये परिस्थितियां इतनी संभावी हैं कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति उन्हें मान और समझ सकता है । अभियुक्त को "प्रज्ञावान व्यक्ति" का समाधान करना होगा । यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री, जैसे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, उपधारणाएं, स्वीकृति या अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं तब प्रज्ञावान व्यक्ति का समाधान होना चाहिए और इसके पश्चात् ही यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त ने साबित करने के भार का निर्वहन किया है । यह भी हो सकता है कि

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अधीन सबूत के भार का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त न हो किन्तु न्यायाधीश के मन में युक्तियुक्त संदेह हो सकता है कि अपराध गठित किए जाने के लिए आवश्यक अवयवों में से एक या कोई अन्य अवयव नहीं हैं । उदाहरण के लिए, न्यायाधीश के मन में यह संदेह हो सकता है कि क्या दंड संहिता की धारा 299 के अधीन अधिकथित अभियुक्त का आशय गठित हुआ है या नहीं । यदि न्यायालय को ऐसा युक्तियुक्त संदेह है, तब उसे चाहिए कि वह अभियुक्त को दोषमुक्त कर दे क्योंकि ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त का दोष निश्चायक रूप से साबित करने में असफल रहेगा । अभियोजन पक्ष पर पड़ने वाला सबूत के साधारण भार और अभियुक्त पर पड़ने वाले सबूत के विशिष्ट भार में कोई टकराव नहीं है क्योंकि साधारण भार अभियोजन पक्ष पर सदैव बना रहता है जो कभी भी अभियुक्त पर स्थानांतरित नहीं होता है और विशिष्ट भार केवल अभियुक्त पर ही रहता है जिसके अन्तर्गत उसे विकृतचित्त होने के आधार पर प्रतिरक्षा लेनी होती है ।"

34. अतः आगे और विचार करने पर इस न्यायालय ने उन्मत्तता के अभिवाक् के संदर्भ में सबूत के भार के सिद्धांत को निम्न प्रकार परिभाषित किया है –

(1) अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करना चाहिए कि अपीलार्थी ने पूरी आपराधिक मनःस्थिति के साथ अपराध कारित किया है और सबूत का भार आरंभ से लेकर विचारण के अंत तक सदैव अभियोजन पक्ष पर ही रहता है ।

(2) दंड संहिता की धारा 84 द्वारा अधिकथित भाव को दृष्टिगत करते हुए यह खंडनीय उपधारणा है

कि अपराध कारित किए जाने के समय अपीलार्थी विकृतचित्त नहीं था :

अपीलार्थी इसका खण्डन सभी सुसंगत साक्ष्य अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और पारिस्थितिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कर सकता है किन्तु उस पर सबूत का इतना भार नहीं होता है जितना सिविल कार्यवाहियों में एक पक्षकार पर होता है ।

(3) यदि अपीलार्थी निश्चायक रूप से यह साबित नहीं कर सका कि अपराध कारित किए जाने के समय वह विकृतचित्त था, तब भी अपीलार्थी या अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया साक्ष्य न्यायालय के मन में अभियुक्त की आपराधिक मनःस्थिति सहित अपराध के अवयवों को लेकर न्यायालय के मन में संदेह उत्पन्न कर सकता है और ऐसे मामले में न्यायालय इस आधार पर अपीलार्थी को दोषमुक्त करने का हकदार होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित करने के साधारण भार का निर्वहन नहीं किया गया है ।"

35. विधि की यह भी सुस्थापित प्रतिपादना है कि ऐसी परिस्थितियों की विद्यमानता को दंड संहिता की धारा 84 के अधीन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण समय वह है जब अपराध कारित किया जाता है । हमने यहां रतनलाल **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 778] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत पर विचार किया है । उक्त निर्णय के पैरा 2 में निम्न अभिनिर्धारित किया गया है –

> "अब यह पूर्णतया सुस्थापित है कि अभियुक्त की विकृतचित्तता को सिद्ध करने का सही समय वह है जब अपराध वास्तव में कारित किया जाता है और सबूत का भार अभियुक्त/अपीलार्थी पर होता है ।"

> 36. उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि वह ऐसी मानसिक बीमारी से पीड़ित था जिसके आधार पर उसे दंड संहिता की धारा 84 का लाभ दिया जा सके । उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों की पूर्णता पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह उपदर्शित होता हो कि अपीलार्थी अपराध कारित किए जाने के समय पर मानसिक रोग से पीड़ित था ।"

24. इसी प्रकार, इस मामले में भी अभियुक्त ने ऐसा कोई अभिवाक् नहीं किया है कि वह घटना के समय किसी मानसिक रोग से पीड़ित था । अतः, दंड संहिता की धारा 84 के अधीन अपवाद का लाभ अपीलार्थी/अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता । इसके अतिरिक्त, यह घटना तारीख 25 जून, 2013 को घटित हुई है और अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा तारीख 10 सितंबर, 2013 वाले जिन दस्तावेजों का अवलंब लिया गया है उनसे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त कारागार में था और अपराध के पश्चात् वह मानसिक रोग से पीड़ित था जिसके लिए तारीख 31 अगस्त, 2013 से तारीख 10 सितंबर, 2013 तक तिरुनेलवेली मेडिकल कालेज अस्पताल, तिरुनेलवेली में चिकित्सा उपचार किया गया था और चिकित्सक ने यह पाया कि अभियुक्त बाईपोलर अफेक्टिव डिसआर्डर से ग्रसित है और उस रिपोर्ट के आधार पर अधीक्षक, कारागार ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमनाभापुरम के समक्ष तारीख 10 सितंबर, 2013 को आगे कार्रवाई किए जाने के लिए आवेदन किया और विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तारीख 11 सितंबर, 2013 को सुसंगत आदेश पारित किया जिसमें अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार को यह निदेश दिया गया कि अभियुक्त के लिए आवश्यक चिकित्सा उपचार नियमित रूप से कराया जाए ।

25. यदि अभियुक्त उन्मत्त या विकृतचित्त है तब इस संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XXV में किया गया है । इस मामले में घटना तारीख 25 जून, 2013 को घटित हुई है

और अपीलार्थी को वर्ष 2013 में ही जमानत पर छोड़ दिया गया था । इस मामले में विचारण तारीख 6 फरवरी, 2017 को अभि. सा. 1 की परीक्षा के साथ आरंभ हुआ था । अपीलार्थी की प्रतिरक्षा उसके अधिवक्ता द्वारा सुचारू रूप से की गई थी । विचारण के दौरान, दंड संहिता की धारा 84 के अधीन उन्मत्ता का अभिवाक् नहीं किया गया था और न ही यह अभिवाक् किया गया था कि वह अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम है । वास्तव में, जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त से अपराधजन्य सामग्री के संबंध में प्रश्न पूछे गए थे तब उसने यह कथन किया कि उसे तारीख 25 जून, 2013 को पुलिस ने उसके घर से उठाया था, उसके साथ मारपीट की और उससे चाकू प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, उसका चिकित्सा उपचार कराया गया और इसके पश्चात् उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अन्त में उसे कारागार भेज दिया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथनों से यह दर्शित होता है कि घटना के समय वह स्वस्थचित्त था । अतः, हम अपीलार्थी/अभियुक्त को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों (प्रदर्श पी.14) के आधार पर दंड संहिता की धारा 84 के अधीन अपवाद का लाभ नहीं दे सकते ।

26. परिणामतः, यह दांडिक अपील खारिज की जाती है । विचारण मामला सं. 15/2014 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, कन्याकुमारी द्वारा तारीख 26 अप्रैल, 2017 को पारित आदेश की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है । अन्त में, संबद्ध किया गया प्रकीर्ण आवेदन का निपटारा किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

वैशाखी राम

(2009 की दांडिक अपील सं. 524)

तारीख 2 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 279, 337 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9] – उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक यान चलाना – अभियुक्त द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक टेम्पो चलाकर रोड के बगल में खड़ी पीड़िता के पैर को कुचल दिया जाना – यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य घटना के संबंध में विभेदकारी और असंगत है तथा आघाती यान के ड्राइवर की शनाख्त को सिद्ध नहीं किया गया है तो अभियुक्त-अपीलार्थी संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 279, 337 – उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक यान चलाना – जहां ड्राइवर के उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक यान चलाने की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती वहां पर अभियोजन पक्ष पर हमेशा यह भार है कि इस बात के युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करें कि आघाती यान उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था ।

अभिलेख से संक्षेप में यह तथ्य प्रकट होते हैं कि शिकायतकर्ता फुलन देवी ने यह अभिकथन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अपना कथन अभिलिखित किया है कि तारीख 4 मई, 1999 को लगभग 7.00 बजे अपराह्न ग्राम कांडबारी में अभियुक्त ने टैम्पो जिसकी रजिस्ट्रेशन सं. एच. पी. 37-5837 को सार्वजनिक राजमार्ग पर उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया था और उसकी पोती बबीता के पैर को कुचल दिया, जो सड़क के किनारे पर खड़ी थी । शिकायतकर्ता के

अनुसार वह अपनी पोती बबीता के साथ थी जो बोवाली से पानी लेने के लिए गई हुई थी, अभियुक्त जो आघाती यान को चला रहा था । उसने उस पर अपना नियंत्रण खो दिया और उसकी अप्राप्तवय पोती के विरुद्ध टैम्पो को मोड़ दिया था जिसके परिणामस्वरूप उसका पैर कुचल गया था । उक्त घटना में बबीता को साधारण और गंभीर क्षतियां पहुंची । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन पूर्वोक्त कथन के आधार पर एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई । पुलिस ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात्, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय सं. II, पालमपुर के समक्ष चालान प्रस्तुत किया जिन्होंने समाधान होने पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान होना बताया, और अभियुक्त के लिए दंड संहिता की धारा 279, 337 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए अभियोजन चलाने हेतु नोटिस जारी किया जिस पर अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध मामले को साबित करने की दृष्टि से कुल मिलाकर सात साक्षियों की परीक्षा की, जबकि अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में अभियोजन पक्षकथन से पूर्णतया इनकार किया और यह दावा किया कि अभिकथित घटना के समय पर, वह प्रश्नगत यान को नहीं चला रहा था । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि वह आघाती यान को उस सुसंगत तारीख, समय और स्थान पर उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चला रहा था । तथापि, उसने अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 26 अक्तूबर, 2007 को निर्णय पारित करके अभियुक्त को विधि के पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराध पारित किए जाने के लिए दोषी ठहराया । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) कांगड़ा, धर्मशाला के समक्ष अपील फाइल की जिसे तारीख 23 जून, 2009 को निर्णय पारित करके विद्वान्

विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त कर दिया, परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया । पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी-राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष समावेदन किया और वर्तमान कार्यवाही में विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने का अनुरोध किया और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय को बहाल किया गया । अपीलार्थी-राज्य द्वारा फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन साक्षी के कथनों की बारीकी से संवीक्षा करने पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हुआ कि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा उस आधार पर कोई भी अवलंब नहीं लिया जा सका क्योंकि वे आधार एक-दूसरे से विभेदकारी और असंगत थे, इस प्रकार, विद्वान् निचले न्यायालय ने इन बातों का अवलंब नहीं लेकर ठीक ही किया है जिससे कि अभियुक्त की दोषिता सुनिश्चित की जा सके । उपरोक्त बातों के अलावा इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त की ओर से उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई विनिर्दिष्ट साक्ष्य नहीं दिया गया है जबकि दंड संहिता की धारा 279 के अधीन अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है । अभियोजन पक्ष के लिए यह लाजिमी है कि उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने को साबित करें । अब यह भी सुस्थिर है कि उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती बल्कि अभियोजन पक्ष पर यह अत्यधिक भार है कि उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने की बात को साबित करें । वर्तमान मामले में, यदि तात्विक अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए कथनों का संपूर्ण रूप से परिशीलन किया जाए तो इनसे स्पष्ट रूप से यह इंगित होता है कि किसी भी अभियोजन साक्षी ने इस बारे में विनिर्दिष्ट रूप से कथन नहीं किया है कि गाड़ी उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाई गई थी । गाड़ी की तेज रफ्तार उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने को निर्धारित करने के लिए, एकमात्र मापदंड

नहीं हो सकता । वर्तमान मामले में यह न्यायालय विनिर्दिष्ट साक्ष्य को देने में असमर्थ था जिससे कि अभियोजन पक्ष द्वारा उसे अभिलेख पर लाया गया हो और उससे यह तथ्य इंगित होता है कि उस सुसंगत समय पर यान उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था । पूर्वोक्त निर्णय का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर स्पष्ट रूप से यह इंगित होता है कि उतावलेपन या उपेक्षा की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती, बल्कि अभियोजन पक्ष पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने का भार रहता है कि प्रश्नगत यान उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था । पूर्वोक्त निर्णय में, विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिलेख पर किसी सामग्री के अभाव में उतावलेपन या उपेक्षा की कोई उपधारणा का स्वयं प्रमाण के सूत्र का सहारा लेकर अनुमान नहीं निकाला जा सकता । इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए यदि एक ही साक्ष्य पर दो मत युक्तियुक्त रूप से संभव हैं, तो अभियुक्त के पक्ष वाले मत को अधिमानता दी जाएगी । वर्तमान मामले में, जब दुर्घटना के समय पर आघाती यान के ड्राइवर के रूप में अभियुक्त की पहचान को सिद्ध नहीं किया गया है, तो उसे संदेह का फायदा दिया जाएगा । (पैरा 14, 17, 18, 20 और 25)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2017]	2017 (3) हिमाचल एल. आर. 1938 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **दिलवार सिंह** ;	24
[2015]	(2015) 5 एस. सी. सी. 182 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2249 : **पंजाब राज्य** बनाम **सौरभ बख्शी** ;	22
[2010]	(2010) 5 एस. सी. सी. 645 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 2768 : **सी. मंगेश और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	15

[2009] (2009) 3 एस. सी. सी. (दांडिक) 406 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 3181 : **ब्रहमदास** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ; 18

[2008] 2008 (हि. प्र.) 538 = 2008 क्रिमिनल एल. जे. (एन. ओ. सी.) 616 (हि. प्र.) : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **मनप्रीत सिंह** ; 21

[1998] (1998) 8 एस. सी. सी. 493 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 1996 एस. सी. 95 : **कर्नाटक राज्य** बनाम **सतीश** । 19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 524.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री संजीव सूद और सुधीर भटनागर, अपर महाधिवक्ता के साथ कुणाल ठाकुर उप महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अभिषेक सूद

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा – वर्तमान दांडिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन फाइल की गई है जिसे अपीलार्थी-राज्य द्वारा विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय सं. II, पालमपुर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में दांडिक मामला सं. 232 II/04/2के. में तारीख 26 अक्तूबर, 2007 को पारित की गई दोषसिद्धि के निर्णय को उलटते हुए दांडिक अपील सं. 24 पी./2007 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) द्वारा तारीख 23 जून, 2009 को पारित किए गए निर्णय को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय प्रत्यर्थी/अभियुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) में दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए दोषसिद्धि अभिनिर्धारित की है, उसे दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया जो निम्न प्रकार है –

धारा	दंड	जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर
279 भा. द. स.	2 मास का साधारण कारावास और 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने	10 दिन का कारावास
337 भा. द. स.	यथोक्य	यथोक्य
338 भा. द. स.	यथोक्य	यथोक्य

2. अभिलेख से संक्षेप में यह तथ्य प्रकट होते हैं कि शिकायतकर्ता फुलन देवी ने यह अभिकथन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अपना कथन अभिलिखित किया है कि तारीख 4 मई, 1999 को लगभग 7.00 बजे अपराह्न ग्राम कांडबारी में अभियुक्त ने टैम्पो जिसकी रजिस्ट्रेशन सं. एच पी 37-5837 को सार्वजनिक राजमार्ग पर उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया था । और उसकी पोती बबीता के पैर को कुचल दिया, जो सड़क के किनारे पर खड़ी थी । शिकायतकर्ता के अनुसार वह अपनी पोती बबीता के साथ थी जो बोवाली से पानी लेने के लिए गई हुई थी, अभियुक्त जो आघाती यान को चला रहा था । उसने उस पर अपना नियंत्रण खो दिया और उसकी अप्राप्तवय पोती के विरुद्ध टैम्पो को मोड़ दिया था जिसके परिणामस्वरूप उसका पैर कुचल गया था । उक्त घटना में बबीता को साधारण और गंभीर क्षतियां पहुंचीं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन पूर्वोक्त कथन के आधार पर एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई । पुलिस ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात्, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय सं. II, पालमपुर के समक्ष चालान प्रस्तुत किया जिन्होंने समाधान होने पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान होना बताया, और अभियुक्त के लिए दंड संहिता की

धारा 279 और 337 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए अभियोजन चलाने हेतु नोटिस जारी किया जिस पर अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

3. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध मामले को साबित करने की दृष्टि से कुल मिलाकर सात साक्षियों की परीक्षा की, जबकि अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में अभियोजन पक्षकथन से पूर्णतया इनकार किया और यह दावा किया कि अभिकथित घटना के समय पर, वह प्रश्नगत यान को नहीं चला रहा था । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि वह आघाती यान को उस सुसंगत तारीख, समय और स्थान पर उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चला रहा था । तथापि, उसने अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया है ।

4. विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 26 अक्तूबर, 2007 को निर्णय पारित करके अभियुक्त को विधि के पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन दंडनीय अपराध पारित किए जाने के लिए दोषी ठहराया । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) कांगड़ा, धर्मशाला के समक्ष अपील फाइल की जिसे तारीख 23 जून, 2009 को निर्णय पारित करके विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त कर दिया, परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया । पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी-राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष समावेदन किया और वर्तमान कार्यवाही में विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने का अनुरोध किया और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय को बहाल किया गया ।

5. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने के पश्चात् और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया दोषमुक्ति के

आक्षेपित निर्णय में विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय द्वारा समनुदेशित कारणों जबकि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय को उलट दिया था, इस न्यायालय ने विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय में कोई अवैधता या कमियां नहीं पाई थीं, बल्कि उसका परिशीलन करने पर स्पष्टतया यह प्रकट होता है कि यह साक्ष्य के किसी मूल्यांकन पर आधारित है । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य का संपूर्ण रूप से परिशीलन करने के पश्चात् जो मौखिक या दस्तावेजी हैं । यह न्यायालय विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री सुधीर भटनागर की दलील से सहमत नहीं हुआ कि विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) ने निष्कर्षों को अभिलिखित करते हुए कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की शिनाख्ती को साबित करने में समर्थ नहीं हुआ था, उसने गलती की क्योंकि काफी अभियोजन साक्षी द्वारा किए गए कथनों का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर कहीं भी यह इंगित नहीं होता है कि अभियुक्त की शिनाख्त परेड विधि के सक्षम न्यायालय में चालान को रखने से पूर्व किया जाना प्रकट होता है । यदि प्रत्येक बात को छोड़ दिया जाए, फुलन देवी अभि. सा. 2 का कथन जो शिकायतकर्ता है, जिसने घटना की संपूर्ण बातों को परिशीलन में लिया है । इससे स्वत: घटनास्थल पर अभियुक्त की मौजूदगी के बारे में तथा आघाती यान को चलाने के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित उसके कथन में शिकायतकर्ता ने यह कथन दिया है कि दुर्घटना के समय पर वह बोवाली से पानी भरने के लिए गई हुई थी जबकि उसकी पोती, बबीता सड़क के बगल पर खड़ी थी और अचानक एक टैम्पो तेज रफ्तार से उसके पास से निकला और उसकी पोती बबीता के पैर को कुचल दिया । उसने यह भी अभिकथन किया है कि उसके पश्चात् घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा शोरगुल किया गया था और टैम्पो को रोका गया था । शिकायतकर्ता फुलन देवी के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत अभिलिखित कथन में यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है जब उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि वह ड्राइवर को नहीं जानती है, तथापि, वह (ड्राइवर) उसके ग्राम

का निवासी था । यदि फुलन देवी के पूर्व वृत्तांत का अभि. सा. 2 के रूप में न्यायालय में दिया उसका पश्चात्वर्ती कथन की परीक्षा की जाती है तो इससे अभियोजन की कहानी पूर्णतया झूठी प्रतीत होती है । फूलन देवी ने अभि. सा. 2 के रूप में अभिसाक्ष्य देते हुए यह कथन किया है कि यान जिसकी रजिस्ट्रेशन सं. एच पी 37-5837 है, उसे न्यायालय में मौजूद अभियुक्त बैशाखी राम द्वारा चलाया जा रहा था, परन्तु, वह इस बात का स्पष्टीकरण देने में असमर्थ थी कि उसे अभियुक्त व्यक्ति के नाम के बारे में कैसे पता चला । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह ग्राम खंडवारी की निवासी है परंतु उसने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ग्राम सफेदू का निवासी है । शिकायतकर्ता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसका ग्राम और अभियुक्त का ग्राम दो भिन्न-भिन्न ग्राम हैं और वे दो भिन्न-भिन्न पंचायतों के अन्तर्गत आते हैं । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अपने कथन में यह कहा था कि ड्राइवर उसके ग्राम का निवासी था और वह उसका नाम नहीं जानती है, जबकि, न्यायालय में उसने अभियुक्त के नाम को बताया और उसके बारे में यह कथन किया कि वह दूसरे ग्राम सफेदू का निवासी है ।

6. थौला राम (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी मौजूदगी में अभियुक्त एक टैम्पो चलाता हुआ आया, तत्पश्चात् उसने एक लड़की अर्थात् बबीता को क्षति पहुंचाई जो अपनी पोती के साथ बोवाली पहुंची थी परंतु, अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना के पश्चात् टैम्पो का ड्राइवर घटनास्थल से भाग गया था और दूसरा ड्राइवर वहां पर पहुंचा था ।

7. जय किशन (अभि. सा. 3) जो आहत लड़की का पिता है, ने यह कथन किया है कि वह दुर्घटना के शोरगुल को सुनने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसने यह देखा कि टैम्पो जिसका रजिस्ट्रेशन सं. एच पी 37-5837 है, उसकी पुत्री बबीता के पैर को कुचल दिया । इस साक्षी ने आगे यह भी अभिकथन किया है कि वह आहत को उसी टैम्पो में अस्पताल ले गया था । उसने

यह भी कथन किया कि यह दुर्घटना अभियुक्त की ओर से यान को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण घटित हुई थी । इस साक्षी द्वारा किया जाने वाला कथन सुसंगत नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास अभिकथित दुर्घटना को अपने स्वयं की आंखों से देखे जाने का कोई अवसर नहीं था बल्कि उसके स्वयं के वृत्तांत के अनुसार वह दुर्घटना घटने पर शोरगुल को सुनने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा था ।

8. यदि तात्विक अभियोजन साक्षी अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के कथनों का संयुक्त रूप से परिशीलन करें तो एक-दूसरे पर मामले की कहानी की सत्यता जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया है, गंभीर संदेह पैदा होता है । क्योंकि शिकायतकर्ता फूलन देवी (अभि. सा. 2) के कथनों से यह उपदर्शित होता है जो प्रथम महिला है जिसने घटना को देखा, और जिसे अभियुक्त व्यक्ति के नाम के बारे में पता नहीं था क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत किए गए कथन में उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि यद्यपि अभियुक्त उसके गांव से संबंधित है परंतु उसे उसका नाम पता नहीं है जबकि, न्यायालय के समक्ष लिए गए कथन में उसने न्यायालय में वर्तमान अभियुक्त की शिनाख्त की और यह कथन किया कि उसका नाम बैशाखी राम है । इस साक्षी द्वारा दिया गया पूर्वोक्त वृत्तांत थौला राम (अभि. सा. 1) द्वारा दिए गए वृत्तांत से पूर्णतया विभेदकारी है जिसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि आघाती यान का ड्राइवर दुर्घटना के पश्चात् दुर्घटनास्थल से भाग गया था और दूसरा ड्राइवर वहां पर पहुंचा था । जय किशन (अभि. सा. 3) जिसके पास अपनी आंखों से दुर्घटना को देखे जाने का कोई अवसर नहीं था । कहीं भी यह कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्त आघाती यान को चला रहा था जिसमें वह अपनी पुत्री को अस्पताल ले गया था । उसके कथन में केवल यह बात प्रकट हुई है कि उसकी पुत्री को टैम्पो जिसका रजिस्ट्रेशन सं. एच पी 37-5837 है, उसमें अस्पताल ले जाया गया था परंतु उसने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उस समय यान अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था ।

9. सभी बातों को छोड़ते हुए, सभी तात्विक अभियोजन साक्षियों ने

यह स्वीकार किया है कि अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त की कोई शिनाख्त परेड नहीं की गई थी । इस प्रकार, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय को उलटते हुए ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त की शिनाख्त अत्यधिक संदेहपूर्ण है ।

10. अभियोजन पक्ष ने यान के स्वामी देशराज (अभि. सा. 5) की भी परीक्षा की जिसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त बैशाखी राम उसका ड्राइवर नहीं है । यद्यपि इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था, परंतु इस साक्षी से की गई प्रतिपरीक्षा का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ भी सार प्रकट करने में असमर्थ रहा था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि यान का लॉगबुक को पुलिस द्वारा कब्जे में नहीं लिया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि अभियुक्त उसका ड्राइवर नहीं रहा और दुर्घटना की तारीख को अभियुक्त उसके यान को नहीं चला रहा था ।

11. इस तात्विक अभियोजन साक्षी द्वारा दिए गए पूर्वोक्त वृत्तांत को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर अविश्वसनीय बना दिया कि इस साक्षी ने मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने सही ढंग से यह अभिलिखित किया है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा देशराज (अभि. सा. 5) द्वारा दिए गए वृत्तांत पर अविश्वास करते हुए समनुदेशित कारणों पर कोई अकाट्य और विश्वास प्रकट करने वाली बात नहीं पाई है जो आघाती यान का स्वामी होना बताया गया है ।

12. सुभाष चन्द (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह टैम्पो रजिस्ट्रेशन सं. एच पी 37-5837 का ड्राइवर था और तारीख 4 मई, 1999 को वह छुट्टी पर था तथा टैम्पो के स्वामी ने टैम्पो में ड्राइवर के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया था । उसने यह कथन किया कि उसे यह पता नहीं है कि उस सुसंगत दिन को टैम्पो को कौन

चला रहा था, जब अभिकथित दुर्घटना घटित हुई । इस साक्ष्य को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था । विद्वान् सहायक लोक अभियोजक द्वारा उससे की गई प्रतिपरीक्षा में, इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि उसका कथन पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया था । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि यान के स्वामी देशराज ने टैम्पो में ड्राइवर के रूप में अभियुक्त को नियुक्त किया था । उसने यह स्वीकार किया है कि जब उसके भाई के विवाह की पार्टी चल रही थी तब उसने शोरगुल सुना कि बच्ची का पैर टैम्पो से कुचल गया है ।

13. उप निरीक्षक ओम प्रकाश (अभि. सा. 7) मामले का अन्वेषक अधिकारी है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 4 मई, 1999 को उसने एस. डी. एच. पालमपुर से यह सूचना प्राप्त की कि कोई घटना घटी हुई है और तद्नुसार उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन फूलन देवी (अभि. सा. 2) के कथन को अभिलिखित किया था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि शिकायतकर्ता ने उसे अभियुक्त के नाम के बारे में नहीं बताया था परंतु स्वयं यह कथन किया कि अभियुक्त बैशाखी राम की शिनाख्त की गई थी और यह वृत्तांत अन्य साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के वृत्तांत से पूर्णतया विभेदकारी है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि अभियुक्त का नाम साक्षियों द्वारा लिया गया था । उसने यह कथन किया कि उसने यान की लॉगबुक को कब्जे में नहीं लिया, इससे यह अभिप्रेत है कि अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभियुक्त की शिनाख्त करने के लिए कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की थी जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि वह उस सुसंगत समय पर प्रश्नगत यान को चला रहा था । निस्संदेह, एम. एल. सी., एक्सरे फिल्म और आहत व्यक्तियों के उन्मोचित स्लिप प्रदर्श पी. एक्स-1 से पी. एक्स-4 से यह उपदर्शित होता है कि बबीता को साधारण तथा गंभीर क्षतियां पहुंची थीं, परंतु, इससे अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करना पर्याप्त नहीं हो सकता, खास तौर पर जब अभियोजन पक्ष अभियुक्त को अपराध किए जाने के बारे में संबंधित

करने में समर्थ नहीं हुआ है जिस अपराध के बारे में अभियुक्त द्वारा किया जाना अभिकथित है ।

14. तात्विक अभियोजन साक्षी के कथनों की बारीकी से संवीक्षा करने पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हुआ कि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा उस आधार पर कोई भी अवलंब नहीं लिया जा सका क्योंकि वे आधार एक-दूसरे से विभेदकारी और असंगत थे, इस प्रकार, विद्वान् निचले न्यायालय ने इन बातों का अवलंब नहीं लेकर ठीक ही किया है जिससे कि अभियुक्त की दोषिता सुनिश्चित की जा सके ।

15. अब यह भी सुस्थिर है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य को दांडिक विचारण में सावधानीपूर्वक निर्धारित किया जाना अपेक्षित था और विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोहराते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि दांडिक विधिशास्त्र का मूलभूत पहलू सुस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है कि "कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसे साबित न किया जाए", ऐसी स्थिति पर विचार करते हुए उसको अत्यधिक सावधानी के साथ प्रयोग में लिया जाना अपेक्षित है जहां विभिन्न परिसाक्ष्य और कई साक्षियों द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिया जाता है । यह बात भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी कड़ी होनी चाहिए जिससे कि सभी साक्षियों का संयुक्त साक्ष्य होना चाहिए । तदुपरि सभी साक्षियों के बीच में से साक्ष्य की संगतता की परीक्षा से समाधान होना चाहिए । संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि दांडिक मामलों में साक्ष्य संगतता की कसौटी पर उसका मूल्यांकन किया जाना जरूरी है । इस बारे में **सी. मंगेश और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में पारित निर्णय का अवलंब लिया है जिसमें पैरा 49 में यह अभिनिर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित है :-

---

[1] (2010) 5 एस. सी. सी. 645 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 2768.

"45. यहां पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि दांडिक विधिशास्त्र में, साक्ष्य का संगति की कसौटी पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए । इस बात पर जोर देना व्यर्थ है कि संगति अभियुक्त की दोषसिद्धि को ठहराने के लिए एक कुंजी है । इस बारे में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस न्यायालय ने सूरज सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य, (2008) 16 एस. सी. सी. 686 = [2008] 11 एस. सी. आर. 286 में यह अभिनिर्धारित किया है ; (एस. सी. सी. पृष्ठ 704 पैरा 14) ; (2008 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5578, पृष्ठ 5592 पैरा 41) ।"

"14. साक्ष्य की अन्तर्निहित संगति पर परीक्षा की जानी चाहिए और कहानी की अन्तर्निहित संभाव्यता ; अन्य साक्षी के साथ संगति को विश्वसनीय ठहराया जाना चाहिए ; ऐसे साक्ष्य का प्रमाणक मूल्य संचयी मूल्यांकन के पैमाने में उसकी अर्हता होनी चाहिए ।"

16. दांडिक विचारण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाना अपेक्षित है और उसकी विश्वसनीयता के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए । चूंकि दांडिक विधिशास्त्र का मूलभूत पहलू कथित सिद्धांतों पर आधारित है कि "किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाता जब तक कि साबित न कर दिया जाए ।" इसलिए, ऐसी स्थिति पर विचार करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी अपेक्षित है जहां साक्षियों की अधिक सं. के कई परिसाक्ष्य हैं जो न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दे रहे हैं । एक ऐसी कड़ी होनी चाहिए कि सभी साक्षियों का साक्ष्य सम्मिलित होना चाहिए और तदुपरि सभी साक्षियों के बीच में से साक्ष्य की संगतता की कसौटी पर समाधान होना चाहिए ।

17. उपरोक्त बातों के अलावा इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त की ओर से उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई विनिर्दिष्ट साक्ष्य नहीं दिया गया है जबकि दंड संहिता की धारा 279 के

अधीन अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है । अभियोजन पक्ष के लिए यह लाजिमी है कि उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने को साबित करें । अब यह भी सुस्थिर है कि उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती बल्कि अभियोजन पक्ष पर यह अत्यधिक भार है कि उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने की बात को साबित करें । वर्तमान मामले में, यदि तात्विक अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए कथनों का संपूर्ण रूप से परिशीलन किया जाए तो इनसे स्पष्ट रूप से यह इंगित होता है कि किसी भी अभियोजन साक्षी ने इस बारे में विनिर्दिष्ट रूप से कथन नहीं किया है कि गाड़ी उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाई गई थी । गाड़ी की तेज रफ्तार उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने को निर्धारित करने के लिए, एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता ।

18. वर्तमान मामले में यह न्यायालय विनिर्दिष्ट साक्ष्य को देने में असमर्थ था जिससे कि अभियोजन पक्ष द्वारा उसे अभिलेख पर लाया गया हो और उससे यह तथ्य इंगित होता है कि उस सुसंगत समय पर यान उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था । इस बारे में **ब्रहमदास** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया है :-

> "6. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं था जिससे कि कोई असावधानी दर्शित होती हो । अभिलेख पर इस बात को भी नहीं लाया गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने किसी तरह कैसे उपेक्षा बरती थी । इसके प्रतिकूल, जो कुछ भी कथन किया गया है यह है कि एक व्यक्ति बस की छत पर गया हुआ था और ड्राइवर ने गाड़ी चलाना प्रारंभ कर दिया जबकि वह वहां पर था । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह दर्शित हो सके कि ड्राइवर को इस बात की जानकारी थी कि कोई यात्री बस के छत पर चढ़ा हुआ था । दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया

[1] (2009) 3 एस. सी. सी. (दांडिक) 406 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 3181.

है कि अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि कंडक्टर ने ड्राइवर को यह बताया था कि एक यात्री बस की छत पर भी था और ड्राइवर ने बस चलानी शुरू कर दी ।

8. धारा 279 सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से गाड़ी चलाने के बारे में है । इस उपबंध का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि इसे सिद्ध किया जाना चाहिए कि अभियुक्त सार्वजनिक मार्ग पर किसी यान को ऐसी रीति में चला रहा था जिससे कि मानव जीवन को खतरा हो और या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की संभावना हो । सुस्पष्टतया दंड संहिता की धारा 279 के अधीन दोषारोपण का आधार उपेक्षा नहीं है । इसी तरह धारा 304क में उपेक्षा या उतावलेपन से मृत्यु कारित किए जाने पर बल दिया गया है । अत:, धारा 279 या 304क को लागू करने के लिए यह सिद्ध होना चाहिए कि उतावलेपन या उपेक्षा का तत्व मौजूद हो । यद्यपि अभियोजन वृत्तांत संपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है । यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि कोई उपेक्षा मामले में बरती गई थी ।"

19. **कर्नाटक राज्य** बनाम **सतीश**[1] वाले मामले में निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की गई है जो इस प्रकार है :-

"1. ट्रक संख्या एम वाई ई-3236 जिसे प्रत्यर्थी द्वारा चलाया जा रहा था, नाला से गुजरते हुए तारीख 25 नवंबर, 1982 को लगभग 8.30 बजे पूर्वाह्न पलट गया । इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और लगभग 18 व्यक्तियों को क्षतियां पहुंचीं जो पूरी तरह भरे हुए ट्रक में यात्रा कर रहे थे । प्रत्यर्थी को आरोप-पत्रित किया गया और उसका विचारण किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी तेज गति से ट्रक को चला रहा था और इस कारण से दुर्घटना घटी । प्रत्यर्थी को दंड संहिता की धारा 279,

---

[1] (1998) 8 एस. सी. सी. 493 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 1996 एस. सी. 95.

337, 338 और 304क के अधीन अपराधों से दोषसिद्ध किया गया था और कारावास की विभिन्न अवधियों के लिए दंडादिष्ट किया गया । प्रत्यर्थी ने द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश बेलगूम के समक्ष अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती दी है जबकि दंड संहिता की धारा 279 के अधीन अपराध के लिए प्रत्यर्थी पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त कर दिया गया था, अपील न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 304क, 337 और 338 के अधीन अपराधों के लिए प्रत्यर्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की है । दांडिक पुनरीक्षण याचिका जिसे प्रत्यर्थी द्वारा सभी अपराधों के लिए अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय कर्नाटक के समक्ष फाइल की है । सभी अपराधों के लिए प्रत्यर्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त कर दिया गया और प्रत्यर्थी को दोषमुक्त किया गया था । उच्च न्यायालय कर्नाटक द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के उक्त निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर यह अपील फाइल की गई है ।

2. हमने अभिलेख की परीक्षा की और पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना ।

3. दोनों विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 337, 338 और 304क के अधीन अपराधों के लिए प्रत्यर्थी को दोषी ठहराया कि प्रत्यर्थी ट्रक को "अत्यधिक तेज गति" से चला रहा था । विचारण न्यायालय या प्रथम अपील न्यायालय इस प्रभाव के बारे में कोई विनिर्दिष्ट निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है कि प्रत्यर्थी ट्रक को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चला रहा था । यह अभिनिर्धारित करने के पश्चात् प्रत्यर्थी ट्रक को "अत्यधिक तेज गति" से चला रहा था, दोनों न्यायालयों ने स्वयं प्रमाण के सिद्धांत की सहायता से प्रत्यर्थी को दोषी ठहराया है ।

4. मात्र इस कारण से कि ट्रक "अत्यधिक तेज गति" से चलाया जा रहा था और स्वत: "उपेक्षा" या "उतावलापन" की ओर

संकेत नहीं करता है । अभियोजन पक्ष द्वारा किसी ऐसे साक्ष्य की परीक्षा नहीं कराई गई जिसने अनुमानत: कोई संकेत इस बारे में मिल सकता हो कि सुसंगत शब्दावली में अत्यधिक गति या ऊंची गति से क्या अभिप्राय: है । अभियोजन पक्ष के लिए यह है कि अभिलेख पर उस सामग्री को लाए जिससे कि इस बारे में सिद्ध हो सके कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में "अत्यधिक गति" से क्या अभिप्रेत है । दांडिक विचारण में, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप को सिद्ध करने के लिए प्रत्येक आवश्यक बात को सिद्ध करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर आधारित है और अभियुक्त के पक्ष में तब तक निर्दोषिता की उपधारणा की जाती है जब तक कि उसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए । अपराधिता की कुछ कानूनी अपवादों के अध्यधीन उपधारणा नहीं की जाती । वर्तमान मामले में अभिवाक् किया गया ऐसा कोई कानूनी अपवाद नहीं है । अभिलेख पर किसी सामग्री के अभाव में "उतावलेपन" या "उपेक्षा" की किसी उपधारणा के "स्वयं प्रमाण" के सूत्र का सहारा लिया जा सकता है । यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि ट्रक के पलटने के तत्काल पूर्व, एक बड़ा जरक आया था । इस बारे में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या जरक सड़क के कारण था या कोई तकनीकी खराबी की वजह से । मोटर यान निरीक्षक जिसने यान का निरीक्षण किया था, उस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । यह रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं लाई गई थी तथा निरीक्षक को अभियोजन पक्ष द्वारा उन कारणों पर जिन्हें वह अच्छी तरह जानता था, उसकी परीक्षा नहीं की गई थी । यह एक गंभीर खामी है और अभियोजन पक्षकथन पर एक खोट है ।

5. यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रत्यर्थी की ओर से ट्रक चलाते समय "उपेक्षा" या "उतावलापन" बरता गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को दोषमुक्त करने में जो मत लिया गया था जो प्रतिकूल मत है । हमें यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय

द्वारा इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लिया गया मत, से युक्तियुक्त संभव मत प्रकट होता है । इसलिए, हम दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । प्रत्यर्थी जमानत पर है । उसके जमानत-बंध पत्र को उन्मोचित किया जाता है । अपील खारिज की जाती है ।

20. पूर्वोक्त निर्णय का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर स्पष्ट रूप से यह इंगित होता है कि उतावलेपन या उपेक्षा की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती, बल्कि अभियोजन पक्ष पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने का भार रहता है कि प्रश्नगत यान उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था । पूर्वोक्त निर्णय में, विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिलेख पर किसी सामग्री के अभाव में उतावलेपन या उपेक्षा की कोई उपधारणा का स्वयं प्रमाण के सूत्र का सहारा लेकर अनुमान नहीं निकाला जा सकता ।

21. **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **मनप्रीत सिंह**[1] वाले मामले के निर्णय का इस न्यायालय द्वारा अवलंब भी लिया गया है जिसका सुसंगत पैरा इस प्रकार है :-

> "4. विधित:, उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक कार्य के मामले में, यदि अभियोजन पक्ष अपराध के आवश्यक संघटकों को साबित करने में समर्थ है, तब प्रत्यर्थी पर अभिलेख पक्ष की बातों को नासाबित करने का भार है कि उसने दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी बरती थी । यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त श्री दयाराम की प्रत्यर्थी द्वारा कारित दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी परंतु फिर भी अभियोजन पक्ष के लिए यह लाजिमी है कि यह साबित करे कि यान चलाते समय उतावलापन और उपेक्षापूर्वक कार्य किया गया था जिससे प्रत्यर्थी की ओर से उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान चलाए जाने का निष्कर्ष निकाला जा सके । दूसरे शब्दों में, यह साबित होना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा उतावलापन या उपेक्षा की

---

[1] 2008 (हि. प्र.) 538 = 2008 क्रिमिनल ला जर्नल (एन. ओ. सी.) 616 (हि. प्र.).

कार्यवाही की गई थी जिसमें निकटतम कारण हो इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु तथा अभियुक्त का उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक कार्य के बीच वह कारण जिसके बिना घटना नहीं हो सकती थी, का संबंध होना चाहिए । रूपिन्दर प्रकाश (अभि. सा. 4) के अनुसार मृतक को मोटरसाइकिल से चोट पहुंचाई गई थी जो अत्यधिक तेज गति से चल रहा था परंतु गति को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक ठहराने के लिए मापदंड के रूप में नहीं माना गया है । प्रत्यर्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में यह स्पष्टीकरण दिया है कि मृतक को देखकर, उसने हार्न बजाया था और वह (मृतक) सड़क पर रुक गया था और जैसे ही वह उसके नजदीक पहुंचा । उसने तत्काल सड़क को पार करने की कोशिश की और परिणामस्वरूप उसे चोट पहुंची । उसके वृत्तांत की हरदीप सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 1) द्वारा सम्यक् रूप से पुष्टि की गई है जो उसके साथ मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा हुआ था । अजय कुमार (अभि. सा. 1) ने इस वृत्तांत को स्वीकार किया है कि प्रत्यर्थी ने हार्न बजाया था और दयाराम हार्न को सुनकर कुछ समय के लिए रुक गया था । इन परिस्थितियों में, यदि कोई व्यक्ति अचानक सड़क पार कर रहा है तथा यान के पहुंचने की ओर ध्यान नहीं देता है और उस यान का ड्राइवर ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि दुर्घटना से बचा जाए, तब यह संभव नहीं होगा कि ड्राइवर को अपराध का दोषी ठहराया जाए । वर्तमान मामले में, मृतक को कम से कम यान के पहुंचने के बारे में पूरी जानकारी थी और वह हार्न को सुनकर रुका और सड़क को पार करते समय जब मोटरसाइकिल उसके नजदीक पहुंची, वह इससे घबरा गया और दुर्घटना घटित हो गई । इस प्रकार मेरी राय यह है कि अभियोजन पक्ष प्रत्यर्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे आरोपित अपराध को साबित नहीं कर सका है कि प्रत्यर्थी उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक यान को चला रहा था । इसलिए, इन परिस्थितियों में, विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को उसके विरुद्ध विरचित किए गए

आरोपों से दोषमुक्त कर ठीक ही किया था इस प्रकार दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है । तद्नुसार अपील को खारिज किया जाता है । प्रत्यर्थी द्वारा विचारण के प्रक्रम पर दिए गए जमानत बंध पत्र से उसे उन्मोचित किया जाता है ।"

22. इस न्यायालय ने **पंजाब राज्य** बनाम **सौरभ बख्शी**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी पूरा ध्यान दिया गया जिसमें लापरवाह ड्राइवर दर्शित होना उसके साथ कोई अवधानता नहीं बरती जाएगी । उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया जो इस प्रकार है :–

"25. इस मामले को निपटाने से पूर्व हम यह मत व्यक्त करने के लिए विवश हैं कि भारत के पास सड़क दुर्घटनाओं के अभिलेख में अपकीर्ति के कई दृष्टांत हैं, जिनमें ड्राइवरों के साथ कोई अच्छा दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है । उन्होंने यह महसूस किया है कि वे सभी सर्वेक्षणों में सम्राट की भांति हैं और उनके पियक्कड़ होने से लापरवाही से गाड़ी चलाना प्रकट होता है जहां अन्य लोग उनके अधीनस्थ हो जाते हैं और कई आदमी यह महसूस करता है कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है और पैदल चलने वाला अनिश्चितता की बात को सोचता है और सभ्य व्यक्तियों के मन में निरंतर भय बना रहता है । परंतु लोगों के आपत्तिजनक दृष्टिकोण के बारे में आशंका भी बनी रहती है जो अपने को जीवन से बड़ा समझते हैं । ऐसी परिस्थितियों में हम यह मत व्यक्त करने के लिए बाध्य हैं कि विधि निर्माताओं को दंड संहिता की धारा 304क में दंड की नीति की संवीक्षा और पुनः उसको देखा जाना तथा उसको पुनरीक्षित किया जाना चाहिए जिससे कि वेदना से बचा जा सके ।"

---

[1] (2015) 5 एस. सी. सी. 182 = 2015 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2249.

23. उच्चतम न्यायालय द्वारा ड्राइवरों के लापरवाह/उतावलेपन के बारे में पूर्वोक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त किसी प्रकार असहमति व्यक्त नहीं की जा सकती । खास तौर पर जब ड्राइवर एल्कोहल के प्रभाव में होता है । परंतु वर्तमान मामले में जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे इस बात को साबित करने में समर्थ नहीं है कि दुर्भाग्यपूर्ण यान को अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था । अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया वृत्तांत अभिकथित प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य में तात्विक विभेदों को ध्यान में रखते हुए अविश्वसनीय प्रतीत होता है और इस प्रकार यह न्यायालय वर्तमान मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित पूर्वोक्त विधि को लागू करना उचित नहीं समझता है ।

24. **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **दिलवार सिंह**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया जो इस प्रकार है :-

> "11. अभि. सा. 4 और अभि. सा. 7 के कथनों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सका है कि यद्यपि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 के पास अपनी आंखों से घटना को देखे जाने का कोई अवसर नहीं था, वस्तुतः, वे अभि. सा. 7 द्वारा शोरगुल किए जाने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचे थे । यह बात समझ में नहीं आई कि जब अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 ने अपनी आंखों से घटना को नहीं देखी थी तब उन्होंने कैसे प्रत्यर्थी द्वारा चलाए जा रहे अभिकथित यान का पीछा कर सके, क्योंकि उस सुसंगत समय पर किसी भी अभियोजन साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि उन्होंने आघाती यान का रजिस्ट्रेशन सं. अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 को बताई थी । यद्यपि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 5 ने कहीं भी यह अभिकथन नहीं किया है कि अभि.

---

[1] 2017 (3) हिमाचल एल. आर. 1938.

सा. 6 और अभि. सा. 8 को उनके द्वारा दुर्घटना के बारे में सूचना दी गई थी । खास तौर पर आघाती यान की रजिस्ट्रेशन सं. के बारे में सूचना दी गई थी, इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई कहानी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है ।

12. दोहराते हुए यह कथन किया जा सकता है कि किसी भी अभियोजन साक्षी के कथन में कहीं भी यह बात प्रकट नहीं हुई है कि जिनके पास अपनी आंखों से दुर्घटना को देखने का अवसर था कि दुर्घटना के तुरन्त पश्चात् उन्होंने आघाती यान की रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अभियुक्त के बारे में अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 को सूचना दी थी, इस प्रकार, अभियुक्त की कहानी जैसा कि अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8 द्वारा बताई गई जिससे कोई विश्वास प्रकट नहीं होता है क्योंकि स्वीकृतत: उन्हें दुर्घटना में आघाती यान के अन्तर्वलन के बारे में तथा अभियुक्त के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी ।

13. प्रत्येक बात को छोड़ते हुए यह न्यायालय अभियोजन साक्षियों के कथनों में कुछ भी निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हुआ था जहां से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यान को उतावलेपन से तथा उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था जिसे प्रत्यर्थी द्वारा यान को तेज रफ्तार से भी चलाया गया । इस प्रकार, यह न्यायालय अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में दी गई प्रतिरक्षा में सारभूत बल पाता है कि उसने श्री मिल्की राम और कुरपाल राम को यान से चोट पहुंचाई थी ।

14. इसमें ऊपर जिस साक्ष्य की चर्चा की गई है उससे यह अभिनिर्धारित करना पर्याप्त है कि वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान मामले में, दो मत संभव हैं और इस प्रकार वर्तमान अभियुक्त संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है । वर्तमान

मामले में अभियोजन कहानी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है और इस प्रकार उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता । इस बारे में, मैं उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** गंभीर सिंह ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2439 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय का उल्लेख कर सकता हूं जहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि एक ही साक्ष्य पर दो मत युक्तियुक्त रूप से संभव हैं उनमें से एक अभियुक्त के पक्ष को अधिमानता देता है । सुसंगत पैरा जो इस प्रकार है –

> "6. जहां तक होरी लाल (अभि. सा. 1) का संबंध है, उसे ग्राम से टोकरी लाने के लिए भेजा था और केवल संयोग से ऐसा हुआ था कि जब वह वापस लौट रहा था तब उसने संपूर्ण घटनाक्रम को देखा था । उच्च न्यायालय ने उसके परिसाक्ष्य का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं समझा क्योंकि उसके साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि उसका अपीलार्थियों के विरुद्ध विद्वेष था । इसके अतिरिक्त उसके परिसाक्ष्य का विषयपरक परिस्थितियों से संपुष्टि नहीं हुई थी । यद्यपि यह उसका स्पष्ट मामला था कि उन सभी ने गोली चलाई थी । रायफल से कोई क्षति कारित किया जाना नहीं पाया गया था, और, मृतक के शरीर पर केवल दो घाव पाए गए थे । इस बात के अलावा अभि. सा. 3 ने घटना के समय पर अभि. सा. 1 या अभि. सा. 2 की मौजूदगी का उल्लेख नहीं किया है । इन सभी परिस्थितियों से अभियोजन पक्षकथन की सच्चाई के बारे में संदेह पैदा होता है । इन तीनों साक्षियों की मौजूदगी के बारे में संदेह प्रतीत होता है यदि उनके साक्ष्य का आलोचनात्मक रूप से संवीक्षा की जाए । यह भी संभव हो सकता है कि अभियोजन के पक्ष में मत अपनाया गया, परंतु चूंकि उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर अभियुक्त के पक्ष

> में निष्कर्ष अभिलिखित किया है, हम दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । यह सुस्थिर है कि यदि एक ही साक्ष्य पर दो मत युक्तियुक्त रूप से संभव हैं तब उनमें से अभियुक्त के पक्ष वाले मत को अधिमानता दी जाएगी ।"

25. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए यदि एक ही साक्ष्य पर दो मत युक्तियुक्त रूप से संभव हैं, तो अभियुक्त के पक्ष वाले मत को अधिमानता दी जाएगी । वर्तमान मामले में, जब दुर्घटना के समय पर आघाती यान के ड्राइवर के रूप में अभियुक्त की पहचान को सिद्ध नहीं किया गया है, तो उसे संदेह का फायदा दिया जाएगा ।

26. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने दांडिक अपील सं. 24-पी/2007 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय), धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 23 जून, 2009 को पारित किए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता हूं, जिसे तद्नुसार कायम रखा जाता है । परिणामस्वरूप, यह अपील असफल है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है । अभियुक्त द्वारा दिए गए जमानत बंध-पत्र यदि कोई हैं तो उनसे उसे उन्मोचित किया जाता है । यदि कोई लंबित आवेदन हैं तो उनका भी निपटारा किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

प्रेम बहादुर

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

और

दलीप पुनमागर

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(2017 की दांडिक अपील सं. 631, 414)

तारीख 11 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति धरम चंद चौधरी और न्यायमूर्ति (सुश्री) ज्योत्सना रेवाल दाउ

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 34 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – हेतु – पारिस्थितिक साक्ष्य – यदि मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है और पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला पूरी नहीं है तथा उपलब्ध साक्ष्य से कोई सकारात्मक सबूत प्रकट नहीं होता है तो अपीलार्थी-अभियुक्त दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 और 34 – हत्या – आयुध की बरामदगी – अचानक प्रकोपन – जहां मामले में अपराध के आयुध की बरामदगी न हुई हो तथा अचानक प्रकोपन में आकर आवेश की तीव्रता में हमला किए जाने का कोई साक्षी नहीं है तथा मृतक के शरीर के किसी नाजुक भाग पर हमला किए जाने का भी साक्ष्य नहीं है तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

तारीख 27 फरवरी, 2013 को श्री पारस राम ने हरक बहादुर के साथ (दोनों नेपाली हैं), ने लगभग 5.00 बजे अपराह्न ग्राम प्रेम नगर, तहसील और पुलिस थाना, कोटखाई, जिला शिमला पर स्थित कुंदन सिंह

(अभि. सा. 5) की दुकान से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं खरीदी थीं । वस्तुओं को खरीदने के पश्चात् वे दोनों चंदेर नगर की ओर गए । अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्ति प्रेम बहादुर और दिलीप पुनमागर और केसर बहादुर (किसार) कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) की दुकान पर आए । उन्होंने कुछ रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को खरीदा और चंदेर नगर की ओर चले गए । तारीख 28 फरवरी, 2013 को 8.45 बजे पूर्वाह्न के आस-पास मृतक पारस राम का शव चंदेर नगर के नजदीक ग्राम भोज नगर के सड़क पर पड़ा हुआ बरामद किया गया था । शिकायतकर्ता के कथन पर श्री जवाहर लाल (अभि. सा. 1) का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया गया था (जिसके अधीन मृतक पारस राम काम करता था), तारीख 28 फरवरी, 2013 को दंड संहिता की धारा 302 और 323 के साथ पठित धारा 34 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 10/2013 पुलिस थाना कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई थी । श्री हरक बहादुर मृतक पारस राम का साथी है जिसे अन्वेषण के दौरान शामिल किया गया था । उसके कथन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन तारीख 4 मार्च, 2013 को अभिलिखित किया गया था जो इस प्रभाव का है कि सभी पांच नेपाली (प्रेम बहादुर, दिलीप पुनमागर (दोनों अभियुक्त व्यक्ति), उसने स्वयं हरक बहादुर, केसर बहादुर (किसार) और मृतक पारस राम ने तारीख 27 फरवरी, 2013 को रात के दौरान भोज नगर के नजदीक शराब पी थी और जब उन सभी के बीच झगड़ा हुआ । तब वे सभी एक-दूसरे पर लातों और घूसों से प्रहार करने लगे और अभियुक्त ने उसे और मृतक पारस राम को पीटा था । श्री किसार वहां से तत्काल चला गया था । वह (श्री हरक बहादुर) नीचे गिर गया था और क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसे तीव्र क्षतियां पहुंचाईं जाना अभिकथित है, वह लगभग 2 घंटे के पश्चात् पुन: होश में आया था । वह पारस राम (मृतक) के पास पहुंचा । उससे कोई उत्तर नहीं मिलने पर उसने यह उपधारणा की कि पारस राम अपने घर को चला गया जिसके पश्चात् वह भी चला गया । उसने यह भी कथन किया कि अगले दिन, पुलिस ने उसे पारस राम की मृत्यु के बारे में सूचना दी । उसने पारस राम की अभिकथित हत्या के लिए अभियुक्त व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया ।

दोनों अभियुक्तों को मृतक पारस राम (नेपाली) की हत्या करने के लिए दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 तथा हरक बहादुर को क्षतियां पहुंचाने के लिए दंड संहिता की धारा 323 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया था । दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (सी. बी. आई.) शिमला, थेयोग, कैम्प द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को आजीवन कठोर कारावास भोगने के साथ जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया । अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा अपनी दोषसिद्धि व दंडादेश के विरुद्ध अपीलें फाइल की गईं । अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । अभिकथित अपराध का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है । परिस्थितियां जिनसे अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध किया जाना है, उसे युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होना चाहिए । परिस्थितियों की श्रृंखला को भी सिद्ध होना चाहिए और इनका अभियुक्त व्यक्तियों से प्रत्यक्ष और निश्चित जुड़ाव भी होना चाहिए । पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए बहुत सचेत होकर उसे अंगीकार किया जाना चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वीकृतत: पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में न्यायनिर्णयन करने के लिए निम्न कारकों को संज्ञान में लिया है जो इस प्रकार है । परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए । संबंधित परिस्थितियों को आवश्यक रूप से सिद्ध होना चाहिए या सिद्ध होंगी न कि सिद्ध हो सकती हैं । इस तरह सिद्ध किए गए तथ्य अभियुक्त की दोषिता के परिकल्पना के संगत होनी चाहिए, अर्थात् उनका इसके सिवाय किसी अन्य कल्पना का स्पष्टीकरण नहीं लिया जाना चाहिए कि अभियुक्त दोषी है ; परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं ; उनसे प्रत्येक संभव परिकल्पना को अपवर्जित किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि वे पूर्ण रूप से साबित की गईं हों ; और साक्ष्य की श्रृंखला को इस तरह पूरा होना चाहिए जिससे कि अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत निष्कर्ष निकालने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार

नहीं होना चाहिए और उससे यह दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं पर अभियुक्त द्वारा कार्य किया जाना होना चाहिए । यह अनिर्णीत विषय नहीं रहा है कि किसी समय विधिक सबूत के स्थान पर संदेह को नहीं लिया जा सकता है, अनभिज्ञता वश आदर्श निश्चितता और विधिक सबूत के बीच कार्यवाही किया जाना हो सकता है । ऐसे समय में ऐसे मामले में विशेष शक्ति होना कहा जा सकता है और इससे निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए अटकलबाजियों को पृथक् किया जा सकता है । अभियोजन का यह मामला संपूर्ण रूप से पारिस्थतिक साक्ष्य पर आधारित है । ऐसे मामले में जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो उसमें यह विधि सुस्थिर है कि परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता हो, उसे पूरी तरह से साबित होना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां प्रकृति में निश्चायक होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, सभी परिस्थतियों को पूरा होना चाहिए, उनसे एक श्रृंखला बननी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, साबित की गई परिस्थितियां अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत होनी चाहिए और उसकी निर्दोषिता के पूर्णतया असंगत होनी चाहिए । वर्तमान मामले में घटना का कोई साक्षी नहीं है और यह मामला केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । आगे कार्यवाही करने से पूर्व यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अभियुक्त को दोषमुक्त करने या सिद्धदोष करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में विधि का उल्लेख करे ।

परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना ईप्सित है, उसे अकाट्य और दृढ़तापूर्वक साबित किया जाना चाहिए; ये परिस्थितियां निश्चित प्रकृति की होनी चाहिएं जिनसे अचूक रूप से अभियुक्त की दोषिता इंगित होनी चाहिए । परिस्थितियां जिन्हें संचयी रूप से लिया गया है, उनसे एक पूरी श्रृंखला बननी चाहिए कि निष्कर्ष से किसी तरह बचा नहीं जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा ही अपराध किया गया था न किसी और द्वारा ; और दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए परिस्थितिक साक्ष्य को पूरा होना चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के अलावा किसी ऐसे परिकल्पना का

स्पष्टीकरण देने में समर्थ होना चाहिए कि और ऐसा साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता के संगत ही नहीं होना चाहिए बल्कि अभियुक्त की निर्दोषिता के असंगत होना चाहिए । पूर्वगामी चर्चा के दौरान हमारी विचारित राय यह है कि दोनों निचले न्यायालय ने यह अवलंब लेने में गलती की है कि कथन का भाग जिससे संस्वीकृति की शब्दावली प्रकट हो सकती है जो उन्होंने अभिरक्षा में रहते हुए पुलिस अधिकारी को दी थी और इसे साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 को प्रतिकूल ठहराया जाएगा और केवल कथन का वह भाग जिससे विभिन्न सामग्रियों का पता चलता है, अनुज्ञेय होगी । इसलिए, अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य तात्विक साक्ष्य के अभाव में, उन्हें मृतका के साथ अंतिम बार एक साथ देखे जाने के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता । वर्तमान मामले में, श्री हरक बहादुर जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, मुख्य साक्षी है जिसकी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं की गई, यद्यपि वह केवल ऐसा व्यक्ति था जो मामले में प्रकाश डाल सकता हो । श्री हरक बहादुर की परीक्षा न करने से अभियोजन पक्षकथन तात्विक रूप से प्रभावित होगा । तथाकथित परिसाक्ष्य जो अभिलेख पर उपलब्ध है, अभियुक्त को अभिकथित अपराध से संबंधित करने के लिए पर्याप्त नहीं है । हेतु : जैसा कि अभिलेख पर देखा गया है, वर्तमान मामले में, अभियुक्त व्यक्तियों का अभिकथित अपराध करने के लिए कोई हेतुक नहीं था । निरीक्षक गौरी दत्त शर्मा अभि. सा. 23, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मेरे अन्वेषण के अनुसार अभियुक्त और मृतक प्रेम नगर के नजदीक घटना के दिन प्रथम बार मिले थे परन्तु मैं यथावत् स्थान के बारे में नहीं बता सकता जहां वे पहली बार मिले । यह सही है कि अभियुक्त व्यक्ति की मृतक के साथ कोई शत्रुता नहीं थी । मामले के दूसरे पहलू पर विचार करते हुए, अभियुक्त का हेतु अपराध करने का रहा है जिस पर गांव के उत्सव में ड्रामा के दौरान अभियुक्त और मृतक के बीच पूर्व में झगड़े के लिए उत्तरदायी ठहराए गए थे । साधारणतया, अभियोजन के मामले में अभियुक्त के हेतु को जानने की इच्छा जाहिर की गई क्योंकि परिस्थिति अपराध में फंसाने वाली एक अन्य परिस्थिति की भांति है और इसे भी पूरी तरह से सिद्ध किया जाना चाहिए । हम इस

तथ्य के प्रति सचेत हैं कि यदि घटना के हेतु की वास्तविकता को साबित नहीं किया गया है, साक्षियों का घटना के बारे में मौखिक परिसाक्ष्य को केवल हेतु के अभाव के आधार पर ही त्यक्त नहीं किया जा सकता । यदि साक्ष्य विश्वास योग्य है । परन्तु वर्तमान मामले में जैसाकि हमने ऊपर के पैराओं में पहले ही चर्चा की है, प्रत्यक्ष साक्षियों का साक्ष्य संतोषजनक नहीं है और दूसरी ओर, यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त द्वारा लकड़ी के डंडे से मृतक के सिर पर चोट मारी थी । प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य के बावजूद कि उनके बीच झगड़ा हुआ था । ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, निश्चित रूप से दोधारी तलवार का प्रयोग करके हेतु से कार्य किया गया । इस प्रकार सुस्थिर विधि को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा और साक्ष्य से जो कुछ भी स्पष्ट हुआ है इसमें अत्यधिक क्रूरता का अभाव है, यद्यपि यह उपधारणा की गई है कि अभियुक्त ने डंडे से मृतक को चोट पहुंचाई । क्या मामले में मृतक के जीवन को छीने जाने का प्रबल हेतु रहा है, साधारणतया, मृतक को अत्यधिक घातक क्षतियां पहुंचाई जानी चाहिए थीं न कि डंडे से परंतु खतरनाक आयुधों का प्रयोग करके । इन परिस्थितियों से हमें यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त द्वारा ग्राम उत्सव के ड्रामा के दौरान किए गए झगड़े की पृष्ठभूमि में अभियुक्त द्वारा हेतु ग्रहण किया गया था, घटना की तारीख से पूर्व जैसा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए उस आधार को बताता है जिसमें उक्त झगड़े में हेतु का तत्व रहा हो, ऐसे हेतु के सकारात्मक सबूत के अभाव में, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल हुआ हो कि इस मामले में हेतु से कोई आधार प्रकट होता हो । माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित बातें कही हैं । परिस्थितियां जिसमें घटना घटी ; प्रयोग किए गए आयुध की प्रकृति ; क्या आयुध लाया गया था या घटनास्थल से उसे लिया गया ; क्या शरीर के महत्वपूर्ण भाग को लक्षित करके हमला किया गया था ; प्रयोग किए गए बल की मात्रा ; क्या मृतक ने अचानक झगड़े में भागीदारी की थी ; क्या कोई पूर्व दुश्मनी थी ; क्या कोई अचानक प्रकोपन हुआ था ; क्या हमला आवेश की तीव्रता में हुआ था ; और क्या व्यक्ति जिसे क्षति कारित की गई । किसी असम्यक् फायदे से की

गई थी या क्रूरता या अप्रायिक रीति में कार्य किया गया था । वर्तमान मामले में, ऐसी कोई परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता कि अभियुक्त का मृतक पारस राम की हत्या करने का आशय था । किसी आयुध की बरामदगी नहीं की गई थी । ऐसा कोई कथन नहीं है कि शरीर के किसी नाजुक भाग पर हमला किया गया था । किसी पूर्व शत्रुता के बारे में कोई साक्षी नहीं है । इसके अतिरिक्त अचानक प्रकोपन का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि हमला आवेश की तीव्रता में आकर किया गया था या अभियुक्त के बारे में कोई असम्यक् फायदा लेने के लिए क्षति कारित किया जाना अभिकथित है या क्रूरता या अप्रायिक रीति में कार्य किया गया था । यद्यपि, साक्षियों के कथन पर विश्वास किया जाए । इस पर जो कुछ भी ठीक से निष्कर्ष निकाला जाए । यह है कि यह एकल व्यक्ति का मामला नहीं था या अभियुक्त व्यक्तियों ने एक व्यक्ति को पीटा था । इस मामले के बारे में यह कहा जा सकता है कि पांच पिए हुए व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ था, इन सभी के बीच गुथमगुत्था हुई थी और किसने उस पर क्षति कारित की ; और किसने घातक क्षति पहुंचाई, यह बात आगे नहीं आती है । पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला न तो विश्वसनीय है और न पूर्ण है । इन परिस्थितियों में साक्ष्य के अभाव में ऐसी दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने का साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह के परे होना चाहिए । अप्रतिरोध्य और निश्चित निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति वास्तविक अपराधी है । वर्तमान मामले में हमारी यह राय है कि इस मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है । पारिस्थितिक साक्ष्य से विश्वास नहीं मिलता है, श्रृंखला पूरी नहीं है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से अपीलार्थी अभियुक्त व्यक्तियों पर अभ्यारोपण करने का निश्चय साक्ष्य नहीं हो सकता है । मात्र परिकल्पना के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । उपलब्ध साक्ष्य से कोई सकारात्मक सबूत प्रकट नहीं होता है कि केवल वह व्यक्ति था जिसने अभियुक्त व्यक्तियों में से यह कार्य किया । उपरोक्त चर्चा और मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अपने पक्षकथन को

सिद्ध करने में विफल हुआ है । परिणामस्वरूप, अपीलार्थी दोषसिद्ध व्यक्ति, नेपाली राष्ट्र के व्यक्ति द्वारा फाइल की गई अपीलें मंजूर की जाती हैं और उन्हें दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने से दोषमुक्त किया जाता है । परिणामस्वरूप, अपीलार्थी दोषसिद्ध व्यक्ति जो वर्तमान में दंड को भोग रहे हैं, उन्हें तत्काल निर्मुक्त किया जाता है ।

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2017]	(2017) 14 एस. सी. सी. 359 : **अंजन कुमार शर्मा** बनाम **असम राज्य** ;	8(v)(ख), 10(vi)(क)
[2017]	(2017) 16 एस. सी. सी. 353 : **गणपत सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	8(v)(क)
[2017]	(2017) 11 एस. सी. सी. 129 : **बिजेन्द्र सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	9(ii)
[2015]	(2015) 4 एस. सी. सी. 393 : **अशोक** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	8(v)(ग)
[2014]	(2014) 11 एस. सी. सी. 335 : **जोगिन्द्र सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	9(ii)(ख)
[2006]	(2006) 10 एस. सी. सी. 174 : **रामरेड्डी, राजेश खन्ना रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	8(iii)
[2005]	(2005) 11 एस. सी. सी. 600 : **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली)** बनाम **नवजोत संधु** उर्फ **अफसान गुरु** ।	10(vi)(ख)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 631, 414.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री बलवंत सिंह ठाकुर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री नरेन्द्र गुलेरिया, अपर महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (सुश्री) ज्योत्सना रेवाल दाउ ने दिया ।

न्या. (सुश्री) दाउ – अपीलार्थी-अभियुक्त प्रेम बहादुर और दिलीप पुनमागर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त व्यक्ति" कहा गया है) ने 2013 के सेशन विचारण सं. 22-टी/7, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम प्रेम बहादुर और एक अन्य वाले मामले में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (सी. बी. आई.) शिमला, थेयोग, कैम्प द्वारा तारीख 21 जनवरी, 2017 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध यह अपील फाइल की गई है, जिसके द्वारा दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कठोर कारावास भोगने के साथ अलग-अलग 50,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को आजीवन कारावास के अतिरिक्त एक वर्ष का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया ।

2. **अभियोजन मामला** :

अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है :–

2.(i) तारीख 27 फरवरी, 2013 को श्री पारस राम ने हरक बहादुर के साथ (दोनों नेपाली हैं), ने लगभग 5.00 बजे अपराह्न ग्राम प्रेम नगर, तहसील और पुलिस थाना, कोटखाई, जिला शिमला पर स्थित कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) की दुकान से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं खरीदी थीं । वस्तुओं को खरीदने के पश्चात् वे दोनों चंदेर नगर की ओर गए । अपीलार्थी/अभियुक्त व्यक्ति प्रेम बहादुर और दिलीप पुनमागर और केसर बहादुर (किसार) कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) की दुकान पर आए । उन्होंने कुछ रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को खरीदा और चंदेर नगर की ओर चले गए ।

2.(ii) तारीख 28 फरवरी, 2013 को 8.45 बजे पूर्वाह्न के आस-

पास मृतक पारस राम का शव चंदेर नगर के नजदीक ग्राम भोज नगर के सड़क पर पड़ा हुआ बरामद किया गया था ।

2.(iii) शिकायतकर्ता के कथन पर श्री जवाहर लाल (अभि. सा. 1) का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया गया था (जिसके अधीन मृतक पारस राम काम करता था), तारीख 28 फरवरी, 2013 को दंड संहिता की धारा 302 और 323 के साथ पठित धारा 34 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 10/2013 पुलिस थाना कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई थी । श्री हरक बहादुर मृतक पारस राम का साथी है जिसे अन्वेषण के दौरान शामिल किया गया था । उसके कथन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन तारीख 4 मार्च, 2013 को अभिलिखित किया गया था जो इस प्रभाव का है कि सभी पांच नेपाली (प्रेम बहादुर, दिलीप पुनमागर (दोनों अभियुक्त व्यक्ति), उसने स्वयं हरक बहादुर, केसर बहादुर (किसार) और मृतक पारस राम ने तारीख 27 फरवरी, 2013 को रात के दौरान भोज नगर के नजदीक शराब पी थी और जब उन सभी के बीच झगड़ा हुआ तब वे सभी एक-दूसरे पर लातों और घूसों से प्रहार करने लगे और अभियुक्त ने उसे और मृतक पारस राम को पीटा था । श्री किसार वहां से तत्काल चला गया था । वह (श्री हरक बहादुर) नीचे गिर गया था और क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसे तीव्र क्षतियां पहुंचाई जाना अभिकथित है, वह लगभग 2 घंटे के पश्चात् पुन: होश में आया था । वह पारस राम (मृतक) के पास पहुंचा । उससे कोई उत्तर नहीं मिलने पर उसने यह उपधारणा की कि पारस राम अपने घर को चला गया जिसके पश्चात् वह भी चला गया । उसने यह भी कथन किया कि अगले दिन, पुलिस ने उसे पारस राम की मृत्यु के बारे में सूचना दी । उसने पारस राम की अभिकथित हत्या के लिए अभियुक्त व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया ।

3. दोनों अभियुक्तों को मृतक पारस राम (नेपाली) की हत्या करने के लिए दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 तथा हरक बहादुर को क्षतियां पहुंचाने के लिए दंड संहिता की धारा 323 के साथ

पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए आरोपित किया गया था । दोनों अभियुक्त व्यक्तियों ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 24 साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए गए जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कोई प्रतिरक्षा नहीं दी गई थी ।

5. हमने अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों के विद्वान् काउंसेल तथा विद्वान् अपर महाधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण मामले का बारीकी से परिशीलन किया ।

6. अभियुक्त व्यक्तियों को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी ठहराते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रारंभिक रूप से इन बातों पर अपने विनिश्चय को आधारित किया है :-

(i) अंतिम बार देखे जाने की कहानी ।

(ii) पारिस्थितिक साक्ष्य ।

(iii) प्रकटीकरण कथन ।

7. हमारा विचारित मत यह है कि वर्तमान मामले में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सही और उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है, जिससे वर्तमान अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि का परिणाम निकाला है । अभिलेख पर उपलब्ध कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है, जिसकी कसौटी पर अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय घृणित अपराध करने के लिए अपराध से दोषसिद्ध किया जा सकता है । हम अपने कारणों को इसमें इसके पश्चात् नीचे वर्णित करते हैं ।

अंतिम बार देखे जानी की कहानी

7.(i) साक्षी : वर्तमान मामले में इस कहानी के तीन मुख्य साक्षी

हैं, अर्थात् श्री कुंदन सिंह (अभि. सा. 5), श्री केसर (अभि. सा. 2) और श्री ज्ञान प्रताप सिंह (अभि. सा. 6) ।

7.(ii) श्री कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) ग्राम प्रेम नगर दुकानदार है । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :-

> "तारीख 27 फरवरी, 2013 को, प्रेम बहादुर और दिलीप कुमार ने मेरी दुकान से टॉफियां खरीदी थीं और हरक बहादुर, केसर बहादुर और पारस राम ने दालें, सरसों का तेल, सब्जियां और टमाटर मेरी दुकान से खरीदीं । इन वस्तुओं को खरीदने के पश्चात् वे मेरी दुकान से चले गए ।"

उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि -

> "दोनों अभियुक्त लगभग 5.00 बजे अपराह्न मेरी दुकान पर पहुंचे । अभियुक्त लगभग 5.45 बजे अपराह्न दुकान से चले गए थे । केसर बहादुर और पारस राम (मृतक) अभियुक्त व्यक्तियों के पश्चात् मेरी दुकान पर पहुंचे और सभी व्यक्ति मेरी दुकान से 5.45 बजे अपराह्न एक ही समय पर चले गए थे ।"

इस प्रकार, श्री कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि दोनों अभियुक्त लगभग 5.00 बजे अपराह्न मेरी दुकान पर पहुंचे और लगभग 5.45 बजे मेरी दुकान से चले गए । उसने यह भी कथन किया है कि मृतक पारस राम और केसर बहादुर अभियुक्त व्यक्तियों के पश्चात् मेरी दुकान पर पहुंचे और सभी व्यक्तिय अपराह्न लगभग 5.45 बजे मेरी दुकान से चले गए ।

7.(iii) जबकि श्री ज्ञान प्रताप सिंह (अभि. सा. 6) कृषक है जो कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) की दुकान के नजदीक निवास करता है, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि :-

> "सर्वप्रथम पारस राम (मृतक) और एक दूसरा व्यक्ति गोरखा दुकान से चले थे और एक घंटे के पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति भी दुकान से चले गए थे । मृतक और एक अन्य गोरखा ने लगभग

5.45 बजे दुकान से चले थे और अभियुक्त व्यक्ति लगभग 6.45 बजे अपराह्न दुकान से चले थे ।"

श्री ज्ञान प्रताप सिंह (अभि. सा. 6) का यह वृत्तांत इस प्रभाव का है कि मृतक अभियुक्त व्यक्ति के साथ नहीं था बल्कि एक-दूसरे गोरखा व्यक्ति के साथ था और मृतक पारस राम इस गोरखे के साथ लगभग 5.45 बजे अपराह्न दुकान से चले गए थे । उसके अनुसार, अभियुक्त व्यक्ति लगभग 6.45 बजे अपराह्न दुकान से चले गए थे । इस प्रकार, उसके कथन के अनुसार, मृतक और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच दुकान छोड़ने का एक घंटे का अंतराल था । यह अभि. सा. 5 के कथन में विचलन है ।

7.(iv) श्री केसर (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया कि :-

"लगभग 2 वर्ष पूर्व में प्रेम और दिलीप के साथ गुमा में गया हुआ था । जब हम गुमा से वापस लौट रहे थे तब प्रेम नगर स्थान पर पहुंचे, मृतक पारस राम और हरक बहादुर मुझे वहां पर मिले तब हम सभी पांचों व्यक्तियों ने एक स्थान पर बैठकर प्रेम नगर में बैठकर शराब पी थी । इसके पश्चात् मृतक पारस राम ने मुझे थप्पड़ मारा तब मैं मस्त राम के मकान में अपने आवास पर चला गया था । उसके पश्चात् वहां पर क्या घटित हुआ मुझे नहीं मालूम ।"

8. मताभिव्यक्तियां -

8.(i) उपरोक्त तीन साक्षियों में से किसी ने भी अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई अंतिम बार देखे जाने की कहानी का समर्थन नहीं किया है । इन तीनों साक्षियों के कथनों में बड़े विभेद हैं । श्री कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि सभी पांचों नेपालियों ने लगभग 5.45 बजे अपराह्न एक साथ उसकी दुकान से चले गए थे जबकि श्री ज्ञान प्रकाश सिंह (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि पहले मृतक पारस राम एक अन्य गोरखा के साथ दुकान से चला गया था जिसने अन्वेषण के अनुसार हरक बहादुर को छोड़ दिया था और उसके आगे एक घंटे के बाद दोनों अभियुक्त व्यक्ति श्री केसर सिंह के

साथ श्री कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) की दुकान पर पहुंचे और इसके पश्चात् वे वहां से चले गए ।

8.(ii) श्री केसर सिंह (अभि. सा. 2) ने भी यह साक्ष्य दिया है कि सभी पांचों व्यक्ति प्रेम नगर पर मिले थे और वारिस से आप्रत्र लेने के लिए एक स्थान पर बैठकर उन्होंने शराब पी । उसने यह भी कथन किया कि मृतक पारस राम द्वारा उसे थप्पड़ मारा गया था । जिसके पश्चात् उसने उस स्थान को छोड़ दिया था और मस्त राम के मकान में अपने कमरे में चला गया था । पश्चात्वर्ती घटनाओं के बारे में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है ।

8.(iii) अपीलार्थी अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने **रामरेड्डी, राजेश खन्ना रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब लेते हुए यह दलील दी है कि वर्तमान मामले में अंतिम बार देखे जाने की कहानी लागू नहीं होती है क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति के बारे में मृतक पारस राम के साथ लगभग 5.45 बजे अंतिम बार देखे जाने का अभिकथन किया गया था और मृतक का शव अगले दिन 8.45 बजे पूर्वाह्न बरामद किया गया था । समय अंतराल कम नहीं है जिससे कि अभियुक्त के अपेक्षा कोई व्यक्ति इस संभावना को अस्वीकार कर दे जो अभिकथित अपराध के कर्ता रहा हो, वर्तमान मामले में जब मुख्य साक्षी श्री हरक बहादुर की परीक्षा नहीं की गई है ।

8.(iv) हम अपीलार्थी-अभियुक्तों के विद्वान् काउंसेल की दलीलों को स्वीकार करने की ओर प्रवृत्त होते हैं । अन्यथा, अंतिम बार एक साथ देखे जाने की जो बिना किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में प्रकट है । इससे अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने का आधार नहीं बन सकता है ।

8.(v)(क) **गणपत सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न पूर्ववर्ती निर्णयों का उल्लेख करने के पश्चात् इस स्थिति को दोहराया है कि अंतिम बार देखे जाने

---

[1] (2006) 10 एस. सी. सी. 174.

[2] (2017) 16 एस. सी. सी. 353.

की कहानी तब भूमिका में आती है जहां समय के बीच समय का अंतराल प्रकट होता है जब अभियुक्त और मृतक अंतिम बार जीवित देखे गए थे और जब मृतक मृत पाया गया तो उसके बीच अंतराल बहुत था तब अभियुक्त की अपेक्षा किसी व्यक्ति के बारे में संभावना कि वह अपराध का दोषी रहा है, असंभव होगा । इस निर्णय का सुसंगत पैरा इस प्रकार है जिसे नीचे दिया गया है :-

> "10. ऐसा साक्ष्य कि अभियुक्त और मृतक अंतिम बार एक साथ दिखाई दिए थे । इससे यह महत्वपूर्ण उपधारणा की जाती है जब अभियुक्त और मृतक एक साथ देखे गए हों । समय के बीच समय का बीत जाना और जब मृतक मृत पाया जाता है जो अल्प अवधि में हुआ है । इससे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत्यु होना घटित होने की संभावना को अपवर्जित किया जाता है । विधि का सुस्थिर सूत्र इस प्रकार है -
>
> > "अंतिम बार देखे जाने की कहानी तब भूमिका में आती है जहां अभियुक्त और मृतक अंतिम बार जीवित देखे गए थे तब समय के बीच समय का अंतराल देखा जाता है और जब मृतक कम समय में मृत पाया जाता है तब अभियुक्त की अपेक्षा किसी अन्य व्यक्ति की संभावना अपराध के कर्ता होने के रूप में असंभव हो जाएगी । कुछ मामलों में यह बात बड़ी मुश्किल होती है कि सकारात्मक रूप से यह सिद्ध हो जाए कि अभियुक्त का जब मृतक से मिलने का लंबा अंतराल हो और अन्य व्यक्तियों की उनके बीच आने की संभावना विद्यमान रहती है । किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में यह निष्कर्ष निकालना कि अभियुक्त मृतक अंतिम बार एक साथ देखे गए थे, ऐसे मामलों में यह कठिन होगा कि उन मामलों में दोषिता के निष्कर्ष पर पहुंचा जाए ।"

8.(v)(ख) **अंजन कुमार शर्मा** बनाम **असम राज्य**[1] वाले मामले में एक समान विनिश्चयाधार है । निर्णय का सुसंगत पैरा इस प्रकार है :-

---

[1] (2017) 14 एस. सी. सी. 359.

"19. अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति से स्वत: अपराध के दोष के संबंध में अभियुक्त को उत्तरदायी ठहराने का आधार नहीं हो सकता । कन्हैया लाल **बनाम** राजस्थान राज्य वाले मामले में इस न्यायालय ने (एस. सी. सी. पृष्ठ 719, पैरा 12 और 15) यह अभिनिर्धारित किया है कि –

'12. अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति से स्वत: मामले में हस्तक्षेप करना अपरिहार्य नहीं होता है कि वह अभियुक्त था जिसने अपराध किया है । इसमें कुछ और अभियुक्त और अपराध के बीच को सिद्ध करने के लिए अपराध के बीच के संबंध के सिद्ध होने के लिए कुछ अन्य संबंधित बातें हैं और अपराध के बारे में अपीलार्थी की ओर से मात्र स्पष्टीकरण नहीं देने पर हमारा विचारित मत यह है कि इससे स्वत: अपीलार्थी के विरुद्ध दोषिता का सबूत नहीं हो सकता ।'

15. अंतिम बार देखे जाने की कहानी – अपीलार्थी मृतक के साथ इस रीति में गया था जैसाकि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है जो उसके विरुद्ध उपलब्ध पारिस्थितिक साक्ष्य का एक टुकड़ा मात्र है । अपीलार्थी की दोषसिद्धि मात्र संदेह के आधार पर कायम नहीं रखी जा सकती है, तथापि, जो संदेह उसके आचरण को देखते हुए प्रबल हो सकता है । इन तथ्यों से हेतु के सबूत के अभाव पर उसे महत्व दिए जाने की उपधारणा की जाती है । विशिष्ट रूप से जब यह साबित हो जाता है कि काफी लंबे समय से अभियुक्त और मृतक के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध था । ऐसी तथ्य स्थिति अत्यधिक समानता रखती है जैसा कि माधव सिंह बनाम राजस्थान राज्य में अभिकथित किया गया है ।"

8.(v)(c) **अशोक** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनर्धारित किया गया था जो इस प्रकार है :–

---

[1] (2015) 4 एस. सी. सी. 393.

"12. उपरोक्त कथित निर्णयों का अध्ययन करने से और इस न्यायालय द्वारा कई वर्षों से अन्य मामलों में नियम के बारे में जो कुछ अधिकथित किया गया है उसे संक्षिप्त किया जा सकता है क्योंकि सबूत का प्रारंभिक भार अभियोजन पक्ष पर है जिससे कि अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य को लाएं । तथापि, अंतिम बार एक साथ देखे गए मामले में, अभियोजन पक्ष घटना की यथावत घटने की प्रक्रिया के सबूत के लिए उसे छूट दी गई है क्योंकि अभियुक्त को स्वयं घटना की विशेष जानकारी होती है और इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार सबूत का भार होता है इसलिए, एक साथ अंतिम बार देखे गए से स्वत: वह निश्चायक सबूत नहीं होता है परंतु घटना के चारों ओर की अन्य परिस्थितियों के साथ जैसे अभियुक्त और मृतक के बीच संबंध, उनके बीच शत्रुता, वैरभाव का पूर्व इतिहास, अभियुक्त से आयुध की बरामदगी आदि । मृतक की मृत्यु के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना से दोषिता की उपधारणा हो सकती है ।

13. हरिबंधन बाबू भाई पटेल बनाम गुजरात राज्य वाले मामले में एक अन्य निर्णय का उल्लेख करना यहां पर सुसंगत होगा । इस मामले में इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि मृतका की मृत्यु के बीच समय अंतराल और वह समय जब उसे अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा गया था, वह समय भी सुसंगत हो सकता है ।"

8.(vi) वर्तमान मामले में अधिकथित विधि की तर्कणा को लागू करते हुए, यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी साक्षी ने अंतिम बार देखे जाने की कहानी का समर्थन नहीं किया है, जिसके आधार पर अभियुक्त को हत्या के अपराध के लिए दोषी निश्चायक रूप से ठहराया जा सकता है । श्री कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) द्वारा तारीख 27 फरवरी, 2013 को 5.45 बजे अपराह्न अभियुक्त को अंतिम बार देखे जाने के बीच समय अंतराल है और मृतक पारस राम के शव की बरामदगी

तारीख 28 फरवरी, 2013 को लगभग 8.45 बजे पूर्वाह्न की गई थी, इस बात को अल्प समय नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त, जब अभियुक्त व्यक्ति मृतक पारस राम के साथ 5.45 बजे अपराह्न नहीं थे तब उन्हें श्री केसर (अभि. सा. 2) और श्री ज्ञान प्रताप सिंह (अभि. सा. 6) के कथनों के अनुसार उसे काफी देर के बाद वह मिला था । इस प्रकार अंतिम बार देखे जाने की कहानी वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है ।

9. **तात्विक साक्षी को दबा रखना** –

9.(i) मुख्य साक्षी हरक बहादुर, जिसे पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान शामिल किया गया था उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में यह कहा है कि – (क) वह श्री कुंदन सिंह (अभि. सा. 5) की दुकान से रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को खरीदते समय मृतक पारस राम के साथ था ; (ख) और वह चंदेर नगर को जाते हुए मृतक पारस राम के साथ था ; (ग) उसने जब दोनों अभियुक्त व्यक्ति और श्री केसर सिंह से वे मिले तब उन्होंने मृतक के साथ शराब पी थी ; (घ) इसके अतिरिक्त उन सभी के बीच झगड़ा भी हुआ था ; (ङ) जिस दौरान श्री केसर सिंह उस स्थान से चला गया ; और (च) आगे अभियुक्त ने पारस राम की हत्या कर दी थी और उसे (हरक बहादुर) को क्षतियां पहुंचाई ; जिसकी अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान परीक्षा नहीं की थी ।

9.(ii)(क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि तात्विक साक्षी की परीक्षा न करने से अभियोजन पक्षकथन में बड़ा खोट है । **बिजेन्द्र सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] का निर्देश किया जा सकता है । इस निर्णय का सुसंगत पैरा इस प्रकार है –

> "36. तखाजी हिराजी **बनाम** थाकोरे कुबेर सिंह चमन सिंह (एस. सी. सी. पृष्ठ 155, पैरा 19) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है –

---

[1] (2017) 11 एस. सी. सी. 129.

"19. .....यदि कोई तात्विक साक्षी जिसने घटना की उत्पत्ति या अभियोजन पक्षकथन के आवश्यक भाग को प्रकट किया है और जहां अभियोजन पक्षकथन ने कोई अंतराल या दुर्बलता है । जिस बात को कहा जा सकता है या साक्ष्य की परीक्षा करके उसे अच्छा रूप दिया जा सकता है । यद्यपि उपलब्ध होने पर भी उसकी परीक्षा नहीं की गई, तब अभियोजन पक्षकथन कमी से ग्रसित हो सकता है और ऐसे तात्विक साक्षी को रोकने पर न्यायालय अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए विवश है जिस पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि ऐसे साक्षी की परीक्षा की गई होती तब वह अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं करता । दूसरी ओर, यदि पहले ही वशीभूत करने वाला साक्ष्य उपलब्ध है और अन्य साक्षियों की परीक्षा करने से केवल साक्ष्य को दोहराना प्रकट होता है जिसे पहले ही पेश किया गया है । ऐसे अन्य साक्षियों की परीक्षा न करना प्राथमिक नहीं हो सकता यदि पहले ही साक्षियों की परीक्षा की गई है और जो विश्वसनीय पाए गए हैं तथा उनके मुंह से प्रकट परिसाक्ष्य अनिन्द्य/निर्दोष है । कोई न्यायालय उस पर सुरक्षित रूप से कार्य कर सकता है, अन्य साक्षियों की परीक्षा न करने के तथ्य के द्वारा जो मामला अप्रभावित हुआ है ।"

9.(ii)(ख). **जोगिन्द्र सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में एक समान तर्कणा दी गई है । इस निर्णय का सुसंगत पैरा इस प्रकार है :-

"37. इस प्रक्रम पर हम लाभ पाने के लिए एक अन्य पहलू का उल्लेख कर सकते हैं जिसे प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा उदघाटित किया गया है । अभियोजन पक्ष ने मृतका के पति चन्देर की परीक्षा नहीं की जो सुसंगत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, बाला मूर्ति और विमला तीन अन्य आहत साक्षी हैं । अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । यद्यपि अभि. सा. 16 को

---

[1] (2014) 11 एस. सी. सी. 335.

उसकी प्रतिपरीक्षा में कुछ निश्चित सुझाव दिए गए परंतु उसका उत्तर अस्पष्ट है । विधि में यह सुस्थिर है कि तात्विक साक्षी की परीक्षा न करना अभिलेख पर उपलब्ध परिसाक्ष्य के महत्व को त्यक्त करने के लिए अंकगणितीय सूत्र नहीं है तथापि, यह स्वाभाविक, विश्वसनीय भी हो सकता है । न्यायालय से किसी तात्विक साक्षी को रोकने का आरोप जो अभियोजन पक्ष के विरुद्ध लगाए गए हैं, उनकी प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में परीक्षा की जानी चाहिए जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या साक्षी न्यायालय में परीक्षा देने के लिए उपलब्ध है तो भी उनको अभियोजन पक्ष द्वारा रोका गया था । (हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम ज्ञान चंद वाला मामला देखिए) ।"

वर्तमान मामला जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और अंतिम बार देखे जाने की कहानी का हरक बहादुर एकमात्र मूल कड़ी है । वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अंतिम बार देखे जाने की कहानी/पारिस्थितिक साक्ष्य की कड़ी पूरी श्रृंखला को साबित कर सका है । उसका साक्ष्य महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि किसी अन्य साक्ष्य से हत्या के अभियुक्त को उपदर्शित करने के लिए विश्वास नहीं दिलाता है जो अभिलेख पर उपलब्ध हो । चूंकि, हरक बहादुर मुख्य साक्षी है । उसकी परीक्षा न किए जाने से अभियोजन पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

10. **प्रकटीकरण कथन**

साक्षी –

10.(i) अंतिम बार देखे जाने की कहानी से अलग, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन पक्षकथन दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख पर भी आधारित हैं, तथा रक्तरंजीत कपड़े, जूते और घटना के स्थान के बारे में उनके प्रकटीकरण कथन पर आधारित हैं । साक्षी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित प्रकटीकरण कथनों के बारे में अंतर्वलित है, उप निरीक्षक ओम कृष्ण (अभि. सा. 20), कांस्टेबल प्रदीप

कुमार (अभि. सा. 14) और श्री जगदीश चौहान (अभि. सा. 4) हैं ।

10.(ii) कांस्टेबल प्रदीप कुमार (अभि. सा. 14) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि :-

> "अभियुक्त प्रेम बहादुर का कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/क है और अभियुक्त दिलीप पुनगामर का कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ख है जिन पर मेरे हस्ताक्षर हैं, ओम प्रकाश और जगदीश सांख्यांकन साक्षी हैं ।"

उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि -

> "साक्षी जगदीश चौहान घटनास्थल पर मौजूद था और न कि पुलिस थाने में । मैं यह नहीं कह सकता अन्वेषक अधिकारी द्वारा मेरी मौजूदगी में अभियुक्तों के कितने कथन अभिलिखित किए गए थे । मैंने दो ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे । अभियुक्त व्यक्तियों ने अन्वेषक अधिकारी को घटनास्थल पर अपना-अपना कथन दिया था । उनके कथन उनके घर के बाहर लेखबद्ध किए गए थे । मैंने कोई फोटो नहीं ली थी जब अभियुक्तों से कपड़े बरामद किए गए थे । कई व्यक्ति वहां पर मौजूद थे जब अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया था ।"

10.(iii) उप निरीक्षक ओम कृष्ण (अभि. सा. 20) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि :-

> "अभियुक्त का प्रथम प्रकटीकरण कथन कपड़े और जूते के बारे में था । प्रथम प्रकटीकरण कथन अभियुक्त प्रेम बहादुर द्वारा दिया गया था । मुझे मध्यांतर समय याद नहीं है जब अन्य अभियुक्त दिलीप का कथन अभिलिखित किया गया । अभियुक्त प्रेम बहादुर का प्रकटीकरण कथन लगभग 10.30 बजे से 11.30 बजे अपराह्न अभिलिखित किया गया था जब कथन अभिलिखित किया गया था तब मैं थाना भारसाधक अधिकारी प्रदीप और कांस्टेबल जगदीश के साथ था । जगदीश मुझसे पहले यहां पर

मौजूद था । मैं यह नहीं कह सकता हूं कि किस साक्षी ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कथन पर हस्ताक्षर किया था । यह बात सही नहीं है कि मैं प्रकटीकरण कथन के समय पर मौजूद नहीं था । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कथन थाना गृह अधिकारी के कमरे में अभिलिखित किया गया था ।"

10.(iv) श्री जगदीश चौहान (अभि. सा. 4) ने अपनी प्रति-परीक्षा में यह कथन किया है कि :–

"मैं लगभग 11/12 बजे पूर्वाह्न (दोपहर) में पुलिस थाने पर पहुंचा था । सहायक उप निरीक्षक द्वारा कथन अभिलिखित किया गया था परंतु मैं उसका नाम नहीं जानता हूं । दो अन्य पुलिस पदधारी भी वहां पर मौजूद थे । सहायक उप निरीक्षक ने अभियुक्त से पूछताछ की थी । मुझे अन्य पुलिस पदधारियों की श्रेणी के बारे में याद नहीं है । अभियुक्त सहायक उप निरीक्षक के कार्यालय में था ।"

मताभिव्यक्तियां :

10.(v) उपरोक्त तीनों साक्षियों के कथनों का संयुक्त रूप से परिशीलन करने पर, उनमें तात्विक विभेद प्रकट होते हैं । श्री जगदीश चौहान (अभि. सा. 4) ने यह कथन किया है कि प्रकटीकरण कथन घटनास्थल पर अभिलिखित किए गए थे और न कि पुलिस थाने में तथा अपीलार्थी अभियुक्त व्यक्तियों के प्रकटीकरण कथन अभिलिखित करते समय वहां पर कई अन्य व्यक्ति मौजूद थे । उप निरीक्षक ओम कृष्ण (अभि. सा. 20) ने यह कथन किया है कि थाना गृह अधिकारी के कमरे में लगभग 10.30 बजे पूर्वाह्न से 11.30 बजे पूर्वाह्न प्रकटीकरण अभिलिखित किए गए थे । उसने यह भी कहा है कि अभियुक्त सहायक उप निरीक्षक के कार्यालय में था और वहां पर कथन अभिलिखित किए गए थे और न घटनास्थल पर । उसने यह भी कहा है कि वह लगभग 11/12 बजे पूर्वाह्न पुलिस थाने पर पहुंचा । साक्षियों के कथनों को अभिलिखित करने का स्थान और समय जो भिन्न-भिन्न समय पर आए थे, उनके भिन्न-भिन्न कथन अभिलिखित किए गए । प्रकटीकरण कथनों

को विधि के अनुसरण में साबित नहीं किया गया है । अन्यथा तारीख 2 मार्च, 2013 को लेखबद्ध तथाकथित प्रकटीकरण कथन के आधार पर बरामदगी की गई थी जिसमें रक्तरंजीत कपड़े हैं । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि लड़ाई-झगड़ा हुआ था । कपड़ों पर रक्त की मौजूदगी के बारे में अन्य स्पष्टीकरण दिया जा सकता है । अभियुक्त द्वारा कारणों का स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त ने पारस राम की हत्या की और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी उन्हें ठहराया गया है ।

10.(vi)(क) **अंजन कुमार शर्मा और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 21 में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

> 21. इस न्यायालय ने भारत बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में किसी स्पष्टीकरण को देने में विफल होने पर केवल इस आधार पर यह पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करे । वर्तमान मामले के तथ्यों में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि अभियुक्त द्वारा कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण देने के अभाव में, अभियुक्त की दोषिता की उपधारणा अखंडनीय है और इस प्रकार अपीलार्थी सिद्धदोष किए जाते हैं ।

10.(vi)(ख) **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली)** बनाम **नवजोत संधु** उर्फ **अफसान गुरु**[2] और संबंधित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 119 में यह अधिकथित किया है जो इस प्रकार है :-

> "119. हमने पूर्व में यह उल्लेख किया है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति और किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति जब वह पुलिस अभिरक्षा में है तब उस व्यक्ति के विरुद्ध

---

[1] (2017) 14 एस. सी. सी. 359.

[2] (2005) 11 एस. सी. सी. 600.

जो अपराध का अभियुक्त है, साबित नहीं किया जा सकता । निस्संदेह, मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती । इस तरह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 में अन्वेषण के दौरान किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए कथन को लेना वर्जित है जैसा कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य जो किसी जांच या विचारण पर प्रकट हुआ है, उस सीमा को छोड़कर कि ऐसा कथन अभियुक्त द्वारा साक्षियों से विभेद प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । ऐसी संस्वीकृतियां इस कारण से वर्जित की जाती हैं कि उनका कथन अनिच्छुक और मिथ्या होने के कारण उनसे गंभीर खतरा पैदा हो सकता है । धारा 27 जिसमें अप्रायिक रूप से एक परंतुक को प्रकट करता है, जिससे पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति की ग्राह्यता के विरुद्ध वर्जन को दूर करता है जिससे अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा में प्रकट की गई विनिर्दिष्ट प्रकृति की सूचना को मंजूर करते हुए कुछ सीमा तक रखा गया है । इस भाव में धारा 25 और 26 में अंगीकृत नियमों के अपवाद को भी विचार में लिया जाता है (देखिए उदय भान **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य) । धारा 27 का परिशीलन करने पर इस प्रकार है –

> "27. अभियुक्त से प्राप्त की गई सूचना में कितनी सूचना को साबित किया जा सकता है बशर्ते कि जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त की गई सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का निपटारा कैसे किया जाता है जो अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है इसलिए ऐसी सूचना में से कितनी संस्वीकृति की कोटि में आएगी या नहीं जैसा कि पता चले हुए तथ्यों की सुभिन्नता का संबंध हो जिसे साबित किया जा सकता है ।"

11. **पारिस्थितिक साक्ष्य**

11.(i) वर्तमान मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । अभिकथित अपराध का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है । परिस्थितियां जिनसे

अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध किया जाना है, उसे युक्तियुक्त संदेह के परे साबित होना चाहिए । परिस्थितियों की श्रृंखला को भी सिद्ध होना चाहिए और इनका अभियुक्त व्यक्तियों से प्रत्यक्ष और निश्चित जुड़ाव भी होना चाहिए । पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए बहुत सचेत होकर उसे अंगीकार किया जाना चाहिए ।

11.(ii)(क) **अंजन कुमार शर्मा और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 14 और 16 में यह अभिनिर्धारित किया है कि जो इस प्रकार है :-

"14. स्वीकृतत:, यह पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है । इस न्यायालय द्वारा अधिकथित पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में न्यायनिर्णयन करने के लिए कारकों को संज्ञान में लिया जाता है जो इस प्रकार है -

(1) परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए । संबंधित परिस्थितियों को आवश्यक रूप से सिद्ध होना चाहिए या सिद्ध होंगी न कि सिद्ध हो सकती हैं ।

(2) इस तरह सिद्ध किए गए तथ्य अभियुक्त की दोषिता के परिकल्पना के संगत होनी चाहिए, अर्थात् उनका इसके सिवाय किसी अन्य कल्पना का स्पष्टीकरण नहीं लिया जाना चाहिए कि अभियुक्त दोषी है ;

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं ;

(4) उनसे प्रत्येक संभव परिकल्पना को अपवर्जित किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि वे पूर्ण रूप से साबित की गई हों ; और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला को इस तरह पूरा होना चाहिए जिससे कि अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत निष्कर्ष निकालने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं होना चाहिए और उससे यह दर्शित

होना चाहिए कि सभी मानवीय संभवताओं पर अभियुक्त द्वारा कार्य किया जाना होना चाहिए (देखिए शरद विरधीचंद शारदा **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, एस. सी. सी. पृष्ठ 185, पैरा 153 ; एम. जी. अग्रराल **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. एस. सी. पैरा 18) ।

16. यह अनिर्णीत विषय नहीं रहा है कि किसी समय विधिक सबूत के स्थान पर संदेह को नहीं लिया जा सकता है, अनभिज्ञता वश आदर्श निश्चितता और विधिक सबूत के बीच कार्यवाही किया जाना हो सकता है । ऐसे समय में ऐसे मामले में विशेष शक्ति होना कहा जा सकता है और इससे निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए अटकलबाजियों को पृथक् किया जा सकता है । (देखिए जवाहर लाल दास **बनाम** उड़ीसा राज्य, एस. सी. सी. पृष्ठ 37, पैरा 11) ।"

11.(ii)(ख) **निजाम और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय के पैरा 8 में यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :-

"8. अभियोजन का यह मामला संपूर्ण रूप से पारिस्थतिक साक्ष्य पर आधारित है । ऐसे मामले में जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो । उसमें यह विधि सुस्थिर है कि परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता हो, उसे पूरी तरह से साबित होना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां प्रकृति में निश्चायक होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, सभी परिस्थतियों को पूरा होना चाहिए, उनसे एक श्रृंखला बननी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, साबित की गई परिस्थितियां अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत होनी चाहिए और उसकी निर्दोषिता के पूर्णतया असंगत होनी चाहिए ।"

11.(ii)(ग) **नवनीतथाकृष्णा** बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक**[1] माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय के पैरा 18 और 28 में यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :-

---

[1] (2016) 1 एस. सी. सी. 550.

"18. वर्तमान मामले में घटना का कोई साक्षी नहीं है और यह मामला केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । आगे कार्यवाही करने से पूर्व यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अभियुक्त को दोषमुक्त करने या सिद्धदोष करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में विधि का उल्लेख करे । पारिस्थितिक साक्ष्य के बारे में विधि को इस न्यायालय द्वारा पडाला वीरारेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाले मामले पर विचार करना सुसंगत था जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है ; (एस. सी. सी. पृष्ठ 710-11, पैरा 10) ।

"10. .....(1) परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना ईप्सित है, उसे अकाट्य और दृढ़तापूर्वक साबित किया जाना चाहिए ;

(2) ये परिस्थितियां निश्चित प्रकृति की होनी चाहिएं जिनसे अचूक रूप से अभियुक्त की दोषिता इंगित होनी चाहिए ।

(3) परिस्थितियां जिन्हें संचयी रूप से लिया गया है, उनसे एक पूरी श्रृंखला बननी चाहिए कि निष्कर्ष से किसी तरह बचा नहीं जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा ही अपराध किया गया था न कि किसी और द्वारा ; और

(4) दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य को पूरा होना चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के अलावा किसी ऐसे परिकल्पना का स्पष्टीकरण देने में समर्थ होना चाहिए कि और ऐसा साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता के संगत ही नहीं होना चाहिए बल्कि अभियुक्त की निर्दोषिता के असंगत होना चाहिए ।"

28. पूर्वगामी चर्चा के दौरान हमारी विचारित राय यह है कि दोनों निचले न्यायालय ने यह अवलंब लेने में गलती की है कि कथन का भाग जिससे संस्वीकृति की शब्दावली प्रकट हो सकती है जो उन्होंने अभिरक्षा में रहते हुए पुलिस अधिकारी को दी थी और

---

[1] (2018) 16 एस. सी. सी. 161.

इसे साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 को प्रतिकूल ठहराया जाएगा और केवल कथन का वह भाग जिससे विभिन्न सामग्रियों का पता चलता है, अनुज्ञेय होगी । इसलिए, अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य तात्विक साक्ष्य के अभाव में, उन्हें मृतका के साथ अंतिम बार एक साथ देखे जाने के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।"

11.(iii) वर्तमान मामले में, श्री हरक बहादुर जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, मुख्य साक्षी है जिसकी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं की गई, यद्यपि वह केवल ऐसा व्यक्ति था जो मामले में प्रकाश डाल सकता हो । श्री हरक बहादुर की परीक्षा न करने से अभियोजन पक्षकथन तात्विक रूप से प्रभावित होगा । तथाकथित परिसाक्ष्य जो अभिलेख पर उपलब्ध है, अभियुक्त को अभिकथित अपराध से संबंधित करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

11.(iv) हेतु : जैसा कि अभिलेख पर देखा गया है, वर्तमान मामले में, अभियुक्त व्यक्तियों का अभिकथित अपराध करने के लिए कोई हेतुक नहीं था । निरीक्षक गौरी दत्त शर्मा अभि. सा. 23, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि :-

"मेरे अन्वेषण के अनुसार अभियुक्त और मृतक प्रेम नगर के नजदीक घटना के दिन प्रथम बार मिले थे परन्तु मैं यथावत् स्थान के बारे में नहीं बता सकता जहां वे पहली बार मिले । यह सही है कि अभियुक्त व्यक्ति की मृतक के साथ कोई शत्रुता नहीं थी ।"

11.(iv)(क) **कुमार** बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 33 और 34 में यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :-

"33. मामले के दूसरे पहलू पर विचार करते हुए, अभियुक्त का हेतु अपराध करने का रहा है जिस पर गांव के उत्सव में ड्रामा के दौरान अभियुक्त और मृतक के बीच पूर्व में झगड़े के लिए

---

[1] (2018) 7 एस. सी. सी. 536.

उत्तरदायी ठहराए गए थे । साधारणतया, अभियोजन के मामले में अभियुक्त के हेतु को जानने की इच्छा जाहिर की गई क्योंकि परिस्थिति अपराध में फंसाने वाली एक अन्य परिस्थिति की भांति है और इसे भी पूरी तरह से सिद्ध किया जाना चाहिए । हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि यदि घटना के हेतु की वास्तविकता को साबित नहीं किया गया है, साक्षियों का घटना के बारे में मौखिक परिसाक्ष्य को केवल हेतु के अभाव के आधार पर ही त्यक्त नहीं किया जा सकता । यदि साक्ष्य विश्वास योग्य है । परन्तु वर्तमान मामले में जैसाकि हमने ऊपर के पैराओं में पहले ही चर्चा की है, प्रत्यक्ष साक्षियों का साक्ष्य संतोषजनक नहीं है और दूसरी ओर, यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त द्वारा लकड़ी के डंडे से मृतक के सिर पर चोट मारी थी । प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य के बावजूद कि उनके बीच झगड़ा हुआ था । ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, निश्चित रूप से दोधारी तलवार का प्रयोग करके हेतु से कार्य किया गया ।

34. इस प्रकार सुस्थिर विधि को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा और साक्ष्य से जो कुछ भी स्पष्ट हुआ है इसमें अत्यधिक क्रूरता का अभाव है, यद्यपि यह उपधारणा की गई है कि अभियुक्त ने डंडे से मृतक को चोट पहुंचाई । क्या मामले में मृतक के जीवन को छीने जाने का प्रबल हेतु रहा है, साधारणतया, मृतक को अत्यधिक घातक क्षतियां पहुंचाई जानी चाहिए थीं न कि डंडे से परंतु खतरनाक आयुधों का प्रयोग करके । इन परिस्थितियों से हमें यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त द्वारा ग्राम उत्सव के ड्रामा के दौरान किए गए झगड़े की पृष्ठभूमि में अभियुक्त द्वारा हेतु ग्रहण किया गया था, घटना की तारीख से पूर्व जैसा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए उस आधार को बताता है जिसमें उक्त झगड़े में हेतु का तत्व रहा हो, ऐसे हेतु के सकारात्मक सबूत के अभाव में, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल हुआ हो कि इस मामले में हेतु से कोई आधार प्रकट होता हो ।"

11.(v) डाक्टर पीयूष कपिल (अभि. सा. 13) के अनुसार गला

घोंटने के मृत्यु पूर्व चिह्न मृतक की गर्दन पर दिखाई देते हैं, जो साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था । उन्होंने मृत्यु पूर्व चोट मृतक पर पाई थी ।

11.(v)(क) **लवघानभाई देवीजीभाई वासवा** बनाम **गुजरात राज्य**[1] 2018 की दांडिक अपील सं. 253 वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 10 जनवरी, 2018 को इस निर्णय का विनिश्चय देते हुए पैरा 7 में उन परिधियों को अधिकथित किया है । जिन्हें इस प्रश्न का विनिश्चय करते समय विचार में लिया जाता है कि क्या दंड संहिता की धारा 302 और 304 के अधीन मामला आता है । उक्त पैरा यहां पर पेश करते हुए निम्नलिखित बातें कही गई हैं :–

> "7. इस न्यायालय ने धीरेन्द्र कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य वाले मामले में उन परिधियों को अधिकथित किया है जिन्हें इस प्रश्न का विनिश्चय करते समय विचार में लिया गया है कि क्या दंड संहिता की धारा 302 या धारा 304 के अन्तर्गत मामला आता है जिस पर निम्नलिखित बातें कही गई हैं –
>
> (क) परिस्थितियां जिसमें घटना घटी ;
>
> (ख) प्रयोग किए गए आयुध की प्रकृति ;
>
> (ग) क्या आयुध लाया गया था या घटनास्थल से उसे लिया गया ;
>
> (घ) क्या शरीर के महत्वपूर्ण भाग को लक्षित करके हमला किया गया था ;
>
> (ङ) प्रयोग किए गए बल की मात्रा ;
>
> (च) क्या मृतक ने अचानक झगड़े में भागीदारी की थी ;
>
> (छ) क्या कोई पूर्व दुश्मनी थी ;
>
> (ज) क्या कोई अचानक प्रकोपन हुआ था ;

---

[1] (2018) 4 एस. सी. सी. 329.

(झ) क्या हमला आवेश की तीव्रता में हुआ था ; और

(ञ) क्या व्यक्ति जिसे क्षति कारित की गई । किसी असम्यक् फायदे से की गई थी या क्रूरता या अप्रायिक रीति में कार्य किया गया था ।"

11.(v)(ख) वर्तमान मामले में, ऐसी कोई परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता कि अभियुक्त का मृतक पारस राम की हत्या करने का आशय था । किसी आयुध की बरामदगी नहीं की गई थी । ऐसा कोई कथन नहीं है कि शरीर के किसी नाजुक भाग पर हमला किया गया था । किसी पूर्व शत्रुता के बारे में कोई साक्षी नहीं है । इसके अतिरिक्त अचानक प्रकोपन का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि हमला आवेश की तीव्रता में आकर किया गया था या अभियुक्त के बारे में कोई असम्यक् फायदा लेने के लिए क्षति कारित किया जाना अभिकथित है या क्रूरता या अप्रायिक रीति में कार्य किया गया था । यद्यपि, साक्षियों के कथन पर विश्वास किया जाए । इस पर जो कुछ भी ठीक से निष्कर्ष निकाला जाए । यह है कि यह एकल व्यक्ति का मामला नहीं था या अभियुक्त व्यक्तियों ने एक व्यक्ति को पीटा था । इस मामले के बारे में यह कहा जा सकता है कि पांच पीए हुए व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ था, इन सभी के बीच गुथमगुत्था हुई थी और किसने उस पर क्षति कारित की ; और किसने घातक क्षति पहुंचाई, यह बात आगे नहीं आती है । पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला न तो विश्वसनीय है और न पूर्ण है । इन परिस्थितियों में साक्ष्य के अभाव में ऐसी दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने का साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह के परे होना चाहिए । अप्रतिरोध्य और निश्चित निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति वास्तविक अपराधी है । वर्तमान मामले में हमारी यह राय है कि इस मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है । पारिस्थितिक साक्ष्य से विश्वास नहीं मिलता है, श्रृंखला पूरी नहीं है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप से अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों पर अभ्यारोपण करने का निश्चय साक्ष्य नहीं हो सकता है । मात्र

परिकल्पना के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । उपलब्ध साक्ष्य से कोई सकारात्मक सबूत प्रकट नहीं होता है कि केवल वह व्यक्ति था जिसने अभियुक्त व्यक्तियों में से यह कार्य किया ।

12. उपरोक्त चर्चा और मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अपने पक्षकथन को सिद्ध करने में विफल हुआ है । परिणामस्वरूप, अपीलार्थी दोषसिद्ध व्यक्ति, नेपाली राष्ट्र के व्यक्ति द्वारा फाइल की गई अपीलें मंजूर की जाती हैं और उन्हें दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने से दोषमुक्त किया जाता है । परिणामस्वरूप, अपीलार्थी दोषसिद्ध व्यक्ति जो वर्तमान में दंड को भोग रहे हैं, यदि वे किसी अन्य मामले में अभियुक्त नहीं हैं तो उन्हें अलग-अलग उनके 50,000/- रुपए की राशि के वैयक्तिक बंध-पत्र तथा उसी राशि (अलग-अलग) प्रतिभू को विद्वान् विचारण न्यायालय का समाधान होने पर तत्काल निर्मुक्त किया जाता है । इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील फाइल किए जा सकने पर अपील न्यायालय उनकी मौजूदगी को सुनिश्चित करेगा । तथापि, जो बंध-पत्र इस तरह दिए जाएंगे, केवल छह माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहेंगे । तद्नुसार उन्मुक्ति वारंट तैयार किए जाएंगे । अंतिम रूप से अपीलों का निपटारा किया जाता है तथा यदि कोई लंबित प्रकीर्ण आवेदन है तो उनका भी निपटारा किया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

आर्य

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

जितेन्द्र कुमार

(2008 की दांडिक अपील सं. 690)

तारीख 25 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति चन्द्रभूषण बारोवालिया

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 279 और 337 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – सार्वजनिक सड़क पर उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक गति चलाना – संदेह का फायदा – यह अभिकथन किया जाना कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपनी गाड़ी को उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक चलाकर परिवादी की गाड़ी को क्षति पहुंचाई – परिवादी को छोड़कर गाड़ी में बैठे हुए अन्य अधिभोगियों की चिकित्सा परीक्षा नहीं किया जाना – यदि चिकित्सा साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हुआ है कि ड्राइवर शराब पीए हुए हालत में था या नहीं और अभियोजन पक्ष द्वारा गाड़ियों की भीडन्त की रीति को प्रकट नहीं किया है तो अभियोजन कहानी की सत्यता में संदेह होता है और अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा गाड़ी को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाया जाना साबित नहीं हुआ तो अभियुक्त-अपीलार्थी संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है ।

इस अपील के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है जो इस प्रकार है – अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, तारीख 7 सितंबर, 2003 को, श्री पूरन चंद (शिकायतकर्ता) अपने यान अर्थात् आल्टो कार जिसका रजिस्ट्रेशन सं. एच पी 29-1100 से पोददार से जोगिन्दर नगर आ रहा था और उक्त यान में तीन से अधिक अधिभोगी बैठे हुए थे । मंडी – पठानकोट राजमार्ग पर उरला के नजदीक हीमगालू स्थान पर जितेन्द्र कुमार (अभियुक्त), महिन्द्रा पिकअप चला रहा था जिसकी रजिस्ट्रेशन सं. एच पी 02एम-3541 था

जिसे गलत दिशा से उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक चलाकर ला रहा था । अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के यान पर अपनी कार से टक्कर मारी । उक्त दुर्घटना में दोनों शिकायतकर्ता और अभियुक्त को क्षतियां पहुंचीं । शिकायतकर्ता के यान को भी नुकसान पहुंचा था । शिकायतकर्ता ने दूरभाष से पुलिस को सूचना भेजी थी जिस पर रिपोर्ट लिखी गई थी और वह घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ । तत्पश्चात्, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी और अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा बनाया था और साक्षियों के कथनों को भी अभिलिखित किया था । पुलिस ने दुर्घटना के स्थल के फोटो भी खींचे थे और दोनों यानों को अपनी अभिरक्षा में रखा गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् न्यायालय में चालान पेश किया गया था । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर ग्यारह साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया था, जिसमें उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया । अपनी प्रतिरक्षा में लगाने के अभियुक्त ने केवल एक साक्षी की परीक्षा की । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 26 जुलाई, 2008 को निर्णय पारित करके दंड संहिता की धारा 279 और 337 के अधीन अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया, इसलिए, अपीलार्थी/राज्य द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – श्री राजेन्द्र (अभि. सा. 4) (फोटोग्राफर) ने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने गाड़ी के टायर के फिसलने के कुछ फोटोग्राफ लिए हैं । इस साक्षी ने भी न्यायालय में इन फोटोग्राफों को देखा है और विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि इन फोटोग्राफों में कोई टायर का चिह्न दिखाई नहीं दिया है । निस्संदेह, टायर के चिह्नों से गाड़ी की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और उन गाड़ियों की आपस में टक्कर होना प्रतीत होता है परन्तु अभियोजन पक्ष को इस बात को अच्छी तरह जानना चाहिए था कि फोटोग्राफों से टायर के चिह्न को दर्शित करना रोका गया था । अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 11) ने टायरों के चिह्न को दर्शित करने वाले फोटोग्राफ पर

अपनी अनभिज्ञता प्रकट की है । इस प्रकार, फोटोग्राफों के मामले में फोटोग्राफर और अन्वेषक अधिकारी के अभिसाक्ष्य से गाड़ी के टायर के चिह्नों के बारे में अभियोजन कहानी में वास्तविक रूप से संदेह पैदा होता है । वास्तव में, यह न्यायालय आसानी से यह अभिनिर्धारित कर सका है कि वर्तमान मामला आंशिक अन्वेषण का मामला है और इससे यह प्रतीत होता है कि पुलिस ने जानबूझकर इस मामले में अभियुक्त को फंसाया है । इसके अतिरिक्त उपलब्ध फोटोग्राफों से यह सिद्ध होता है कि कार के दाहिने ओर कोई चोट लगी है, इस तरह, गाड़ी के शीर्ष पर टकराने का कोई संकेत नहीं मिलता है । इस प्रकार, यह भी प्रतीत होता है कि गाड़ियां आपस में इस रीति में टकराव नहीं हुआ है जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा चित्रित किया है । गाड़ियों को साशय फोटोग्राफ लेने और अभियुक्त के उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक कार्यों को दिखाने के लिए पार्क में खड़ा किया गया था । फोटोग्राफों से यह भी दर्शित होता है कि जीप दुर्घटना होने पर वह 24 फिट आगे की ओर चली गई थी और दुर्घटना स्लाइडिंग रीति में घटित हुई थी । क्या जीप से कार के आगे वाला भाग पर चोट पहुंची थी, दुर्घटना से कार में बैठे हुए अधिभोगियों को बड़ी क्षतियों का पहुंचना हो सकता है और जीप शीर्ष पर टक्कर होने के पश्चात् भी 24 फिट आगे की ओर नहीं बढ़ी । इस प्रकार, उपरोक्त सभी तथ्य से केवल यह इंगित होता है कि अभियुक्त को फंसाने के लिए पुलिस ने साक्ष्य को बनाया है और जानबूझकर यह चित्रित करने की कोशिश की है कि दुर्घटना अभियुक्त की ओर से गाड़ी को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाने से घटित हुई थी । अभियुक्त ने यह प्रतिरक्षा ली है कि पुलिस ने ऋजु और पक्षपात रहित अन्वेषण का कार्य नहीं किया है और जानबूझकर उसे अभियुक्त बनाया है जबकि शिकायतकर्ता की गलती की वजह से दुर्घटना घटी थी । शिकायतकर्ता को दुर्घटना में गंभीर क्षतियां पहुंची और उसके बावजूद वह लंबे समय तक घटनास्थल पर रहा तथा 4 घंटे के पश्चात् उसे अस्पताल ले जाया गया । शिकायतकर्ता ने अन्वेषण में सक्रिय भाग लिया था । अन्वेषक अधिकारी ने मंडी से फोटोग्राफर को बुलाया, जो कुछ दूर पर था अर्थात् और उसने

जोगिन्दर नगर से फोटोग्राफर को बुलाने के लिए कोई चिंता व्यक्त नहीं की, जो स्थान दुर्घटना के स्थान से नजदीक था । फोटोग्राफर ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसे उसी दिन मंडी से बुलाया गया था और उसे नेशनल एश्योरेंस कंपनी ने अनुरोध करके बुलाया था । इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि घटनास्थल पर फोटोग्राफर को किसने बुलाया । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियोजन कहानी में कई कमियां हैं और यह प्रतीत होता है कि पुलिस ने वर्तमान मामले में अभियुक्त को सदोषपूर्ण रूप से अधिरोपित करने की कोशिश की । निस्संदेह, अभियुक्त की गाड़ी अभिकथित दुर्घटना में शामिल थी और अभियुक्त ने उसे चलाया था, परंतु उसे दोषी ठहराने के लिए इस न्यायालय ने इस बात पर विचार किया है कि अभियुक्त ने उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में गाड़ी चलाई थी और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल हुआ है कि वह अभियुक्त था जिसने दुर्घटना की और वह अपनी गाड़ी को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चला रहा था । इसलिए, साक्ष्य और विधि का पुर्नमूल्यांकन करने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध नहीं कर सका है और केवल अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अभियुक्त की दोषिता के संबंध में दो मत संभव हैं । विधि की सुस्थिर स्थिति को ध्यान में रखते हुए जैसा कि इसमें ऊपर चर्चा की गई तथा मुख्य अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिनमें भिन्नताएं हैं, उस पर यह अभिनिर्धारित करना सुरक्षित होगा कि अभियोजन कहानी कमियों और संदेहों से भरी हुई है, इसलिए, अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को तर्कपूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर सका है । इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित करना सुरक्षित होगा कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता को साबित करने में विफल हुआ है । अतः, दोषमुक्ति का निष्कर्ष जैसा कि विद्वान् निचले अपील न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किया गया है, उसमें कोई दुर्बलता महसूस नहीं होती है । इस न्यायालय के पास कोई ऐसा आधार नहीं है कि विद्वान् विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति के निष्कर्ष को उलट दें । (पैरा 11, 12, 14 और 17)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2007] (2007) 4 एस. सी. सी. 415 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1850 : **चन्द्रप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 16

[2006] (2006) 1 एस. सी. सी. 401 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 836 : **टी. सुब्रहमण्यम** बनाम **तमिलनाडु राज्य** । 15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 690.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री शिवपाल मनहास और पी. के. भाटी अपर महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से निमीश गुप्ता

न्यायमूर्ति चन्द्रभूषण बारोवालिया – वर्तमान अपील अपीलार्थी राज्य द्वारा 2003 के पुलिस चालान सं. 342-2 में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जोगिन्दर नगर, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 26 जुलाई, 2008 को पारित किए गए निर्णय को चुनौती देते हुए फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त/प्रत्यर्थी (इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) जिसे दंड संहिता, 1860 (इसके इसके पश्चात् भा. द. स. कहा गया है) की धारा 279 और 337 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने पर दोषमुक्त किया गया था ।

2. इस अपील के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है जो इस प्रकार है :–

> अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, तारीख 7 सितंबर, 2003 को, श्री पूरन चंद (शिकायतकर्ता) अपने यान अर्थात् आल्टो कार जिसका रजिस्ट्रेशन सं. एच पी 29-1100 से पोददार से जोगिन्दर नगर आ रहा था और उक्त यान में तीन से अधिक अधिभोगी बैठे

हुए थे । मंडी-पठानकोट राजमार्ग पर उरला के नजदीक हीमगालू स्थान पर जितेन्द्र कुमार (अभियुक्त), महिन्द्रा पिकअप चला रहा था जिसकी रजिस्ट्रेशन सं. एच पी 02एम-3541 था जिसे गलत दिशा से उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक चलाकर ला रहा था । अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के यान पर अपनी कार से टक्कर मारी । उक्त दुर्घटना में दोनों शिकायतकर्ता और अभियुक्त को क्षतियां पहुंचीं । शिकायतकर्ता के यान को भी नुकसान पहुंचा था । शिकायतकर्ता ने दूरभाष से पुलिस को सूचना भेजी थी जिस पर रिपोर्ट लिखी गई थी और वह घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ । तत्पश्चात्, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी और अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा बनाया था और साक्षियों के कथनों को भी अभिलिखित किया था । पुलिस ने दुर्घटना के स्थल के फोटो भी खींचे थे और दोनों यानों को अपनी अभिरक्षा में रखा गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् न्यायालय में चालान पेश किया गया था ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर ग्यारह साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया था, जिसमें उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया । अपनी प्रतिरक्षा में अभियुक्त ने केवल एक साक्षी की परीक्षा की ।

4. विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 26 जुलाई, 2008 को निर्णय पारित करके दंड संहिता की धारा 279 और 337 के अधीन अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया, इसलिए, अपीलार्थी/राज्य द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई ।

5. मैंने राज्य की ओर से विद्वान् अपर महाधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल को सुना और अभिलेखों का विस्तृत रूप से सावधानीपूर्वक परिशीलन किया ।

6. श्री शिवपाल मनहास विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य और विधि का सही रूप से

मूल्यांकन किए बिना अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया और अटकलबाजियों के आधार पर न्याय किया है । उन्होंने यह भी दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का मूल्यांकन नहीं किया है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता को साबित किया है । उन्होंने यह दलील दी कि अभियुक्त की ओर से उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाकर दुर्घटना को अंजाम दिया गया है, इसलिए, अपील मंजूर की जाती है और विद्वान् विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाए तथा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाए । दूसरी ओर, श्री निमीश गुप्ता प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त करके ठीक ही किया है क्योंकि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को साबित करने में बुरी तरह से विफल हुआ है । उन्होंने यह भी दलील दी कि वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं है और उसे खारिज किया जा सकता है क्योंकि विद्वान् विचारण न्यायालय ने तथ्यों और विधि का सही रूप से मूल्यांकन किया है ।

7. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने उपरोक्त बातों का खंडन करते हुए यह दलील दी है कि साक्ष्य जो अभिलेख पर आया है, उससे स्पष्टतया यह दर्शित होता है कि अभियुक्त की ओर से उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना घटी है । उन्होंने यह दलील दी कि साक्ष्य का पुन: मूल्यांकन करने के पश्चात् जो अभिलेख पर प्रकट है कि अपील मंजूर की जानी चाहिए और अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए ।

8. वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता के यान में बैठे हुए अधिभोगी जिनकी क्रमश: अभि. सा. 1, 3, 5 और 10 की परीक्षा की गई, उन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । उनके अनुसार दुर्घटना का एकमात्र कारण अभियुक्त की ओर से उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाना है । अभि. सा. 3, 5 और 10 जो शिकायतकर्ता के यान में अधिभोगी के रूप में बैठे हुए थे जो शिकायतकर्ता को अच्छी तरह जानते थे और शिकायतकर्ता के उनके साथ मिलनसार संबंध थे, इसलिए, यह अभिनिर्धारित करना सुरक्षित है कि अभि. सा. 3, 5 और 10 परिवादी के मित्र रूप में थे और बाकी अभियोजन साक्षी शासकीय साक्षी हैं ।

9. शिकायतकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि वह और उसके यान के सभी अन्य अधिभोगी अभिकथित दुर्घटना में आहत हुए थे । अभि. सा. 3, 5 और 10 जो शिकायतकर्ता के यान के अधिभोगी थे, उन्होंने भी यह अभिसाक्ष्य दिया कि उन्हें उक्त दुर्घटना में क्षतियां पहुंचीं, परंतु यह बात आश्चर्य में डालने वाली कि शिकायतकर्ता को छोड़कर शिकायतकर्ता के यान के अधिभोगी में से किसी की भी चिकित्सीय रूप से परीक्षा नहीं हुई थी । अभियोजन पक्ष वास्तव में शिकायतकर्ता के यान के अभिकथित आहत अधिभोगियों की चिकित्सीय रूप से परीक्षा करने में विफल होने पर स्पष्टीकरण देने में असफल हुआ है । इससे अभियोजन पक्षकथन संदेहपूर्ण बन जाता है क्योंकि अभियुक्त ने आंशिक रूप से अन्वेषण के बारे में अपनी प्रतिरक्षा को प्रकट किया है । अभियुक्त ने यह भी प्रतिरक्षा ली है कि शिकायतकर्ता के यान के सभी अधिभोगी जिसमें शिकायतकर्ता भी सम्मिलित है । वे पीए हुए हालात में थे और शिकायतकर्ता की ओर से उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना घटी । इस प्रकार, सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि अन्वेषक अधिकारी ने शिकायतकर्ता के यान के अधिभोगियों की जानबूझकर चिकित्सा परीक्षा नहीं कराई । इसके अतिरिक्त, अभियोजन कहानी के अनुसार कि अभिकथित दुर्घटना 3.45 बजे अपराह्न घटी थी परंतु शिकायतकर्ता 8.00 बजे अपराह्न अस्पताल पर पहुंचा था । घटनास्थल और अस्पताल के बीच दूरी केवल 19 किलोमीटर की थी, इस तरह शिकायतकर्ता 4.30 बजे अपराह्न अस्पताल पर पहुंच सका इसलिए, अस्पताल में देरी से पहुंचने का कारण जानबूझकर किया जाना प्रतीत होता है, जिससे कि एल्कोहल पीने के तत्व अपने आप में गायब हो जाएं, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा अधिकारी का कथन जिन्होंने शिकायतकर्ता की चिकित्सा परीक्षा की, को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए । अभि. सा. 9 डाक्टर राजकुमार समाधानप्रद रूप से उत्तर दे सका है कि क्या शिकायतकर्ता पियक्कड़ था । अभि. सा. 9 ने साधारण तौर पर यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस ने उससे यह नहीं पूछा कि शिकायतकर्ता पीए हुए हालात में था या नहीं । अभि. सा. 9 ने अभियुक्त की

चिकित्सा परीक्षा की थी और उन्होंने विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी जानकारी में एल्कोहल की कोई गंध प्रकट नहीं हुई थी । अभि. सा. 9 के कथन से और चिकित्सा अभिलेखों से यह बोध नहीं होता है कि अभि. सा. 9 डाक्टर राजकुमार को इस तथ्य के बारे में साधारण अभिव्यक्ति करने के लिए किसने रोका था कि क्या परिवादी पीए हुए हालात में था या नहीं ।

10. अभियुक्त ने भी यह प्रतिरक्षा ली है कि दुर्घटना के पश्चात् शिकायतकर्ता और उसके मित्र (कार के अधिभोगी) जो उसके यान से थाने पर गए थे और उस पर हमला भी किया । यह बात भी समझ के योग्य है कि अभियोजन साक्षी जिसमें अन्वेषण अधिकारी भी शामिल है, उन्होंने एक मत से इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त पर हमला किया गया था या उसने यह शिकायत की थी कि शिकायतकर्ता तथा कार के अधिभोगियों द्वारा उस पर हमला किया गया था । स्वीकृतत:, कार के आगे वाला भाग भिड़ने की वजह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था जबकि अभियुक्त के गाड़ी का बम्पर बहुत कम दबा हुआ था । गाड़ी का ड्राइवर नई गाड़ी के शीर्ष पर और उसके 10 बोर या विंड स्क्रीन पर चोट पहुंची थी और उसके गाड़ी के बाहरी ओर 10 क्षतियां पहुंची थीं क्योंकि ड्राइवर गाड़ी के दाहिने ओर बैठा हुआ था । वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के दाहिने ओर क्षतियां पहुंची थीं, परंतु अभियुक्त को उसके बाईं ओर क्षतियां पहुंची थीं । इस पहलू को अभिकथित तथ्यों के साथ देखा जाना चाहिए कि यान के शीर्ष पर हुई भिडंत और दुरभिसंधि के कारण अभियुक्त के दाहिने ओर क्षतियां पहुंची थीं परंतु अभियुक्त को उसके बाईं ओर क्षतियां पहुंची थीं । इस तरह, अभियुक्त की प्रतिरक्षा में यह भी प्रकट है कि शिकायतकर्ता और उसके कार के अन्य अधिभोगियों ने दुर्घटना के पश्चात् उस पर हमला किया था । मामले की सामग्री से जो अभिलेख पर उपलब्ध है अभियोजन पक्षकथन की सत्यता के बारे में संदेह उत्पन्न होता है और इस पर विश्वास नहीं किया जाता है ।

11. श्री राजेन्द्र (अभि. सा. 4) (फोटोग्राफर) ने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने गाड़ी के टायर के फिसलने के कुछ

फोटोग्राफ लिए हैं । इस साक्षी ने भी न्यायालय में इन फोटोग्राफों को देखा है और विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि इन फोटोग्राफों में कोई टायर का चिह्न दिखाई नहीं दिया है । निस्संदेह, टायर के चिह्नों से गाड़ी की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और उन गाड़ियों की आपस में टक्कर होना प्रतीत होता है परन्तु अभियोजन पक्ष को इस बात को अच्छी तरह जानना चाहिए था कि फोटोग्राफों से टायर के चिह्न को दर्शित करना रोका गया था । अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 11) ने टायरों के चिह्न को दर्शित करने वाले फोटोग्राफ पर अपनी अनभिज्ञता प्रकट की है । इस प्रकार, फोटोग्राफों के मामले में फोटोग्राफर और अन्वेषक अधिकारी के अभिसाक्ष्य से गाड़ी के टायर के चिह्नों के बारे में अभियोजन कहानी में वास्तविक रूप से संदेह पैदा होता है । वास्तव में, यह न्यायालय आसानी से यह अभिनिर्धारित कर सका है कि वर्तमान मामला आंशिक अन्वेषण का मामला है और इससे यह प्रतीत होता है कि पुलिस ने जानबूझकर इस मामले में अभियुक्त को फंसाया है । इसके अतिरिक्त उपलब्ध फोटोग्राफों से यह सिद्ध होता है कि कार के दाहिने ओर कोई चोट लगी है, इस तरह, गाड़ी के शीर्ष पर टकराने का कोई संकेत नहीं मिलता है । इस प्रकार, यह भी प्रतीत होता है कि गाड़ियां आपस में इस रीति में टकराव नहीं हुआ है जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा चित्रित किया है । गाड़ियों को साशय फोटोग्राफ लेने और अभियुक्त के उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक कार्यों को दिखाने के लिए पार्क में खड़ा किया गया था । फोटोग्राफों से यह भी दर्शित होता है कि जीप दुर्घटना होने पर वह 24 फिट आगे की ओर चली गई थी और दुर्घटना स्लाइडिंग रीति में घटित हुई थी । क्या जीप से कार के आगे वाला भाग पर चोट पहुंची थी, दुर्घटना से कार में बैठे हुए अधिभोगियों को बड़ी क्षतियों पहुंचना हो सकता है और जीप शीर्ष पर टक्कर होने के पश्चात् भी 24 फिट आगे की ओर नहीं बढ़ी । इस प्रकार, उपरोक्त सभी तथ्य से केवल यह इंगित होता है कि अभियुक्त को फंसाने के लिए पुलिस ने साक्ष्य को बनाया है और जानबूझकर यह चित्रित करने की कोशिश की है कि दुर्घटना अभियुक्त की ओर से गाड़ी को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाने से घटित हुई थी ।

12. अभियुक्त ने यह प्रतिरक्षा ली है कि पुलिस ने ऋजु और पक्षपात रहित अन्वेषण का कार्य नहीं किया है और जानबूझकर उसे अभियुक्त बनाया है जबकि शिकायतकर्ता की गलती की वजह से दुर्घटना घटी थी । शिकायतकर्ता को दुर्घटना में गंभीर क्षतियां पहुंचीं और उसके बावजूद वह लंबे समय तक घटनास्थल पर रहा तथा 4 घंटे के पश्चात् उसे अस्पताल ले जाया गया । शिकायतकर्ता ने अन्वेषण में सक्रिय भाग लिया था । अन्वेषक अधिकारी ने मंडी से फोटोग्राफर को बुलाया, जो कुछ दूर पर था अर्थात् और उसने जोगिन्दर नगर से फोटोग्राफर को बुलाने के लिए कोई चिंता व्यक्त नहीं की, जो स्थान दुर्घटना के स्थान से नजदीक था । फोटोग्राफर ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसे उसी दिन मंडी से बुलाया गया था और उसे नेशनल एश्योरेंस कंपनी ने अनुरोध करके बुलाया था । इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि घटनास्थल पर फोटोग्राफर को किसने बुलाया ।

13. अभियोजन की कहानी से हैड कांस्टेबल दयाराम (अभि. सा. 7) के अभिसाक्ष्य को बल मिलता है जिसने दोनों गाड़ियों की तकनीकी रूप से परीक्षा की क्योंकि शिकायतकर्ता ने विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसी दिन जब दुर्घटना घटित हुई वह अपनी गाड़ी को लाया था, परन्तु अभि. सा. 7 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 8 सितंबर, 2003 को अर्थात् पश्चात्वर्ती दिन को उसने घटनास्थल पर दोनों गाड़ियों की तकनीकी रूप से परीक्षा की । इस प्रकार शिकायतकर्ता और अभि. सा. 7 के अभिसाक्ष्य से अभियोजन कहानी में संदेह प्रकट होता है ।

14. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियोजन कहानी में कई कमियां हैं और यह प्रतीत होता है कि पुलिस ने वर्तमान मामले में अभियुक्त को सदोषपूर्ण रूप से अधिरोपित करने की कोशिश की । निस्संदेह, अभियुक्त की गाड़ी अभिकथित दुर्घटना में शामिल थी और अभियुक्त ने उसे चलाया था, परंतु उसे दोषी ठहराने के लिए इस न्यायालय ने इस बात पर विचार किया है कि अभियुक्त ने उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में गाड़ी चलाई थी और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल हुआ है कि वह अभियुक्त था जिसने दुर्घटना की

और वह अपनी गाड़ी को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चला रहा था । इसलिए, साक्ष्य और विधि का पुर्नमूल्यांकन करने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध नहीं कर सका है और केवल अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अभियुक्त की दोषिता के संबंध में दो मत संभव हैं ।

15. **टी. सुब्रहमण्यम** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां एक ही साक्ष्य से युक्तियुक्त रूप से दो मत संभव हों । अभियोजन पक्ष के बारे में अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना नहीं कहा जा सकता है ।

16. **चन्द्रप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील न्यायालय की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है जब भी दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार किया जाता है :-

> "42. उपरोक्त विनिश्चयों से हमारा विचारित मत यह है कि अपील न्यायालय की शक्तियों के बारे में साधारण सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार किया जाता है -
>
> 1. अपील न्यायालय के पास साक्ष्य का पुनर्विलोकन, पुनर्मूल्यांकन और पुन: विचार करने की पूरी शक्ति है जिस पर दोषमुक्ति का आदेश स्थापित है ।
>
> 2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1873 में कोई परिसीमा, निर्बंधन या शर्त ऐसी शक्ति को प्रयोग करने के लिए नहीं रखी गई है और अपील न्यायालय साक्ष्य पर अपने निष्कर्ष निकालने के लिए तथ्य और विधि के दोनों प्रश्नों पर विचार करेगा ।

---

[1] (2006) 1 एस. सी. सी. 401 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 836.

[2] (2007) 4 एस. सी. सी. 415 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1850.

3. इस प्रकार, विभिन्न अभिव्यक्तियां, 'सारगर्भित और विवशकारी कारण', 'अच्छा और पर्याप्त आधार', 'अति प्रबल परिस्थितियां', 'मिथ्या निष्कर्ष', 'मुख्य गलतियां', आदि आदि से दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करने का आशय नहीं है । ऐसी वाक्य रचना 'भाषा की उन्नति' की प्रकृति में प्रकट की गई है जिससे साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने की न्यायालय की शक्ति और अपने निष्कर्ष निकालने को कम करने की अपेक्षा दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने के अपील न्यायालय की अनिच्छा पर जोर दिया गया है ।

4. तथापि, अपील न्यायालय को अपने विवेक में यह बात रखनी चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दो उपधारणाएं की जाती हैं प्रथमत: निर्दोषिता की उपधारणा जो उसे दांडिक विधिशास्त्र के मूल सिद्धांतों के अधीन उपलब्ध हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में तब तक निर्दोषिता की उपधारणा की जाएगी जब तक कि उसे विधि के सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए । द्वितीय अभियुक्त अपनी दोषमुक्ति के बारे में निश्चित है, और उसकी निर्दोषिता की उपधारणा को विचारण न्यायालय द्वारा उसका सुदृढ़ीकरण, पुन: पुष्टि पर बल दिया गया है ।

5. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यदि दो युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाला जाना संभव हो तो अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्षों पर बाधा नहीं डालनी चाहिए ।"

17. विधि की सुस्थिर स्थिति को ध्यान में रखते हुए जैसा कि इसमें ऊपर चर्चा की गई तथा मुख्य अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिनमें भिन्नताएं हैं, उस पर यह अभिनिर्धारित करना सुरक्षित होगा कि अभियोजन कहानी कमियों और संदेहों से भरी हुई है, इसलिए, अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को तर्कपूर्ण रूप

से सिद्ध नहीं कर सका है । इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित करना सुरक्षित होगा कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता को साबित करने में विफल हुआ है । अतः, दोषमुक्ति का निष्कर्ष जैसा कि विद्वान् निचले अपील न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किया गया है, उसमें कोई दुर्बलता महसूस नहीं होती है । इस न्यायालय के पास कोई ऐसा आधार नहीं है कि विद्वान् विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति के निष्कर्ष को उलट दें ।

18. यह अपील गुणागुण न होने की वजह से खारिज किए जाने योग्य है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है । यदि कोई प्रकीर्ण आवेदन लंबित है तो उसका भी निपटारा किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

संसद् के अधिनियम

बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

(2007 का अधिनियम संख्यांक 6)

[10 जनवरी, 2007]

बाल-विवाहों के अनुष्ठान के प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ; और यह भारत से बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों को भी लागू होता है :

परंतु इस अधिनियम की कोई बात पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के रेनोंसाओं को लागू नहीं होगी ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ;

(ख) "बाल-विवाह" से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है ;

(ग) विवाह के संबंध में "बंधन में आने वाले पक्षकार" से पक्षकारों में से कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है ;

(घ) "बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी" के अन्तर्गत धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है ;

(ङ) "जिला न्यायालय" से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र में, जहां कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय विद्यमान है, ऐसा कुटुंब न्यायालय और किसी ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है, किंतु कोई नगर सिविल न्यायालय विद्यमान है वहां वह न्यायालय और किसी अन्य क्षेत्र में, आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय और उसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य सिविल न्यायालय भी है जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करे जिसे ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारिता है, जिनके बारे में इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है ;

(च) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने, वयस्कता प्राप्त नहीं की है ।

3. **बाल-विवाहों का, बंधन में आने वाले पक्षकार के, जो बालक है, विकल्प पर शून्यकरणीय होना** – (1) प्रत्येक बाल-विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् अनुष्ठापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के, जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्यकरणीय होगा :

परंतु किसी बाल-विवाह को अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल करने के लिए, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही, जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी ।

(2) यदि अर्जी फाइल किए जाने के समय, अर्जीदार अवयस्क है तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद-मित्र के साथ-साथ बाल-विवाह प्रतिषेध

अधिकारी की मार्फत की जा सकेगी ।

(3) इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय किंतु अर्जी फाइल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के दो वर्ष पूरे करने से पूर्व फाइल की जा सकेगी ।

(4) इस धारा के अधीन अकृतता की डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय, विवाह के दोनों पक्षकारों और उनके माता-पिता या उनके संरक्षकों को यह निदेश देते हुए आदेश करेगा कि वे, यथास्थिति, दूसरे पक्षकार, उसके माता-पिता या संरक्षक को विवाह के अवसर पर उसको दूसरे पक्षकार से प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण और अन्य उपहार या ऐसी मूल्यवान वस्तुओं, आभूषणों, अन्य उपहारों के मूल्य के बराबर रकम और धन लौटा दे :

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध पक्षकारों को जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा आदेश क्यों नहीं पारित किया जाए, सूचनाएं न दे दी गई हों ।

4. **बाल-विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण-पोषण और निवास के लिए उपबंध** – (1) धारा 3 के अधीन डिक्री प्रदान करते समय, जिला न्यायालय बाल-विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को और यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार अवयस्क है, तो उसके माता-पिता या संरक्षक को, विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को, उसके पुनर्विवाह तक, भरण-पोषण का संदाय करने के लिए निदेश देते हुए अंतरिम या अंतिम आदेश भी कर सकेगा ।

(2) संदेय भरण-पोषण की मात्रा का अवधारण जिला न्यायालय द्वारा, बालक की आवश्यकताओं, अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली और संदाय करने वाले पक्षकार की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

(3) भरण-पोषण की रकम का मासिक या एकमुश्त राशि के रूप में संदाय करने का निदेश दिया जा सकेगा ।

(4) यदि धारा 3 के अधीन अर्जी देने वाला पक्षकार विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार है तो जिला न्यायालय उसके पुनर्विवाह

तक उसके निवास के लिए उपयुक्त आदेश भी कर सकेगा ।

5. **बाल-विवाह से जन्मे बालकों का भरण-पोषण और अभिरक्षा** – (1) जहां बाल-विवाह से जन्मे बालक हैं, वहां जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगा ।

(2) इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय, बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हितों पर जिला न्यायालय द्वारा, सर्वोपरि ध्यान दिया जाएगा ।

(3) बालक की अभिरक्षा के लिए किसी आदेश में, दूसरे पक्षकार की, ऐसे बालक तक ऐसी रीति से, जो बालक के हितों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करती हो, पहुंच के लिए समुचित निदेश, और ऐसे अन्य आदेश, जो जिला न्यायालय बालक के हित में उचित समझे, सम्मिलित हो सकेंगे ।

(4) जिला न्यायालय विवाह के किसी पक्षकार या उनके माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक के भरण-पोषण का उपबंध करने के लिए समुचित आदेश भी कर सकेगा ।

6. **बाल-विवाहों से जन्मे बालकों की धर्मजता** – इस बात के होते हुए भी कि बाल-विवाह धारा 3 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल कर दिया गया है, डिक्री किए जाने के पूर्व ऐसे विवाह से जन्मा या गर्भाहित प्रत्येक बालक, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् पैदा हुआ हो, सभी प्रयोजनों के लिए धर्मज बालक समझा जाएगा ।

7. **जिला न्यायालय की धारा 4 और धारा 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति** – जिला न्यायालय को धारा 4 या धारा 5 के अधीन और यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है जो अर्जी के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय और अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात् भी किसी आदेश में जोड़ने, उसे उपांतरित या प्रतिसंहृत करने की शक्ति होगी ।

8. **वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए** – धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां प्रतिवादी या बालक निवास करता है या जहां विवाह अनुष्ठापित किया

गया था या जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था या जहां अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है, अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय सम्मिलित होगा ।

9. **बाल-विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड** – जो कोई, अठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए, बाल-विवाह करेगा, वह, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

10. **बाल-विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड** – जो कोई किसी बाल-विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, या निर्दिष्ट करेगा, या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल-विवाह नहीं था, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

11. **बाल-विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड** – (1) जहां कोई बालक बाल-विवाह करेगा, वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भारसाधन में चाहे माता-पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधिविरुद्ध हैसियत में, बालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह का संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहता है, जिसमें बाल-विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है यह उपधारणा की जाएगी कि जहां अवयस्क बालक ने विवाह किया है वहां ऐसे अवयस्क बालक का भारसाधन रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुष्ठापित किए जाने से निवारित करने में

उपेक्षापूर्वक असफल रहा है ।

12. **कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना** – जहां कोई बालक, जो अवयस्क है, विवाह के प्रयोजन के लिए, –

(क) विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है ; या

(ख) किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है ; या

(ग) विक्रय किया जाता है, और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है या यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात् उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग किया जाता है,

वहां ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा ।

13. **बाल-विवाहों को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति** – (1) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर, या किसी व्यक्ति से परिवाद के माध्यम से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल-विवाह तय किया गया है या उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसके अंतर्गत किसी संगठन का सदस्य या कोई व्यक्ति संगम भी है, विरुद्ध ऐसे विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश निकालेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई परिवाद, बाल-विवाह या बाल-विवाहों का अनुष्ठापन होने की संभाव्यता से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी या विश्वास का कारण रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा और युक्तियुक्त जानकारी रखने वाले किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा, किया जा सकेगा ।

(3) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का

न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान कर सकेगा ।

(4) अक्षय तृतीया जैसे कतिपय दिनों पर, सामूहिक बाल-विवाहों के अनुष्ठापन का निवारण करने के प्रयोजन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों के साथ, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी को प्रदत्त हैं, बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा ।

(5) जिला मजिस्ट्रेट को बाल-विवाहों के अनुष्ठापन को रोकने या उनका निवारण करने की अतिरिक्त शक्तियां भी होंगी और इस प्रयोजन के लिए, वह सभी समुचित उपाय कर सकेगा और अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकेगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई व्यादेश किसी व्यक्ति या किसी संगठन के सदस्य या व्यक्ति संगम के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ने, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति, संगठन के सदस्यों या व्यक्ति संगम को पूर्व सूचना न दे दी हो और उसे/या उनको व्यादेश निकाले जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर न दे दिया हो :

परंतु किसी अत्यावश्यकता की दशा में, न्यायालय को, इस धारा के अधीन कोई सूचना दिए बिना, अंतरिम व्यादेश निकालने की शक्ति होगी ।

(7) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश की, ऐसे पक्षकार को, जिसके विरुद्ध व्यादेश जारी किया गया था, सूचना देने और सुनने के पश्चात् पुष्टि की जा सकेगी या उसे निष्प्रभाव किया जा सकेगा ।

(8) न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश को या तो स्वप्रेरणा पर या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखण्डित या परिवर्तित कर सकेगा ।

(9) जहां कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन प्राप्त होता है, वहां न्यायालय आवेदक को, या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा, अपने समक्ष उपस्थित होने का शीघ्र अवसर देगा, और यदि न्यायालय आवेदक को सुनने के पश्चात् आवेदन को पूर्णत: या भागत: नामंजूर करता है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

(10) जो कोई, यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश जारी किया गया है, उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा :

परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी ।

14. **व्यादेशों के उल्लंघन में बाल-विवाहों का शून्य होना** – धारा 13 के अधीन जारी किए गए व्यादेशों के उल्लंघन में, चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम, अनुष्ठापित किया गया कोई बाल-विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा ।

15. **अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना** – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

16. **बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी** – (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संपूर्ण राज्य या उसके ऐसे भाग के लिए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी के नाम से ज्ञात, किसी अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, जिसकी अधिकारिता, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर होगी ।

(2) राज्य सरकार, समाज सेवा में विख्यात किसी स्थानीय सम्माननीय सदस्य या ग्राम पंचायत या नगरपालिका के किसी अधिकारी से या सरकार के अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के किसी अधिकारी से या किसी गैर-सरकारी संगठन के किसी पदाधिकारी से बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकेगी और, यथास्थिति, ऐसा सदस्य, अधिकारी या पदाधिकारी तद्नुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा ।

(3) बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) बाल-विवाहों के अनुष्ठापन का ऐसी कार्रवाई करके, जो वह उचित समझे निवारण करे ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य संग्रह करे ;

(ग) बाल-विवाह के अनुष्ठापन का संवर्धन करने, सहायता देने या होने देने में अन्तर्वलित न होने के लिए व्यष्टिक मामलों में सलाह दे या क्षेत्र के निवासियों को साधारणतया परामर्श दे ;

(घ) बाल-विवाह के परिणामस्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागृति पैदा करे ;

(ङ) बाल-विवाहों के मुद्दे पर समाज को सुग्राही बनाए ;

(च) ऐसी नियतकालिक विवरणियां और आंकड़े दे, जो राज्य सरकार निर्देशित करे ; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करे, जो राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं ।

(4) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां विनिहित कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं और बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी ऐसी शक्तियों का, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रयोग करेगा ।

(5) बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी को धारा 4, धारा 5 और धारा 13 के अधीन और धारा 3 के अधीन बालक के साथ आदेश के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति होगी ।

17. **बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना** – बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

18. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण** – इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

19. **नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति** – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

20. **1955 के अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन** – हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 18 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(क) धारा 5 के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से ;" ।

21. **निरसन और व्यावृत्ति** – (1) बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (1929 का 19) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ पर उक्त अधिनियम के अधीन लंबित या जारी सभी मामले और अन्य कार्यवाहियां, जारी रहेंगी और निरसित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार निपटाई जाएंगी मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो ।

———

Cover-III

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in